खण्ड-219, अंक-1
मंगलवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(21 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२५
नियम ५२ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में लगान की अनियमित वसूली के संबंध में वक्तव्य की मांग	२५–२६
प्रदेश के ओलावृष्टि से क्षति-ग्रस्त जिलों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२६–२९
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव (कार्य-मंत्रण। समिति को पुनर्निर्दिष्ट)	२९–३१
विरोधी दलों के नेताओं का श्री अध्यक्ष द्वारा विचार –विमर्श के लिये अपने कमरे में बुलाया जाना	३१–३२
नियम ५३ के अन्तर्गत नोटिस के संबंध में जानकारी की मांग	३२–३३
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ (जारी) ..	३३–८१
किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालाजी एवं बैक्टिरियालाजी विभाग में खरीद के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	८१–८९
नत्थियां	९०–९३

बुधवार, २२ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	९५–९९
प्रश्नोत्तर	९९–११४
नियम ५२ के अन्तर्गत जन-गणना में विमुक्त जातियों की श्रेणी में हरिजनों से वेश्यावृत्ति सम्बन्धी अपमानजनक प्रश्नावली के बारे में वक्तव्य ..	११५–११९
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विधेयकों पर विवाद के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	११९
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	१२०
नियम ५३ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी ..	१२०
स्थायी समितियों की बैठक न होने पर आपत्ति	१२०
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	१२०–१६१
उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक,१९६० (विचारोपरान्त पारित)	१६१–१६४
नत्थियां	१६५ १६८

बृहस्पतिवार, २३ फरवरी, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१६९–१७३
प्रश्नोत्तर	१७३–१९९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१९९
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की)तृतीय तथा चतुर्थ (संशोधन) आज्ञायें (मेज पर रखी गयीं)	१९९
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	१९९
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	२००
नियम ५२ के अन्तर्गत तराई क्षेत्र में गन्ने के मूल्य में कटौती के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	२००
जिला उन्नाव में भुवनेश्वर मेले में डाकुओं द्वारा लूट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२००–२०४
हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट तथा स्टेट हेल्थ बोर्ड की परामर्श-दात्री समितियों के लिये एक-एक सदस्य के निर्वाचन की सूचना ..	२०४
नियम ५३ के अन्तर्गत श्री प्रताप सिंह के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना ..	२०४
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)	२०४–२५९
नत्थियां	२६०–२६६

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	२६७–२७१
प्रश्नोत्तर (जारी)	२७१–२८०
प्रश्नोत्तर के समय मंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति	२८०
प्रश्नोत्तर	२८०–२९१
मंत्री द्वारा प्रश्नों के स्थगित कराने के संबंध में व्यवस्था	२९२–२९३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२९३
नियम ५२ के अन्तर्गत बादशाह नगर (लखनऊ) स्टेशन के पास बदमाशों द्वारा एक नागरिक की हत्या के संबंध में वक्तव्य की मांग	२९३–२९४
नियम ५२ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में लगान की अनियमित वसूली के संबंध में वक्तव्य	२९४–२९७
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	२९७–३५४
नत्थियां	३५५–३६०

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	३६१–३६५
प्रश्नोत्तर	३६५–३८०
प्रश्नों की संख्या संतुलित रखने के संबंध में प्रार्थना	३८०

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम ५२ के अन्तर्गत मथुरा नगर में मेहतरों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य की मांग	३८०
सदन में श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के स्वास्थ्य लाभार्थ प्रार्थना करने का सुझाव	३८१
नियम ५२ के अन्तर्गत नैनीताल तराई में गन्ने की कीमत का ७५ फीसदी कुर्क होने के संबंध में वक्तव्य	३८१–३८३
स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को चीड़ की लकड़ी की सप्लाई के संबंध में वक्तव्य	३८३–३९०
९ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन	३९०–३९१
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित) ..	३९१–४३२
उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार—जारी)	४३२–४४१
कानपुर के केसा बिजलीघर द्वारा कम बिजली के उत्पादन से संबंधित ८ फरवरी, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २०–२९ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	४४१–४४८
नत्थी	४४९

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१

उपस्थित सदस्य	४५१–४५५
प्रश्नोत्तर (जारी)	४५५–४५९
१२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न ७० के उत्तर का शोधन	४५९–४६०
प्रश्नोत्तर	४६०–४७३
श्री गोविन्द मालवीय के निधन पर शोकोद्गार	४७४–४७९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	४७९
नियम ५२ के अन्तर्गत जिला नैनीताल के तराई क्षेत्र में काश्तकारों से जमीन खाली कराने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	४७९
बादशाहनगर (लखनऊ) के पास लाइन के किनारे बम्बई के एक व्यक्ति की लाश पाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४७९–४८१
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विधेयकों पर विचार के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	४८२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ (पुरः स्थापित किया गया) ..	४८२
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	४८३–५२३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	५२३–५३१
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित मेज पर रखा गया)	५३१
नत्थियां	५३२–५४२
सोमवार, ६ मार्च, १९६१	
उपस्थित सदस्य	५४३–५४६
प्रश्नोत्तर	५४६–५५८
सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर ..	५५८–५५९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय) अनुपूरक विधेयक, १९६१ .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५५९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	५५९
मथुरा नगर में मेहतरों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५५९–५६
कार्यक्रम के संबंध में पूछताछ	५६०
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	५६०–५७४
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	५७४–५८८
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	५८८–६१७
मंगलवार, ७ मार्च, १९६१	
उपस्थित सदस्य	६१९–६२२
पंडित गोविन्द वल्लभ पंत के निधन पर शोकोद्गार	६२२–६३१
बुधवार, ८ मार्च, १९६१	
उपस्थित सदस्य	६३३–६३६
प्रश्नोत्तर	६३६–६४३
प्रश्नों की असमान संख्या में ग्राह्यता के सम्बन्ध में जानकारी	६४३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६४४
नियम ५२ के अन्तर्गत इलाहाबाद में श्री सीताराम तिवारी की गोली से हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	६४४
जिला नैनीताल के तराई क्षेत्र में काश्तकारों की जमीन खाली करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६४४–६४७
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	६४७–७१३
नत्थी	७१४

बृहस्पतिवार, ९ मार्च, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७१५–७१८
प्रश्नोत्तर	७१९–७५०
प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के संबंध में जानकारी	७५०
बलिया जिले में कटहर नाले के पानी पर सिंचाई कर लिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	७५०
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (पुरः स्थापित किया गया) ..	७५०–७५१
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६० (विचारोपरान्त पारित) ..	७५१–८०८
नत्थियां	८०९–८३०

———

हिन्दी भवन

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बूरुगुल रामकृष्ण राव

मंत्रि-परिषद्

मंत्री (जो मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं)

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत्, शक्ति, सूचना, खाद्य तथा रसद, स्वास्थ्य एवं हरिजन कल्याण मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, न्याय, माल और सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा कृषि मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री ।

श्री हरगोविन्दसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, वित्त मंत्री ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान परिषद् सदस्य, सामूहिक योजनाएं, ग्राम और लघु-उद्योग तथा श्रम ।

मंत्री (जो मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, विधान सभा सदस्य, आबकारी मंत्री ।

श्री मंगलाप्रसाद, विधान सभा सदस्य, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन मंत्री ।

श्री राममूर्ति, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री ।

श्री अलगूराय शास्त्री, विधान परिषद् सदस्य, अर्थ और संख्या तथा वन मंत्री ।

उप-मंत्री

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान सभा सदस्य, हरिजन सहायक उप-मंत्री ।
श्री रऊफ जाफरी, विधान सभा सदस्य, सूचना उप-मंत्री ।
श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, संसदीय विषयक उप-मंत्री ।
श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान सभा सदस्य, समाज कल्याण उप-मंत्री ।
श्री रामस्वरूप यादव, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उप-मंत्री ।
श्री वसी नकवी, विधान सभा सदस्य, श्रम उप-मंत्री ।
श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री ।
श्री उदयशंकर, विधान सभा सदस्य, राजस्व उप-मंत्री ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय, विधान परिषद् सदस्य ।

परिवहन मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य ।

विधान सभा

132556

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर्रासंह, श्री ..	.. पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री ..	.. कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री ..	.. नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री ..	.. अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री ..	.. विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री ..	.. कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौसा
८	अभयराम यादव, श्री ..	.. जसवंत नगर
९	अमरनाथ, श्री ..	.. महराजगंज
१०	अमरेश चन्द्र पान्डेय, श्री ..	.. मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती ..	.. अठेहा
१२	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री ..	.. सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री ..	.. उतरौला
१४	अली जहीर, श्री सैयद ..	.. लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर ..	.. मिसरिख
१६	अवधेश चन्द्र सिंह, श्री ..	.. भोजपुर
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री ...	.. बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ
२०	आत्मा राम गोविन्द खेर, श्री ..	.. झांसी
२१	आत्मा राम पाण्डेय, श्री ..	.. सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री ..	.. आगरा शहर
२३	आनन्द ब्रह्मशाह, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री ..	.. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री ..	.. सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री ..	.. बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री ..	.. बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री ..	.. कानपुर शहर
३२	उल्फत सिंह, श्री ..	.. सहसवान
३३	ऊदल, श्री ..	.. कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री ..	.. कानपुर शहर
३५	ओंकार नाथ, श्री ..	.. चुनार
३६	कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री ..	.. शाहाबाद
३७	कमरुद्दीन, श्री ..	.. बुधना
३८	कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी	.. करछना

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	.. चन्दौली
४०	कमलेश चन्द्र , श्री उपनाम कमले	..	.. पुवायां
४१	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु	..	.. इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याण राय, श्री	..	.. शाहाबाद
४३	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	.. महाइच
४४	काली चरण अग्रवाल, श्री	..	.. कासगंज
४५	काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	.. कादीपुर
४६	किशन सिंह, श्री	..	.. ठाकुरद्वारा
४७	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	.. सुल्तानपुर
४८	केशभान राय, श्री	..	.. मगहर
४९	केशव पाण्डेय, श्री	..	.. मनीराम
५०	केशवराम , श्री	..	.. बिसौली
५१	कैलाश कुमार सिंह, श्री	..	.. इस्लाम नगर
५२	कैलाश नारायण गुप्त, श्री	..	.. इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५३	कैलाश प्रकाश, श्री	..	.. मेरठ शहर
५४	कैलाशवती , श्रीमती	..	.. छिल्लुपुर
५५	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री	..	.. छिबरामऊ
५६	कृपा शंकर , श्री	..	.. नगर
५७	खजान सिंह, चौधरी	..	.. उन्नाव
५८	खमानी सिंह, डाक्टर	..	.. मुरादाबाद (देहात)
५९	खयालीराम, श्री	..	.. मोहन लाल गंज
६०	खुशीराम, श्री	..	.. पिथौरागढ़
६१	खूब सिंह, श्री	..	.. धामपुर
६२	गंगाधर जाटव, श्री	..	.. एतमादपुर
६३	गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)	..	.. गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	..	.. एटा
६५	गंगा प्रसाद सिंह, श्री	..	.. रसरा
६६	गजेन्द्र सिंह, श्री	..	.. बिधुना
६७	गज्जू राम, श्री	..	.. ललितपुर
६८	गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	.. बांसगांव
६९	गनेश चन्द्र काछी, श्री	..	.. भोगांव
७०	गनेशी लाल चौधरी, श्री	..	.. बिस्वां
७१	गया प्रसाद, श्री	..	.. कुन्डा
७२	गया बख्श सिंह, श्री	..	.. इसौली
७३	गयूर अली खां, श्री	..	.. भवन
७४	गरीब दास, श्री	..	.. कालपी
७५	गिरधारी लाल , श्री	..	.. धामपुर
७६	गुप्तार सिंह, श्री	..	.. सरेनी
७७	गुरु प्रसाद सिंह, श्री	..	.. मुसाफिरखाना
७८	गुलाब सिंह, श्री	..	.. मसूरी
७९	गेंदा देवी, श्रीमती	..	.. खलीलाबाद
८०	गेंदा सिंह, श्री	..	.. पड़रौना (पूर्व)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८१	गोकुल प्रसाद, श्री	..	.. चायल
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	..	.. नारायनी
८३	गोविन्द नारायण तिवारी, श्री		.. जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री	..	.. नगीना
८५	गोविन्द सिंह विष्ट, श्री	..	.. अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	..	.. फर्रेदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	..	.. बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	..	.. बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	..	.. भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	..	.. मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्रदेव, श्री	..	.. पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री		.. निजामाबाद
९३	चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	.. पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	..	.. बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	..	.. बिजनौर
९६	चन्द्रिका प्रसाद, श्री	..	.. बछरावां
९७	चरण सिंह, श्री	..	.. कोटना
९८	चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	.. कौंच
९९	चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	.. जलेसर
१००	छत्तर सिंह , श्री	..	.. खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	..	.. आगरा शहर
१०२	छेदी लाल, श्री	..	.. श्रीनगर
१०३	छोटे लाल पालीवाल, श्री	..	.. सिरहापुर
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	..	.. हैदरगढ़
१०५	जगदीश नारायण, श्री	..	.. बिलारी
१०६	जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री		.. मोहम्मदी
१०७	जगदीश प्रसाद, श्री	..	.. हसनपुर
१०८	जगदीश शरण अग्रवाल, श्री		.. बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ , चौधरी	..	.. सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	.. धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	..	.. फिरोजाबाद
११२	जगपति सिंह, श्री	..	.. करवी
११३	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	.. गंगा सलाण
११४	जगवीर सिंह , श्री	..	.. अगोटा
११५	जमुना सिंह, श्री	..	.. गुन्नौर
११६	जय गोपाल, डाक्टर	..	.. हरौरा
११७	जयदेव सिंह आर्य, श्री	..	.. घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	..	.. टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद	..	.. बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहर लाल , श्री	..	.. मंझनपुर
१२१	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	..	.. कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	..	.. किशनपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
१२३	जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	..	..	कांठ
१२४	जुगल किशोर, आचार्य	..	..	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	..	..	मेजा
१२६	ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री	..	..	घाटमपुर
१२७	झारखण्डे राय, श्री	..	..	घोसी
१२८	टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री	..	..	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	..	..	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	..	..	सादाबाद
१३१	डूंगर सिंह, श्री	..	..	राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	..	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	..	..	मड़ियाहूं
१३४	तिरमल सिंह, श्री	..	..	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	..	..	लालगंज
१३६	तेजा सिंह, श्री	..	..	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकी सिंह, श्री	..	..	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	..	..	कानपुर शहर
१३९	दर्शन सिंह, श्री	..	..	शाहजहांपुर
१४०	दशरथ प्रसाद, श्री	..	..	बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी	..	..	नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	..	..	बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	..	अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	..	रुड़की
१४५	दीपंकर, आचार्य	..	..	बड़ौत
१४६	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	..	..	देवरिया (दक्षिण)
१४७	दुर्योधन, श्री	..	..	महाराजगंज
१४८	देवकी नन्दन विभव, श्री	..	..	आगरा शहर
१४९	देवदत्त सिंह, श्री	..	..	टप्पल
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	..	..	जमौर
१५१	देवराम, श्री	..	..	शादियाबाद
१५२	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	..	..	अकबरपुर
१५३	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	..	मुजफ्फरनगर
१५४	द्वारिका प्रसाद, श्री	..	..	कन्नौज
१५५	द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	..	फरेन्दा (पूर्व)
१५६	धनीराम, श्री	..	..	लालगंज
१५७	धनुषधारी पाण्डेय, श्री	..	..	महुली
१५८	धर्मपाल सिंह, श्री	..	..	तुलसीपुर
१५९	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	..	सिरौली
१६०	धर्मसिंह, श्री	..	..	अनूपशहर
१६१	नत्था राम रावत, श्री	..	..	बाराबंकी
१६२	नत्थू सिंह, श्री (बरेली)	..	..	फरीदपुर
१६३	नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)	..	..	करहल
१६४	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	..	हाथरस

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६५	नन्दराम, श्री	..	.. कुन्डा
१६६	नरदेव सिंह दतियानवी, श्री	..	.. चांदपुर
१६७	नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री	..	.. केदारनाथ
१६८	नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	.. पिथौरागढ़
१६९	नवलकिशोर, श्री	..	.. आंवला
१७०	नागेश्वर प्रसाद, श्री	..	.. गरवारा
१७१	नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	.. नैनीताल
१७२	नारायण दास पासी, श्री	..	.. बीकापुर (पश्चिम)
१७३	निरंजन सिंह, श्री	..	.. पीलीभीत
१७४	नेकराम शर्मा, श्री	..	.. अतरौली
१७५	पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री		.. अतरौलिया
१७६	पब्बरराम, श्री	..	.. गाजीपुर
१७७	परमानन्द सिनहा, श्री	..	.. सोरांव (पश्चिम)
१७८	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	..	.. पुर्वा
१७९	पहलवान सिंह, चौधरी	..	.. बांदा
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	.. मेरठ (छावनी)
१८१	प्रताप बहादुर सिंह, श्री	..	.. फखरपुर
१८२	प्रताप भान प्रकाश सिंह, श्री	..	.. लहरपुर
१८३	प्रताप सिंह, श्री	..	.. टनकपुर
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	..	.. लम्भुआ
१८५	प्रभु दयाल, श्री	..	.. बानगंगा (पश्चिम)
१८६	फतेहसिंह राणा, श्री	..	.. सरधना
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	.. श्रीनगर
१८८	बदलू राम, श्री	..	.. बहराइच (दक्षिण)
१८९	बलदेव सिंह, श्री	..	.. महदेवा
१९०	बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	.. शाहाबाद
१९१	बसन्त लाल, श्री	..	.. लखनऊ (छावनी)
१९२	बादाम सिंह, श्री	..	.. शिकारपुर
१९३	बाबू राम, श्री	..	.. भोजीपुरा
१९४	बाबू लाल कुसुमेश, श्री	..	.. प्रतापगंज
१९५	बालकराम, श्री	..	.. तिलहर
१९६	बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री	..	.. डोमरियागंज (दक्षिण)
१९७	बिन्दुमतीदास, श्रीमती	..	.. प्रतापगंज
१९८	बिशम्बर सिंह, श्री	..	.. हस्तिनापुर
१९९	बिहारी लाल, श्री	..	.. बीसलपुर
२००	बुलाकी राम, श्री	..	.. हरदोई
२०१	बुद्धी लाल, श्री	..	.. नानपारा
२०२	बुद्धी सिंह, श्री	..	.. बहजोई
२०३	बृजबासी लाल, श्री	..	.. बीकापुर (पश्चिम)
२०४	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	..	.. बिल्हौर
२०५	बेचन राम, श्री	..	.. ज्ञानपुर
२०६	बेचनराम गुप्त, श्री	..	.. ज्ञानपुर
२०७	बेनीबाई, श्रीमती	..	.. मऊ

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०८	बैजूराम, श्री	..	.. सिधौली
२०९	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	..	.. पडरौना (पश्चिम)
२१०	ब्रजभूषण शरण, श्री	..	.. देहरादून
२११	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	.. कानपुर शहर
२१२	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	.. भावापुर
२१३	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	.. प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१४	भगवती सिंह विशारद , श्री	..	.. भगवन्तनगर
२१५	भगौती प्रसाद वर्मा, श्री	..	.. बाराबंकी
२१६	भजनलाल , श्री	..	.. औरैया
२१७	भीखा लाल , श्री	..	.. हसनगंज
२१८	भीमसेन, श्री	..	.. खुर्जा
२१९	भुवनेश भूषण शर्मा, श्री	..	.. इटावा
२२०	भूप किशोर, श्री	..	.. अलीगंज
२२१	मंगला प्रसाद, श्री	..	.. मेजा
२२२	मंजूरुलनबी, श्री	..	.. सहारनपुर
२२३	मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	.. नौगढ़
२२४	मदन गोपाल वैद्य, श्री	..	.. अमीसन
२२५	मदन पाण्डेय, श्री	..	.. तिलपुर
२२६	मदनमोहन, श्री	..	.. फैजाबाद
२२७	मन्ना लाल, श्री	..	.. मोहम्मदी
२२८	मलखान सिंह, श्री	..	.. सिकन्दराराव
२२९	मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)		.. मैनपुरी
२३०	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)		.. डासना
२३१	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)		.. स्वार टांडा
२३२	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)		.. मुजफ्फराबाद
२३३	महमूद हुसैन खां, श्री	..	.. सम्भल
२३४	महादेव प्रसाद, श्री	..	.. फखरपुर
२३५	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	.. केवाई
२३६	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री		.. लखनऊ शहर (मध्य)
२३७	महो लाल, श्री	..	.. बिलारी
२३८	महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	..	.. बाह
२३९	महेश सिंह, श्री	..	.. हरदोई
२४०	माता प्रसाद, श्री	..	.. शाहगंज
२४१	मान्धाता सिंह, श्री	..	.. कोपाचीत
२४२	मिहरबान सिंह, श्री	..	.. भरथना
२४३	मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री		.. रुदौली
२४४	मुक्ति नाथ राय, श्री	..	.. गोपालपुर
२४५	मुजफ्फर हसन, श्री	..	.. चायल
२४६	मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री	..	.. बीसल
२४७	मुबारक अली खां, श्री	..	.. उसेहट
२४८	मुरलीधर, श्री	..	.. माहुल
२४९	मुरलीधर कुरील, श्री	..	.. बिल्हौर
२५०	मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री	..	.. सफीपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२५१	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	.. वाराणसी शहर (उत्तर)
२५२	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	.. देवरिया (उत्तर)
२५३	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	.. बानगंगा (पूर्व)
२५४	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	.. बरेली छावनी
२५५	मूलचन्द, श्री	..	.. मिसरिख
२५६	मोतीलाल अवस्थी, श्री	..	.. कानपुर (देहात)
२५७	मोहनलाल, श्री	..	.. महोबा
२५८	मोहनलाल गौतम, श्री	..	.. कोयल
२५९	मोहनलाल वर्मा, श्री	..	.. संडीला
२६०	मोहनसिंह मेहता, श्री	..	.. दानपुर
२६१	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	..	.. रायबरेली (उत्तर)
२६२	यमुनासिंह, श्री	..	.. शादियाबाद
२६३	यशपालसिंह, श्री	..	.. देवबन्द
२६४	यशोदादेवी, श्रीमती	..	.. बांसगांव
२६५	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	..	.. जौनपुर
२६६	रऊफ जाफरी, श्री	..	.. मछलीशहर
२६७	रघुनाथसहाय यादव, श्री	..	.. किशनपुर
२६८	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब		.. सादुल्ला नगर
२६९	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	..	.. बुलन्दशहर
२७०	रघुवीरराम, श्री	..	.. मोहम्मदाबाद
२७१	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	..	.. जलेसर
२७२	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	..	.. बागपत
२७३	रणबहादुरसिंह, श्री	..	.. हरैया (पश्चिम)
२७४	रमाकान्तसिंह, श्री	..	.. अमेठी
२७५	रमानाथ खैरा, श्री	..	.. ललितपुर
२७६	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	.. बरसाथी
२७७	राघवराम पांडेय, श्री	..	.. गोंडा (दक्षिण)
२७८	राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	..	.. मनकापुर
२७९	राजकिशोर राव, श्री	..	.. इकौना
२८०	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	.. सिधुवाजोबना
२८१	राजनारायण, श्री	..	.. कसवर सरकारी
२८२	राजनारायण सिंह, श्री	..	.. अहरौरा
२८३	राजबिहारीसिंह, श्री	..	.. कसवर राजा
२८४	राजाराम शर्मा, श्री	..	.. खलीलाबाद
२८५	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	..	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८६	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	..	.. मौदहा
२८७	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	.. शिकारपुर
२८८	राजेन्द्रसिंह, श्री	..	.. गोंडवा
२८९	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	..	.. शमसाबाद
२९०	रामअधार तिवारी, श्री	..	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९१	राम अभिलाख, श्री	..	.. गोंडा (उत्तर)
२९२	रामकिंकर, श्री	..	.. पट्टी
२९३	रामकुमार वैद्य, श्री	..	.. अमरोहा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
२९४	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	..	कंतित
२९५	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	..	फर्रुखाबाद
२९६	रामचन्द्र उनियाल, श्री	..	..	रवाईं
२९७	रामचन्द्र विकल, श्री	..	..	सिकन्दराबाद
२९८	रामजीलाल सहायक, श्री	..	..	सरधना
२९९	रामजीसहाय, श्री	..	..	सिलहट
३००	रामदास आर्य, श्री	..	..	जानसठ
३०१	रामदीन, श्री	..	..	करहल
३०२	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	..	अकबरपुर
३०३	रामनाथ पाठक, श्री	..	..	दोआबा
३०४	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	..	सुरहुरपुर
३०५	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	..	मलीहाबाद
३०६	रामप्रसाद, श्री	..	..	सलोन
३०७	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	..	कोयल
३०८	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	..	लैंसडाउन
३०९	रामबली, श्री	..	..	मुसाफिरखाना
३१०	राममूर्ति, श्री	..	..	बहेड़ी
३११	रामरतनप्रसाद, श्री	..	..	रसरा
३१२	रामरती देवी, श्रीमती	..	..	अकबरपुर
३१३	रामलक्षण तिवारी, श्री	..	..	बांसडीह (पूर्व)
३१४	रामलखन, श्री (वाराणसी)		..	चन्दौली
३१५	रामलखन मिश्र, श्री	..	..	बांसी (पश्चिम)
३१६	रामलखन सिंह, श्री	..	..	रारी
३१७	रामलाल, श्री	..	..	नगर
३१८	रामवचन यादव, श्री	..	..	माहुल
३१९	रामशरण यादव, श्री	..	..	मोहनलालगंज
३२०	रामसनेही भारतीय, श्री	..	..	बबेरू
३२१	राम समझावन, श्री	..	..	केराकत
३२२	रार्मासंह चौहान वैद्य, श्री	..	..	एतमादपुर
३२३	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	..	नत्थूपुर
३२४	रामसूरत प्रसाद, श्री	..	..	पिपराइच
३२५	रामस्वरूप यादव, श्री	..	..	जसराना
३२६	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	..	भोगनीपुर
३२७	रामहेत सिंह, श्री	..	..	छाता
३२८	रामायण राय, श्री	..	..	पडरौना (दक्षिण)
३२९	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	..	बछरावां
३३०	रुकनुद्दीन खां, श्री	..	..	कोंहडौर
३३१	रूर्मासंह, श्री	..	..	खेरा बजेहरा
३३२	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	..	काशीपुर
३३३	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	..	गरोथा
३३४	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	..	पहाड़पुर
३३५	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	..	..	फतेहाबाद
३३६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	..	माट

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३३७	लायकसिंह, चौधरी ..	.. शिकोहाबाद
३३८	लालबहादुर, श्री ..	.. शिवपुर
३३९	लालबहादुरसिंह, श्री ..	.. केराकत
३४०	लुत्फ अली खां, श्री ..	.. हापुड़
३४१	लोकनाथ सिंह, श्री ..	.. कटेहर
३४२	वजरंग बिहारी लाल रावत, श्री	.. हैदरगढ़
३४३	वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री ..	.. जमनिया
३४४	वसी नकवी, श्री ..	.. रोखा
३४५	वासुदेव दीक्षित, श्री ..	.. खागा
३४६	विचित्रनारायण शर्मा, श्री ..	.. मोदीनगर
३४७	विजयशंकरसिंह, श्री ..	.. मुहम्मदाबाद
३४८	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती ..	.. शाहाबाद
३४९	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती ..	.. देवप्रयाग
३५०	विशालसिंह, श्री ..	.. भिटौली
३५१	विश्राम राय, श्री ..	.. आजमगढ़
३५२	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री ..	.. करांद
३५३	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी ..	.. फतेहपुर-सीकरी
३५४	वीरसेन, श्री	.. हापुड़
३५५	वीरेन्द्र वर्मा, श्री ..	.. कैराना
३५६	वीरेन्द्रशाह, राजा ..	.. कालपी
३५७	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री ..	.. महोबा
३५८	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ..	.. घाटमपुर
३५९	शंकरलाल, श्री ..	.. कादीपुर
३६०	शकुन्तला देवी, श्रीमती ..	.. हरौरा
३६१	शब्बीर हसन, श्री ..	.. खजुहा
३६२	शमसुल इस्लाम, श्री ..	.. निधपुर
३६३	शम्भूदयाल, श्री ..	.. संडीला
३६४	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री ..	.. हरद्वार
३६५	शिवगोपाल तिवारी, श्री ..	.. सफीपुर
३६६	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया) ..	.. सिधुवाजोबना
३६७	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	.. खीरी
३६८	शिवमंगलसिंह, श्री ..	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमूर्ति, श्री ..	.. फूलपुर
३७०	शिवराजबली सिंह, श्री ..	.. फतेहपुर
३७१	शिवराजबहादुर, श्री ..	.. नवाबगंज
३७२	शिवराजसिंह यादव, श्री ..	.. बिसौली
३७३	शिवराम, श्री ..	.. अफजलगढ़
३७४	शिवराम पांडेय, श्री ..	.. डेरापुर
३७५	शिववचन राव, श्री ..	.. सलेमपुर (दक्षिण)
३७६	शिवशंकरसिंह, श्री ..	.. डलमऊ
३७७	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	.. इकौना
३७८	शीतलाप्रसाद, श्री ..	.. तरबगंज
३७९	शोभनाथ, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
३८०	श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	..	लखनऊ (छावनी)
३८१	श्यामलाल, श्री	..	..	माट
३८२	श्यामलाल यादव, श्री	..	..	मुगलसराय
३८३	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	..	..	किथोर
३८४	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	..	..	उझानी
३८५	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	..	खेरागढ़
३८६	श्रीनाथ, श्री	..	..	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८७	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	..	मथुरा
३८८	श्रीनिवास, श्री	..	..	गांगिरी
३८९	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	..	शाहगंज
३९०	संग्रामसिंह, श्री	..	..	सोरांव (पूर्व)
३९१	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	..	ज्वालापुर
३९२	सजीवनलाल, श्री	..	..	हसनगंज
३९३	सत्यवती देवी रावल, श्रीमती		..	दादरी
३९४	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९५	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	..	सरजू
३९६	सियादुलारी, श्रीमती	..	..	करवी
३९७	सीताराम, डाक्टर	..	..	सिलहट
३९८	सीताराम शुक्ल, श्री	..	..	हरैया (पूर्व)
३९९	सुक्खनलाल, श्री	..	..	हसनपुर
४००	सुखरानी, श्रीमती	..	..	फतेहपुर
४०१	सुखरामदास, श्री	..	..	टांडा
४०२	सुखलाल, श्री	..	..	औरैया
४०३	सुखीराम भारतीय, श्री	..	..	फूलपुर
४०४	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	..	..	मऊ
४०५	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	..	सलोन
४०६	सुन्दरलाल, श्री	..	..	फरीदपुर
४०७	सुरथ बहादुर शाह, श्री	..	..	निघासन
४०८	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	..	हमीरपुर
४०९	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	..	..	पुवायां
४१०	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	..	..	बिसवां
४११	सुल्तान आलम खां, श्री	..	..	कायमगंज
४१२	सूरतचन्द रमोला, श्री	..	..	टेहरी
४१३	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	..	हाटा
४१४	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	..	बांसी (पूर्व)
४१५	हमीदुल्ला खां, श्री	..	..	चारदा
४१६	हरकेशबहादुर, श्री	..	..	पट्टी
४१७	हरदयालसिंह, श्री	..	..	जलालाबाद
४१८	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	..	हाथरस
४१९	हरदेवसिंह, श्री	..	..	देवबन्द
४२०	हरिदत्त कांडपाल, श्री	..	..	रानीखेत (उत्तर)
४२१	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	..	दातागंज
४२२	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	..	पाली

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
४२३	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	..	सीतापुर
४२४	हरीसिंह, श्री	..	..	किथौर
४२५	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री		..	मुरादाबाद शहर
४२६	हिम्मतसिंह, श्री	..	..	डिबाई
४२७	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	..	कसरगंज
४२८	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री		..	मंझनपुर
४२९	होरीलाल यादव, श्री	..	..	कन्नौज
४३०	(रिक्त)	..	..	रानीखेत (दक्षिण)
४३१	(रिक्त)	..	..	इगलास

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132556

मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः--मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जियनपुरवा डकैती सम्बन्धी जांच

१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--दिनांक ९-९-६० के तारांकित प्रश्न ७ व १६ के पूरक प्रश्नों के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री एस० डी० ओ० द्वारा लिये गये बयानों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)--बयानों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या यह सच है कि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र भी डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था कि सौर में पड़ी महिला, जिसके बदन से डाकुओं ने जेवर खींचे या उतारे थे, उसका बयान लिया जाय ? यदि हां, तो एस० डी० ओ० साहब ने उक्त महिला का बयान क्यों नहीं लिया ?

श्री चरणसिंह--जी हां। २१-६-६० को डिप्टी कमिश्नर को एक प्रार्थना-पत्र मिला था। एस० डी० ओ० द्वारा महिला का बयान न लिए जाने के कारण संलग्न नोट में दिये हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९० पर)

**३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेण्ट्स) द्वारा वापस किये गये उन सारे कागजात को जिनके लिये बताया गया है कि स्वयं डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेण्ट्स) ने यह एहसास किया कि इस मामले की जांच उन्हें नहीं करना चाहिये, जिन भी हालात में वे वापस किये गये, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—कागजात को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न नोट में जो यह बताया गया है कि एस० डी० एम० ने घटना स्थल पर जाकर महिला के पिता के बयान लिये तो यह किस आधार पर उन्होंने घटना स्थल पर जाकर बयान लिये ?

श्री चरणसिंह—क्योंकि शिकायत थी इसलिये बयान लिये।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एस० डी० एम० ने जो जांच की उस जांच के सिलसिले में क्या उनको वे कागजात भी दिये गये थे जो कि डी० वाई० एस० पी० (कम्प्लेण्ट्स) ने जांच की, लेकिन उनके अधिकार के बाहर की बात थी इसलिये वापस कर दिये थे ?

श्री चरणसिंह—मैं ठीक नहीं कह सकता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ पड़ी जिससे उनको कहना पड़ा कि यह जांच एस० डी० ओ० से ताल्लुक रखती है, उनके दायरे के बाहर है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने खुद ही इशारा कर दिया अपने सवाल म कि क्या दिक्कत थी। वह खुद ही कह रहे हैं कि किसी अफसर से दायरे के बाहर हो तो वह उसको वापस कर देगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं जानना चाहता हूं क्या चीज उनके दायरे के बाहर थी ?

श्री चरणसिंह—हर आफिसर का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होता है, उसका अधिकार क्षत्र सीमित होता है। यह चीज उनके दायरे के बाहर होगी इसलिये वापस कर दिया होगा, मुझे नहीं मालूम किस लिये वापस किया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इस बात को देखते हुये कि इस तरह के जितने केसेज हैं उनके लिये डी० वाई० एस० पी० (कम्प्लेण्ट्स) रखे गये हैं इसलिये यह मामला उनको भेजा गया था, क्या माननीय गृह मंत्री जी फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस मामले को क्यों वापस कर दिया ?

श्री चरणसिंह—डी० वाई० एस० पी० (कम्प्लेण्ट्स), राज्य कर्मचारियों के खिलाफ जो शिकायतें हों उनकी तहकीकात करने के लिये नियुक्त हुये हैं न कि डकैती की तहकीकात क लिये।

नार्मल स्कूल, बरहज के छात्राध्यापकों की मांगें

**४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके पास इस बात की शिकायत देवरिया के एक विधायक द्वारा दिनांक ७ फरवरी, १९६१ को आई है कि नार्मल स्कूल, बरहज, देवरिया के प्रिंसिपल के अवैधानिक कार्यों के विरुद्ध दिनांक २८ जनवरी, १९६१ को छात्राध्यापकों ने हड़ताल कर दी ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—१० फरवरी, १९६१ को इस प्रकार की दरखास्त आई है।

**५--श्री उग्रसेन--क्या शिक्षा मंत्री नार्मल स्कूल, बरहज, देवरिया के छात्राध्याकों द्वारा उनको फरवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह में दिये गये मांग-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मांग-पत्र में जो १८ बातें छात्राध्यापकों की तरफ से विभाग को भेजी गईं और प्रश्नकर्ता द्वारा भी भेजी गईं उन बातों पर कौन सी कार्यवाही की गई ? प्रिंसिपल पर उनका आरोप था "छात्राध्यापकों से पैसा लेकर स्कूल में कृषि कार्य कराना, चन्दा लेकर रसीद नहीं दी, अवैधानिक तरीके से मुखलाल और जगदीश चौबे का नाम काट दिया," आदि-आदि बातों के बारे में कौन-सी कार्यवाही की गयी, क्या मंत्री जी इसके बारे में बतलायेंगे ?

श्री धर्मसिंह--इसकी जांच की जा रही है।

श्री उग्रसेन--छात्राध्यापकों की हड़ताल कितने दिनों तक चलती रही ? क्या विभाग के किसी अधिकारी ने उसमें हस्तक्षेप किया ?

श्री धर्मसिंह--ये तमाम बातें एक पत्र में लिखी गयी थीं स्टूडेंट्स की तरफ से और उग्रसन जी ने भी लिखी थीं। इस पर पूरे तरीके से जांच की जा रही है, इसमें हड़ताल की बात भी शामिल है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि छात्राध्यापकों की परीक्षा निकट आ रही है और प्रिंसिपल का व्यवहार उनके विरुद्ध है, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था मंत्री जी करेंगे कि प्रिंसिपल का स्थानान्तरण कर दिया जाय जिससे जांच समुचित रूप से हो सके ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल इस बात की जांच नहीं हो सकती। डायरेक्टर आफ एजूकेशन और डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन से कहा गया है कि एक हफ्ते में शासन को रिपोर्ट भेजें। मामूली तौर से डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर आफ एजूकेशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन उनको लिखा गया है कि क्योंकि शासन को जल्दी कार्यवाही करनी ह इसलिये डिप्टी डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट भेज दें।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसे आदेश दिये ह कि व तुरन्त जांच करक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें ?

श्री धर्मसिंह--यहां से डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन को जल्दी जांच करके भेजने को लिखा गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह बात सही है कि छात्राध्यापकों की हड़ताल के फलस्वरूप प्रिंसिपल ने यह धमकी दी है कि उनके करेक्टर रोल में बैड इन्ट्री कर दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह--क्या बात सही है और क्या गलत है, इस सबकी जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट आने के पहले कुछ कहना उचित न होगा।

श्री उग्रसेन--जिन छात्राध्यापकों का नाम गलत तरीके से काट दिया गया है, जगदीश चौबे और मुखलाल का, क्या उनके बारे में सरकार यह आदेश भेज देगी कि उनको दाखिल कर लिया जाय ताकि उनका वर्ष खराब न जाय ?

श्री धर्मसिंह---यह जांच में सम्मिलित कर दिया जायगा। यदि बात सही हुई तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---[२२ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २८-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[२२ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५-६---श्री मदन पांडेय---[२२ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७-८---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७१---७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९---श्री ऊदल---[२२ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०-११---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७३---७४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१२-१४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

ताल रतोय पम्प नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*१५---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ताल रतोय पम्प नहर में ली गई भूमि, बाग, कुंओं आदि का मुआवजा सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रदान कर दिया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---जी नहीं, किसानों की ली गई भूमि और पेड़ों का सारा मुआवजा दिया जा चुका है। जो व्यक्ति दो बार नोटिस दिये जाने के बावजूद भी नहीं आये उनका मुआवजा ९८४.७१ रुपया खजाने में जमा कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी के पास १३-२-५८ की दरख्वास्त आयी है जिनमें लिखा है कि कुंओं और पेड़ों का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---दरख्वास्त तो नहीं मिली, लेकिन यह बात सही है कि पेड़ों का मुआवजा दिया जा चुका है और कुओं का नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि वहां कुएं भी हैं या नहीं और यह भी कि मौके पर अधिकारी जांच करने नहीं जाते हैं, केवल ओवरसियर की रिपोर्ट पर ही ऐसा उत्तर दे दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति---कोई ओवरसियर गया या कौन गया इसकी स्थिति मुझे नहीं मालूम है। बहरहाल उसकी जांच हुई और उसके बारे में मैंने आपको बतलाया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुएं जो खेत में पड़ते हैं उनका मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा दिया जाता है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके बारे में इस वक्त मुझे कोई इनफार्मेशन नहीं है।

*१६---श्री रामसुन्दर पांडेय---[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७---श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---[हटा दिया गया।]

*१८---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[२२ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१९-२०---श्री ऊदल---[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

घोड़ा रोशन घास के उत्पाटन के लिए प्रार्थना

*२१---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कांस तथा घोड़ा रोशन के उन्मूलन की योजना प्रदेश में कहां-कहां चल रही है? इस योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है?

श्री चरणसिंह---ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस तरह का कोई सर्वे कराया है कि घोड़ा रोशन घास प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने एकड़ में होती है?

श्री चरणसिंह---यह घोड़ा रोशन घास अधिकतर पश्चिमी जिलों में होती है, लेकिन इसका कोई भी सर्वे गवर्नमेंट ने नहीं कराया कि हर जिले में, हर गांव में कितने एकड़ में यह होती है, लेकिन आम तौर पर यह पश्चिमी जिलों में होती है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से कांस उन्मूलन के लिये सरकार ने एक योजना बनायी है उसी तरह से इस घोड़ा रोशन घास के उन्मूलन के लिये भी सरकार कोई योजना आगे बनाने के लिये विचार करेगी?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। घोड़ा रोशन घास कोई नुकसान देने वाली नहीं है बल्कि यह घास स्वायल इरोजन यानी जमीन की रक्षा करने का भी काम करती है और खाद का भी काम करती है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, पछांह की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी तरफ घोड़ा रोशन घास बहुत नुकसानदेह है और जिस खेत में यह हो जाती है उससे उसका जाना मुश्किल हो जाता है और वह बराबर बढ़ती चली जाती है। श्रीमन् १५---१५ फीट गहराई तक इसकी जड़ें बराबर बढ़ती चली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसका नाम पश्चिम में कुछ दूसरा हो।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, जब माननीय मंत्री जी वाराणसी होते हुए जौनपुर की तरफ आयेंगे तो गर्मी के महीने में उनको सड़क की दोनों तरफ हरी हरी घोड़ा रोशन घास दिखायी देगी, इससे उनको असलियत का पता लग जायगा।

श्री अध्यक्ष---यानी उधर माननीय मंत्री जी घोड़े पर चढ़ कर जायं? (हंसी)

कुंवर श्रीपालसिंह---किसी भी सवारी से जायं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि कम से कम मेरठ जिले में ही खेतों का सर्वेक्षण करा लें कि वहां घोड़ा रोशन घास कितने एकड़ में हो रही है?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, इसके सर्वे करने की यों आवश्यकता नहीं है कि यह घास इनजुरियस नहीं है। इसका कोई दरख्त तो होता नहीं। इसका दूसरा नाम बेसुरी भी है। घोड़ा रोशन घास गर्मी के दिनों में होती है और जब लू तेज चलती है और मिट्टी खेतों से उड़ती है तो यह विंड इरोजन का काम करती है। यह घास बरसात में सूख जाती है तो इसकी पत्ती आर्गेनिक मेन्योर का काम करती है और यह स्वायल इरोजन का भी काम करती है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी चली जाती हैं। हमारे एक्सपर्ट की राय यह है कि यह नुकसानदेह घास नहीं है। इसलिये कोई योजना या सर्वे का सवाल नहीं है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी वाराणसी की एक तहसील भदोही या ज्ञानपुर में सर्वे कराने की कृपा करेंगे जिससे नतीजा निकल सके कि उससे पैदावार पर कोई असर पड़ता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप लिखित दे दें तो वे इसकी इनक्वायरी करा लेंगे।

*२२---**श्री मदन पांडेय**---[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

बिरहाना, लखनऊ में हत्या

*२३---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९ सितम्बर, १९६० को लखनऊ शहर में कितनी हत्यायें हुईं तथा कहां-कहां पर?

श्री चरणसिंह---दिनांक १९-९-६० को लखनऊ शहर में केवल एक हत्या हुई जो मो० बिरहाना के चौराहे पर घटित हुई थी।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि उक्त हत्या दिन में हुई और हत्यास्थल से थोड़े ही फासले पर वहां कान्सिटेबिल मौजूद था?

श्री चरणसिंह---जी, यह बात गलत है, वह झगड़ा शाम के ४ बजे हुआ था जो कि हत्या की जड़ रहा, लेकिन वह हत्या रात के साढ़े ९ बजे हुई थी।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त हत्या की गई उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम भी हुआ? यदि हुआ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री चरणसिंह---पोस्टमार्टम जरूर हुआ होगा, वह रिपोर्ट मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने हत्या की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या?

श्री चरणसिंह---उसका मुकदमा चल रहा है, यदि आपकी इजाजत हो तो घटना भी बता दूं .....

श्री अध्यक्ष---क्या मुकदमा सबजूडिस है?

श्री चरणसिंह---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आप केवल एलीगेशन्स बता दें।

श्री चरणसिंह---१९ सितम्बर, १९६० को करीब ४ बजे शाम को घटनास्थल के निकट एक साइकिल वाले से जानकी नामक एक व्यक्ति की टक्कर हो गई और आपस में कुछ झगड़ा हुआ। इतने में अभियुक्त श्रीराम आ गया और उसने जानकी को डांटा और इस पर जानकी ने अभियुक्त को थप्पड़ भी मार दिया। मामला खत्म कर दिया गया।

इसके कुछ देर के पश्चात् श्रीराम अभियुक्त जानकी के घर पर गया व जानकी को ललकारा व बुरा भला भी कहा, परन्तु जानकी घर पर नहीं था । करीब ९–३० बजे रात्रि में शिवस्वरूप उर्फ लल्लू, विशन दयाल के साथ दुकान पर पान खा रहा था । जानकी भी वहां पर था । इसी बीच में अभियुक्त भी आ गया और फिर उसने जानकी को ललकारा और जानकी को कांते से मारा परन्तु जानकी ने कांते को अपने डंडे पर रोका जो टूट गया । इस पर अभियुक्त ने चाकू निकाला व जानकी को चाकू से मारना प्रारम्भ किया । शिवस्वरूप ने जानकी को बचाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसे भी मारा । विशनदयाल भी बचाने को दौड़ा परन्तु अभियुक्त ने उसे भी चाकू से मारा जिसके फलस्वरूप वह तुरन्त ही प्राणहीन होकर गिर गया । अपराधी का चालान अदालत भेज दिया गया है ।

श्री मदन पांडेय––क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इधर लखनऊ जैसे शहर में चौराहों पर दिन दहाड़े कई हत्यायें हो गई हैं, इनको रोकने के लिये वह कोई नया कदम उठायेंगे जिससे इसको रोकने में वह समर्थ हो सकें ?

श्री चरणसिंह––मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं ।

श्री उग्रसेन––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय रात के साढ़े ९ बजे हत्या हुई उस समय कोई पुलिस कान्सटेबिल वहां मौजूद था ?

श्री चरणसिंह––उस समय और उस जगह तो नहीं ही होगा क्योंकि होता तो बचाने की कोशिश करता ।

घोरारीकलां स्टेशन के निकट शव मिलना

*२४––**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना अचलगंज, जिला उन्नाव के अन्तर्गत जुलाई, १९६० में एक व्यक्ति की कत्ल की हुई लाश घोरारीकलां स्टेशन के निकट रेल की पटरी के पास पड़ी हुई पाई गई थी ? यदि हां, तो उस मामले की छानबीन का क्या परिणाम निकला और कातिल लोग पकड़े गये या नहीं ?

श्री चरणसिंह––जी हां, जांच से ट्रेन (Train) द्वारा कटने से मृत्यु का होना पाया गया । कातिल को पकड़ने का सवाल नहीं उठता ।

श्री भीखालाल––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस की जांच के दौरान में इस बात का भी पता लगा कि जिस वक्त वह लाश रेल की पटरी के किनारे पड़ी थी उसके बाद वहां से एक मालगाड़ी गुजरी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर लाश को देखा और उसके बाद उसने आगे जाकर स्टेशन मास्टर को एक कागज लिखकर दिया कि वहां एक लाश मरी हुई पड़ी है और ट्रेन से आदमी नहीं कटा है ?

श्री चरणसिंह––पाइंटसमैन ने तो रिपोर्ट की थी कि लाश पड़ी हुई है । उसका पोस्टमार्टम कराया गया और सिविल सर्जन की राय यह है कि यह आदमी कट कर मरा है । लिहाजा कोई कातिल का सवाल नहीं उठता । जो शख्स मरा है वह गलत आदतों में फंसा हुआ था, मसलन जुआ आदि । हो सकता है कि जुए में हार गया हो इसलिये आत्महत्या कर ली हो । पुल पर वह लाश पाई गई है और वह दौड़-भाग नहीं सकता था क्योंकि उसका एक पैर कमजोर था, तो यह भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन मर्डर नहीं किया गया ।

श्री भीखालाल––क्या यह सही है कि जिस थाने का यह वाकया है वहां के हेड मुहर्रिर ने चूंकि इस घटना की रिपोर्ट कत्ल में लिखी थी इसलिये उसे मुअत्तल भी किया गया था ?

श्री चरणसिंह––इतनी बात तो मुझको नहीं मालूम है जितनी कि माननीय मित्र को मालूम है ।

*२५-२६--श्री भजनलाल (जिला इटावा)--[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जालौन जिले में हत्यायें

*२७--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, १९५८ से अब तक जिला जालौन में कुल कितनी हत्यायें हुईं और उन हत्याओं पर धारा ३०२ तथा धारा ३०४ ताजीरात हिन्द के कितने मुकदमें चलाये गये, इन मुकदमों में कितने मुकदमें अदालत में सिद्ध हो कर सजायाब हुये ?

श्री चरणसिंह--१५ अगस्त, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक जिला जालौन में कुल ६१ हत्या की घटनाओं की रिपोर्ट हुई । इनमें से ४० पर धारा ३०२ भा० दं० वि० और १० पर ३०४ भा० दं० वि० के मुकदमे चलाए गए जिनमें से धारा ३०२ भा० दं० वि० के १६ मुकदमें और धारा ३०४ भा० दं० वि० के ४ मुकदमें न्यायालय से सजायाब हुए ।

*२८-३०--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--[६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३३--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कोपागंज तथा दीदारगंज चौकियों को थाना बनाने की प्रार्थना

*३४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आजमगढ़ जिले की पुलिस चौकी कोपागंज को थाने के रूप में परिवर्तित करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह--प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*३५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दीदारगंज पुलिस चौकी, जिला आजमगढ़ को थाने को रूप में परिवर्तित करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और कब तक इसका निर्णय हो जायगा ?

श्री चरणसिंह--मार्च, सन् १९५९ में डी० आई० जी० ने कोपागंज में एक चौकी कायम करने की सिफारिश की थी, लेकिन इस बीच में पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन की नियुक्ति हो गई और जब तक उनकी रिकमेंडेशंस आयें तब तक के लिये इस पर विचार मुल्तवी कर दिया गया ।

*३६--श्री लक्ष्मणराव कदम--[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ में राजभवन के सामने विद्यार्थियों का प्रदर्शन

*३७--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १५ नवम्बर, १९६० को लखनऊ में राजभवन के सामने विद्यार्थियों का कोई प्रदर्शन हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृप्या बतायेगी कि उक्त प्रदर्शन का क्या कारण था ?

श्री चरणसिंह--जी हां । प्रदर्शन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ नजरबन्द विद्यार्थियों के छोड़े जाने की मांग के सिलसिले में था ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त प्रदर्शनकारी वर्तमान वाइस चांसलर के हटाये जाने की भी मांग कर रहे थे ?

श्री चरणसिंह---विद्यार्थियों का बहुत दिनों से इस प्रकार का आन्दोलन चल रहा था, लेकिन जो प्रदर्शन था उस रोज उसमें तो खास मांग जो विद्यार्थी नजरबंद थे उनको छोड़े जाने के सिलसिले में थी । बाकी जैसा मैंने कहा उनकी मांग और एजीटेशन बहुत दिनों से थी और वाइस चांसलर को हटाए जाने के संबंध में भी थी ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि विद्यार्थियों का एक डैपूटेशन भी उस दिन राज्यपाल महोदय से मिला था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उनकी तरफ से क्या मांगें पेश की गई थीं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो बताया है कि विद्यार्थियों को छुड़ाने की खास मांग थी ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार ने उनकी दो प्रमुख मांगों पर---वाइस चांसलर को हटाने और नजरबंद विद्यार्थियों को छोड़े जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि दूसरी जो मांग थी वह तो बहुत दिनों से चली आ रही थी और यह प्रदर्शन जो हुआ वह विद्यार्थियों को छुड़ाने के बारे में हुआ, तो आप उसी के बारे में पूछ सकते हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि दूसरी मांग भी उसमें थी ?

श्री चरणसिंह---चांसलर साहब ने उन लड़कों से यह कहा कि वह लोग उनको मेमोरेंडम दें कि क्या-क्या मांगे हैं । यह बात १५ तारीख की है जिस रोज कि प्रदर्शन हुआ और १६ तारीख को उन्होंने मेमोरेंडम चांसलर साहब को दे दिया । उस मेमोरेंडम की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुख्य मांग उस रोज थी विद्यार्थियों को छोड़े जाने की । उसका नाम ही रिलीज डे था जो कि उस दिन मनाया गया था । उनकी मुख्य मांग स्वीकृत हो गई । कुछ दिन बाद वह लोग छोड़ दिये गये ।

श्री उग्रसेन---मेरे तो प्रश्न का उत्तर हुआ नहीं, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---उत्तर हो गया ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो विद्यार्थियों की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन ले कर गये थे विद्यार्थी तो उन्हें रिहाई के संबंध में क्या उत्तर दिया गया ?

श्री चरणसिंह--- जिनके सामने प्रदर्शन हुआ था वह जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने एक जवाब दे दिया है कि विद्यार्थी कुछ दिनों बाद छोड़ दिये गये । उत्तर क्या दिया गया, वह नहीं बता सकते ।

श्री मदन पांडेय---मंत्री जी बतायेंगे कि राज्यपाल महोदय द्वारा, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की जो मांगें थीं उनके संबंध में, कोई निर्देश अथवा सूचना प्राप्त हुई है जिसमें विद्यार्थियों को छोड़ने की सलाह दी गई है ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं जानना चाहता हूं राज्यपाल महोदय के सम्मुख जब हम प्रदर्शन करते हैं तो किस नियम के मुताबिक यहां राज्यपाल हमको आ करके जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष--आप लोग यहां पर एक दूसरे के लिये 'आयरोनीकल' या हंसी उड़ाने के हेतु जवाब देते हैं तो उसके लिये नियम नहीं होता है, बिना नियम जवाब होता है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि राज्यपाल महोदय के सम्मुख जो स्मृति-पत्र दिया गया उसकी प्रति सरकार के पास राज्यपाल जी ने भेजी हैं ?

श्री चरणसिंह--जी, मुझे इल्म नहीं है । मैं केवल अनुमान यह लगा सकता हूं कि उन्होंने भेजी होगी और वह शिक्षा विभाग में होगी । इस समय मेरे सामने सवाल केवल प्रदर्शन का था । अब मैंने उससे सम्बन्धित सभी विभागों की फाइलों का तो अध्ययन किया नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा करेगी कि राज्यपाल के सम्मुख जो स्मृति-पत्र दिया गया उसकी मांगों को देखे ताकि जिस प्रकार से कल व्यवहार विश्वविद्यालय में हुआ माननीय वी० के० कृष्णा मेनन के सामने जिसमें वाइस-चांसलर को विद्यार्थियों ने नहीं बोलने दिया वैसी पुनरावृत्ति फिर न हो ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता । बात यह है कि गृह मंत्री जी के सुपुर्द यह प्रश्न इसलिये किया गया कि इसमें ला ऐंड आर्डर का कोई सवाल था या कोई गिरफ्तार हो कर जेल गया हो उसके बारे में सवाल था । अब शिक्षा विभाग से संबंधित कोई चीज हुई है तो गृह मंत्री उस संबंध में जवाब नहीं दे सकते ; उसके लिये आपको पुनः प्रश्न करना पड़ेगा ।

*३८-३९--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[पांचवें सोमवार, के लिये प्रश्न ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बदापुर में शीतल कुर्मी की संदिग्ध हत्या

*४०--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बाराबंकी के अन्तर्गत थाना लोनी कटरा, ग्राम बदापुर में दिनांक १२ नवम्बर, १९६० को जब रात्रि को शीतल कुर्मी मजदूरी में उर्द काट रहा था और खेत की रखवाली कर रहा था जान से मार कर गायब कर दिया गया ? क्या इसकी इत्तला थाने में की गई ? यदि हां, तो जांच-पड़ताल का क्या नतीजा हुआ और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--दिनांक १२-११-६० को थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखी गई कि शीतल कुर्मी उर्द काटने गया था परन्तु लौटकर नहीं आया । इस संबंध में पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से शीतल कुर्मी का पता नहीं चला है और न यह कहा जा सकता है कि वह मार डाला गया है । जांच अभी जारी है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--गृह मंत्री जी बतायेंगे कि कहा जाता है शीतल कुर्मी मार डाला गया तो मार डालने वालों का पता लगाया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और अगर नहीं पता लगाया गया तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--श्री शीतल कुर्मी एक आदमी के खेत पर उर्द काटने गया था । उस आदमी ने शीतल कुर्मी के लड़के को बताया कि तुम्हारा बाप जो खेत काटने गया था अब तक घर में नहीं लौटा है और जो उसके कपड़े थे वह भी गायब हैं । अब यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कत्ल हुआ । तहकीकात हो रही है खुद कहीं चला गया या कत्ल हुआ है, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि इस कत्ल की जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो उन्होंने कत्ल हो गया यह नहीं कहा है, उन्होंने यह कहा कि जांच हो रही है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--इस मामले की जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है ?

श्री चरणसिंह--पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा ।

श्री प्रतापसिंह--इस बात को देखते हुए कि एक व्यक्ति के जीवन से इस बात का संबंध है, १२ नवम्बर, १९६० से पुलिस इस बात की जांच क्यों नहीं कर पाई है ?

श्री चरणसिंह--जीवन से जरूर संबंध है और अभी तीन ही महीने हुए हैं और तीन साल की जांच के बाद भी इस नतीजे पर पुलिस पहुंच सकती है कि उसका पता नहीं लगता कि क्या हुआ उसका ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी में जिस प्रकार की घटना हुई है कि एक व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है वह मारा गया या उसका क्या हुआ इसी प्रकार की घटनायें प्रदेश म पिछले दिनों काफी बड़ी संख्या में हुई हैं जिनमें यह पता नहीं लग पाया कि वे व्यक्ति मारे गये उनका क्या हुआ तो क्या वे जांच के तरीके में परिवर्तन करेंगे ताकि इस प्रकार के अपराधों का पता लगाया जा सके ?

श्री चरणसिंह--यों तो पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिये पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन बैठा हुआ है और उससे कहा यह गया है कि पुलिस की एफिशियेंसी कैसे बढ़े उसके मुताल्लिक वह अपना सुझाव दे और उस पर विचार किया जायगा लेकिन इस सबके बावजूद भी ऐसी घटनायें हो सकती हैं कि लोग गायब हो जायं और पता न लगे ।

धरसडा निवासी श्यामलाल यादव के घर कथित डकैती

*४१--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, थाना कुर्सी, ग्राम धरसडा में श्यामलाल अहिर के यहां १५/१६ सितम्बर, १९६० की रात्रि में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट किस धारा में लिखी गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। कोई डकैती नहीं पड़ी और न डकैती की कोई रिपोर्ट थाने पर लिखाई गई ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्यामलाल के यहां डकैती पड़ी थी जब कि डकैती की रिपोर्ट न लिख कर चोरी में रिपोर्ट लिखी गयी ?

श्री चरणसिंह--मेरी इत्तला यह है कि कोई डकैती नहीं पड़ी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जिसे डकैती कहा जा रहा है थाने में उसी श्यामलाल की चोरी की रपट दर्ज है ?

श्री चरणसिंह--कोई रपट थाने में दर्ज नहीं हुई। मेरे पास इत्तला यह है कि डी० एस० पी० ने मौके पर जांच की जिससे पता लगा कि कोई व्यक्ति न किसी के घर में घुसा, न लूटा गया।

श्री राजनारायण--फिर डी० एस० पी० ने किस घटना की जांच की ?

श्री चरणसिंह--यह रिपोर्ट हुई कि थाना कुर्सी, ग्राम धरसडा में श्री श्यामलाल के यहां १५/१६ सितम्बर की रात्रि में कोई डकैती नहीं पड़ी थी। अलबत्ता श्री श्यामलाल ने १५ दिसम्बर, १९६० को थाना कुर्सी पर यह रिपोर्ट दी थी कि पिछली रात में जब वह ११ बजे के लगभग पेशाब करने को घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि १५-१६ व्यक्ति उसके घर के पास

से होकर जा रहे हैं। पूछगछ करने पर वे लोग उसको मारने के लिये आगे बढ़े परन्तु श्यामलाल के चिल्लाने पर वे लोग भाग गए। इस आशय की रिपोर्ट जनरल डायरी में लिखी गई। चूंकि कोई अपराध की घटना नहीं हुई थी अतः कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया। फिर भी डी० एस० पी० गया तो उसको मालूम हुआ कि न कोई लूटा गया, न कोई किसी के घर में घुसा। इसलिये इसे चोरी की रिपोर्ट भी नहीं कहा जा सकता और न डकैती कहा जा सकता है।

श्री राजनारायण--- जब माननीय मंत्री जी इस बात को जान गये कि श्यामलाल यादव थाने पर रपट करने गया और उसने एक वाकये की रपट की और उसके अन्दर इतनी बात आ गयी कि १५-१६ आदमी हथियार बन्द उसके मकान के पास से जा रहे थे जो पूछगछ करने पर उसे मारने आये तो क्या सरकार इस रपट से इस नतीजे पर पहुंचने की कृपा करेगी कि सही रपट जो श्यामलाल लिखाना चाहते थे उसको पुलिस वालों ने नहीं लिखा और अपनी मनमानी रपट लिख ली है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, सरकार यह नतीजा निकालने के लिये तैयार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो रिपोर्ट थाने में लिखी गयी है उस रिपोर्ट के खिलाफ श्यामलाल ने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास कोई दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त पर जांच करने गये थे ?

श्री चरणसिंह---इसकी नोटिस की आवश्यकता होगी कि आया उसने एस० पी० के यहां रिपोर्ट की तब डी० वाई० एस० पी० गये। मेरे पास जो इत्तला है वह यह है कि डी० वाई० एस० पी० मौके पर गये और जिस नतीजे पर वे पहुंचे वह मैंने सुना दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री जी बताने की कृप ाकरेंगे कि पुलिस ने जांच की जनरल डायरी में रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद कि १०-१५ आदमी जो श्यामलाल को मारने के लिये आये वे कौन थे ?

श्री चरणसिंह---अब यह मुझको नहीं मालूम है कि आया उस आदमी ने उन आदमियों को पहचान लिया और उसकी कोई तहकीकात हुई, लेकिन जब वे आदमी इस तरह से हथियार बन्द जा रहे थे तो बेशक पुलिस ने नोटिस लिया होगा और आगे ध्यान रखेगी।

श्री राजनारायण---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब श्यामलाल यादव की रपट ठीक-ठीक थाने में जैसी बतायी जा रही है वही लिखी गयी तो डी० वाई० एस० पी० को जांच करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री चरणसिंह---मुझको नहीं मालूम है कि क्यों आवश्यकता पड़ी।

श्री राजनारायण---तो क्या सरकार कृपा कर इसका पता लगायेगी ?

श्री चरणसिंह---अब मैं पता लगा लूंगा।

*४२---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में उल्ल नदी से नष्ट रबी की फसल का मुआवजा

*४४--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला खीरी की उल्ल नदी में शारदा नहर से जनवरी-फरवरी, १९५९ में पानी छोड़ा गया था जिससे हजारों एकड़ रबी की फसल नष्ट हो गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को फसल नष्ट होने का कोई मुआवजा दिया है? यदि हां, तो कितनी रकम मुआवजे में दी गई है और मुआवजा पाने वाले किसानों की तादाद क्या है ?

श्री राममूर्ति--जी हां । पानी छोड़ने के फलस्वरुप ६९७.७५ एकड़ रबी की फसल को हानि हुई थी जिसके कारण ७५० किसान प्रभावित हुए थे । ६७३ किसानों को १९,३७९.०६ रुपया मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है ।

*४५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

कुमायूं इर्रीगेशन डिवीजन में कुछ कर्मचारि-यों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*४६--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि कुमायूं इर्रीगेशन डिवीजन, नैनीताल के उप-खण्डों के तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को सन् १९५८ से इन्क्रीमेण्ट मंजूर नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी हां । कुमायूं इर्रीगेशन डिवीजन के सात निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को सालाना तरक्की नहीं मिल सकी है, क्योंकि यह दूसरे दफ्तरों में पहले काम करते थे । वह दफ्तर टूट चुके हैं और इन लोगों की सर्विस बुक्स वहां से उपलब्ध नहीं हुई हैं । सर्विस बुक्स के लिये तलाश की जा रही है । परन्तु अभी अभी यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जब से यह कर्मचारी कुमायूं इर्रीगेशन डिवीजन, नैनीताल में काम कर रहे हैं तब से इनको प्रतिवर्ष के लिये एक तरक्की दे दी जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी ने यह भी आदेश दिये हैं कि सर्विस बुक जो तलाश की जा रही हैं वह अगर किसी विभाग ने खो दी हैं तो उस पर क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री राममूर्ति--अभी तो तलाश हो ही रही है । जब खो जाने की इत्तला आ जायगी तब आदेश दिया जायगा ।

हल्द्वानी-हल्दूचौड़ नहर के किनारे प्रोटेक्शन वाल बनाने पर विचार

*४७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी हाल ही में हल्द्वानी-हल्दूचौड़ नहर के किनारे कोई 'प्रोटेक्शन वाल' न होने से एक रिक्शा नहर में गिर गया जिसके कारण ३ बच्चों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सरकार उक्त नहर के किनारे पर 'प्रोटेक्शन वाल' बनाये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां । फिलहाल सरकार कथित नहर के किनारे पर 'प्रोटेक्शन वाल' बनाये जाने के विषय में विचार कर रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इस बात को देखते हुए कि यह नहर जो बरेली-हल्द्वानी मोटर रोड सब से अधिक थारोफेयर उस इलाके में है उसी के किनारे यह नहर है और दिन रात ऐसी दुर्घटनायें होती रहती हैं तो जैसा उन्होंने प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर दिया कि आदेश दे दिये गये हैं वैसे ही आदेश इसमें भी देने की कृपा करेंगे कि प्रोटेक्शन वाल, अविलम्ब बना दी जाय ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, हल्द्वानी शहर में इस बात का खतरा समझा गया था तो वहां पर तो म्युनिसिपैलिटी ने अपनी नहर बन्द कर रखी है, लेकिन चूंकि बाकी हिस्से में हल्द्वानी के नीचे यह नहर खुली हुई है और सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की है और उसने सफेद तूदे बना रखे हैं जिससे मोटर चलाने वालों या और यात्रियों को पता रहे कि इसके पीछे जाना मुनासिब नहीं है। अब उसके बाद इर्रीगेशन मुहकमे का यह काम नहीं है कि कोई प्रोटेक्शन वाल बनाये। यह काम अगर हो सकता है तो पी० डब्ल्यू० डी० का हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है और क्या पी० डब्ल्यू० डी० को भी लिखा गया है ?

श्री राममूर्ति—यह बात पी० डब्ल्यू० डी० की नोटिस में लायी गयी है और वे विचार कर रहे हैं कि आया इसको पाटा जाय या न पाटा जाय।

देहरादून में श्री माधोकृष्ण तथा श्री अशोक कुमार की ड्रिलिंग मशीन की चपेट में मृत्यु

*४८—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को तथा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश को इस बात की सूचना मिली है कि ३० अगस्त, १९६० को देहरादून के भीड़-भाड़ वाले मुहल्ले में सुप्रसिद्ध गौड़ परिवार के दो बच्चे श्री माधोकृष्ण तथा अशोककुमार, सिंचाई विभाग के एस० डी० ओ० की लापरवाही से विभाग की ड्रिलिंग मशीन की चपेट में आ गये और मर गये ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस दुर्घटना की सूचना मिली थी और मामले की जांच पुलिस द्वारा हो चुकी है।

*४९—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—पुलिस नें जांच के बाद ड्रिलिंग मशीन के ड्राइवर को दोषी ठहराया है और उसके ऊपर चार्जशीट लगाकर अदालत में भेज दी है। इस समय मामला अदालत के विचाराधीन है।

*५०—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य सरकार की ओर से उक्त पीड़ित परिवार को क्या सहायता अथवा मुआवजा दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—कोई सहायता अथवा मुआवजा नहीं दिया गया है।

नानक सागर मजदूरों सम्बन्धी बढ़ोत्तरी वेतन, छटनी तथा मुआवजा

*५१—श्री प्रताप सिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नानक सागर के मजदूरों को इस वर्ष का बढ़ोत्तरी वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—साधारणतः वर्क चार्ज्ड स्टाफ (consolidated) वेतन पर रक्खा जाता है किन्तु योग्यतानुसार समय-समय पर उनका वेतनबढ़ा दिया जाता है और ऐसा ही इस वर्ष किया गया।

*५२—श्री प्रताप सिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९६० से आज तक कितने मजदूरों व मैकेनिकों को नोटिस मिला है और क्यों ?

श्री राममूर्ति—नानक सागर निर्माण में १५ अगस्त, १९६० से आज तक एक ट्यूबवेल आपरेटर और एक बेलदार को, एक माह का नोटिस देने के पश्चात् सेवायें समाप्त कर दी गई, क्योंकि इनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी ।

*५३—श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २४ जुलाई, १९६० को श्री रामस्वरूप, फिटर की टांग काम करने में टूट गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसका इलाज हुआ या नहीं ? उसके लिये मुआवजे का क्या प्रबन्ध किया गया और उसे कितने दिन का वेतन नहीं मिला ?

श्री राममूर्ति—जी हां । घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया । मुआविजा के लिये सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्राप्त हो गई है । अब इस संबंध में उचित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जायगी । वेतन २५ जुलाई, १९६० से १७ सितम्बर, १९६० तक की अवधि का नहीं मिला ।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी जब इस बात को तसलीम करते हैं कि उस आदमी की टांग में चोट आई और उसकी वजह से वह २५ जुलाई, १९६० से सितम्बर, १९६० तक अस्पताल में रहा तो क्या वह उसको बीच के इन दिनों का वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, कायदा यह है जैसा कि मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया कि वह वर्क चार्ज में था और वर्क चार्ज में रोजाना की तनख्वाह होती है और चूंकि उन दिनों उक्त सज्जन ने कोई काम नहीं किया इसलिये उस जमाने की तनख्वाह तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन कम्पेंसेशन ऐक्ट के अनुसार उनको कम्पेंसेंशन दिया जायगा । रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता के पास आ गई है और वह उसको लेबर कमिश्नर के पास भेज रहे हैं और जो उनका कम्पेंसेशन बनेगा वह उनको दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष जो बढ़ोत्तरी का वेतन नानक सागर के मजदूरों को दिया गया है वह किस दर से दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—हर एक आदमी का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहली मार्च, १९६० से २१३ आदमियों को इंक्रीमेंट मिला है और ७७७ रुपये मिले हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इसकी जांच करेंगे कि जब अफसरान की मर्जी में आता है तो आदमियों को निकाल दिया जाता है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा वह वर्क चार्ज में होते हैं या मस्टर रोल में होते हैं तो क्या वह ऐसा करेंगे जिससे अफसरान उनको इस तरह से न निकाल सकें ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, सिंचाई विभाग के अफसरान तो बड़े उदार हैं । इस प्रश्न के सिलसिले में केवल दो आदमियों को निकाला गया है एक तो नानक सागर के ऊपर जेल के मुहकमें के लोग काम कर रहे थे । उनके लिये एक ट्यूबवेल बनाया गया था जो एक आर्जी चीज थी और उसके लिये एक आर्जी टयूबवेल आपरेटर रखा गया था, उसको हटाया गया है । दूसरे एक और सज्जन थे, उनको वहां से हटाया गया है । उन्होंने एक रोज खटीमा के डाक बंगले में जहां एक सहायक विकासायुक्त ठहरे हुए थे शराब पीकर कुछ बदतमीजी की बातें कीं । उनको डिसप्लीनरी ऐक्शन में एक महीने का नोटिस देकर हटा दिया गया ।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि दूसरे साहब शराब पीये थे जो हाइडिल के कर्मचारी हैं । जब उनके इंजीनियर से शिकायत की तो उन्होंने खुद लिखा है कि बिना इजाजत के उन्हें नहीं ठहरना चाहिये था । वह शराब पीकर नहीं ठहरे थे बल्कि रात होने के कारण ठहरे थे, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ताकि उनको नौकरी में रखा जा सके ?

श्री राममूर्ति---श्रीमन्, इतने ब्यौरेवार मेरे पास सूचना नहीं है। मेरे पास जो जवाब है वह मैंने अर्ज कर दिया।

हरी खाद के बीज वर्द्धन के लिए राज्य सहायता

*५४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---दिनांक २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कर में से सहायता की रकम को काट कर जिन किसानों से कर वसूल किया गया है उनकी संख्या कितनी है और ऐसे कर की कुल कितनी धनराशि है तथा कितनी धनराशि सहायता की है और वे नलकूप कहां-कहां लगे हैं जिनसे संबंधित किसानों को यह रियायत प्राप्त हुई है ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर जिले में "पलेवां" सिंचाई में अधिक रुपये की वसूली

*५५---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि "'पलेवा" के लिये सीतापुर जिले में नहर के पानी की दर ९ रु० प्रति एकड़ तथा रबी खरीफ की फसल के लिये ७ रु० प्रति एकड़ है और उपरोक्त "पलेवा" के ही लिये शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली, रामपुर इत्यादि जिलों में ३ रुपया प्रति एकड़ दर निश्चित है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जिले के लिये अधिक दर निश्चित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---जी हां। गलती से सीतापुर जिले में पलेवा का ९ रुपया प्रति एकड़ रबी में और ७ रुपया खरीफ में लिया जा रहा है यद्यपि सही रेट ३ रुपये ७५ नये पैसे और ४ रुपये ५० नये पैसे हैं। इस गलती को दूर करने तथा अधिक ली हुई राशि को वापस करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निश्चित दर से अधिक वसूल की गयी धनराशि कुल कितनी है और यह कब से वसूल की जा रही है ?

श्री राममूर्ति---धनराशि के आंकड़े कुल मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जब से सर्कुलर लेटर निकला था, गालिबन पहली अप्रैल, १९५३ से है, जो सर्कुलर लेटर निकाला गया था उसके मुताबिक सीतापुर के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पास किसी वजह से आर्डर पहुंचा नहीं। इस गलती से यह रुपया वसूल किया जा रहा था। चूंकि गलती सही कर दी गयी है, रुपया वापस कर दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह सर्कुलर जो १९५३ का है, किन्हीं जिलों में इसके न पहुंचने से गलती पायी गयी है, क्या उन्होंने यह मालूम कर लिया है कि अन्य जिलों में यह पहुंच चुका है और उस पर तामील भी हो रही है?

श्री राममूर्ति---यह सवाल केवल सीतापुर जिले के बारे में था। उसके बारे में जबाब दिया गया कि वहां यह गलती हो गयी थी। चूंकि गलती दुरुस्त हो गयी है, वहां पर लोगों का रुपया वापस कर दिया जायगा, जो अधिक लिया गया है।

श्री भोखालाल---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान इस गलती की ओर इस प्रश्न के करने के बाद गया या पहले गया था ?

श्री राममूर्ति---मेरा अनुमान ऐसा है कि सवाल करने के बाद ध्यान पहुंचा।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि यह गलती किस अधिकारी द्वारा हुई और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—अधिकारी का नाम तो मुझे नहीं मालूम। सिंचाई विभाग का जो दफ्तर यहां पर है वहीं से यह सर्कुलर्स सब जगह जाते हैं। गालिबन किसी पी० ए० से गलती हुई होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों से यह रुपया अधिक लिया गया और अब वापस किया जायगा, मुनादी द्वारा वहां की जनता को इसकी सूचना दे दी जाय ?

श्री राममूर्ति—यह मुनासिब बात है। मैं इसको करवा सकता हूं।

श्री राजनारायण—प्रश्न ५५ में कहा गया है कि शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली आदि जिलों में तीन रुपये प्रति एकड़ दर निश्चित है, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में केवल सीतापुर को छोड़कर अन्य सब जिलों में तीन रुपये प्रति एकड़ ही लिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—प्रदेश में नहरों के रेट भिन्न-भिन्न हैं। जिस तरह से रेट है, उसी तरह से पलेवा का भी रेट लिया जाता है और उसके कुछ शेड्यूल भी बने हुए हैं जो माननीय सदस्यों को मालूम होंगे।

'ताल पताछ प्रोजेक्ट' की जांच

*५६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'ताल पताछ' जिला आजमगढ़ का सर्वे करने का आदेश चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग "पूर्वी रेंज" लखनऊ में आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिया है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है और प्रोजेक्ट की जांच हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पर काम कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—काम की तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट करीब एक लाख रुपये की लागत के बनेगा। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही काम होगा।

हेमपुर फार्म से कुछ कर्मचारियों को हटाने की शिकायत

*५७—**श्री प्रतापसिंह**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ जनवरी, १९६० से आज तक हेमपुर पशुधन एवं कृषि फार्म (जिला नैनीताल) के कितने कर्मचारियों को उनके कार्यभार से अलग किया गया ?

श्री चरणसिंह—हेमपुर फार्म से किसी भी कर्मचारी को दिनांक २ जनवरी, १९६०, से उसके कार्य भार से अलग नहीं किया गया है।

*५८—**श्री प्रतापसिंह**—क्या गृह मंत्री कृपया उपर्युक्त कर्मचारियों के निकाले जाने का कारण बतायेंगे ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि यदि २ जनवरी, १९६० को नहीं निकाला तो उसके बाद किसी कर्मचारी को निकाला गया या नहीं ?

श्री चरणसिंह—मैंने जबाब दिया कि २ जनवरी से अब तक तो कोई नहीं निकाला गया। वहां ८२ कर्मचारी है। तीन ने स्वयं इस्तीफा दे दिया है और तीन ट्रांस्फर कर दिये गये हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ८२ कर्मचारियों में से जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके इस्तीफा देने का क्या कारण था ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

सदर तथा न्यू झांसी थाने द्वारा पकड़ा गया डकैती केस

*५९---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ दिसम्बर, १९६० को झांसी जिले में सदर और न्यू झांसी थाने की सहायता से जो डकैती का केस पकड़ा गया है, उसमें कितने मिलिट्री तथा पुलिस के आदमी सम्मिलित हैं ? क्या सरकार उक्त मामले का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जालौन जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र

*६०---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ तथा सन् १९६० में इकनाली टोपीदार, दुनाली टोपीदार, इकनाली कारतूसी, दुनाली कारतूसी तथा रिवाल्वर व पिस्तौलों के लाइसेंस पाने के लिये जिला जालौन के जिलाधीश को कितनी-कितनी दरख्वास्तें दी गयीं और कितनी-कितनी मंजूर की गयीं ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९२ पर)

फर्रुखाबाद जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र

*६१---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक जिला फर्रुखाबाद में आर्म्स लाइसेंस के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये ? प्रत्येक तहसील में प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या थी ?

श्री चरणसिंह---१३३८। जिसमें से तहसील फर्रुखाबाद में ३५७, कायमगंज में ३४६, छिबरामऊ में ४२२ एवं कन्नौज में २१३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

*६२---**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)---उक्त प्रार्थना-पत्रों में कितने प्रधानों और कितने विधायकों के प्रार्थना-पत्र थे ?

श्री चरणसिंह---प्रधानों के ७२ तथा विधायक का केवल १ प्रार्थना-पत्र था ।

*६३---**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)---उक्त कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुए और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह---कुल प्रार्थना-पत्रों में से २५५ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए और ४०५ विचाराधीन हैं ।

सुरहाताल की मछलियों से आय

*६४---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुरहा ताल, जिला बलिया से १ अप्रैल, १९५६ से लेकर ३१ मार्च, १९६० तक मछलियों की बिक्री से कितनी आमदनी सरकार को हुई है और उक्त ताल पर कितना प्रति वर्ष उसे खर्च करना पड़ा है ?

श्री राममूर्ति---यह विभाग सुरहा ताल में मछलियों की बिक्री नहीं करता है परन्तु अनुज्ञा शुल्क के रूप में मछेरों से ८ रुपये प्रति नाव प्रति वर्ष लिया जाता है इस प्रकार १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक इस विभाग की आमदनी और खर्च का विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३ पर)

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूची में जो ५६-५७ और ५७-५८ में आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा हो गया है उसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, खर्चा इसलिये ज्यादा है कि इस ताल में जलकुम्भी बहुत हो जाती है। उस जलकुम्भी की वजह से नावों को चलाने में दिक्कत होती है। सरकार उस जलकुम्भी को निकलवाने में पैसा खर्च किया करती है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी उन मछुओं की, जो कि वहां मछली मारते हैं और जिनसे ८ रुपया प्रति नाव लिया जाता है, कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसमें उनके द्वारा मछली मारने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अभी विभाग के सामने इस प्रकार का कोई प्रश्न है नहीं।

कृषि विभाग में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के सुपरवाइजर

*६५---**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक कृषि विभाग में कितने सुपरवाइजर लिये गये ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के थे ?

श्री चरणसिंह---४९७। २ अनुसूचित जातियों के तथा २ पिछड़ी जाति के थे।

*६६---**श्री लायकसिंह चौधरी**---उपर्युक्त सुपरवाइजरों में से कितने ग्रामीण तथा कितने शहरी हैं ?

श्री चरणसिंह---४२५ ग्रामीण तथा ७२ शहरी थे।

श्री लायकसिंह चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कुल ४९७ लिये गये उनमें अनुसूचित जातियों के दो और पिछड़ी जातियों के भी दो ही थे, तो उनके इतने कम लिये जाने के क्या कारण थे ?

श्री चरणसिंह---४९७ आदमी जो लिये गये उनमें से ३९७ तो डिप्लोमा होल्डर्स की जो एक सूची रखी जाती है डाइरेक्टर ऐग्रीकल्चर के आफिस में उनमें से रखे गये और जो सूची है उसमें शिड्यूल कास्ट का कोई आदमी है या नहीं है इसका कोई विवरण नहीं होता। शेष १०० आदमियों के लिए ऐडवर्टाइजमेंट किया गया। उनमें अप्लाई सिर्फ दो शिड्यूल कास्ट के लोगों ने और दो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने किया।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में भी क्योंकि अभी तक अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो निर्धारित है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और न तो पिछड़ी जातियों के लिये वह प्राथमिकता दी जा रही है इसलिये जिस प्रकार उन्होंने माल विभाग के मंत्री की हैसियत से सर्क्युलर निकाला था कि उनकी पूर्ति के लिये प्रयत्न से किया जाय उसी प्रकार से कृषि विभाग में भी इस प्रकार का सर्क्युलर जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---राजस्व विभाग में जो इस तरह का सर्क्युलर था वह केवल चपरासी आदि के सम्बन्ध में था। जहां खास ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वहां तो जब तक वह ट्रेनिंग प्राप्त नवयुवक न मिलें तब तक भर्ती नहीं की जा सकती और इस जगह जो मालूम होता है वह यही कि डिप्लोमा नहीं था उनके पास इसलिये उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी। तो इस तरह का सर्क्युलर निकालने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि जो यह पोस्ट ऐडवर्टाइज की गई थी वह किन साधनों से की गई थी और उसमें कितने दिन का समय था अप्लाई करने के लिये?

श्री चरणसिंह---जो साधन होते हैं पोस्ट ऐडवर्टाइज करने के वही इस्तेमाल किये गये थे अर्थात् समाचार पत्र और अप्लीकेशन पहुंचने की तारीख मसलन सन् ५९ का मेरे पास है उसमें थी ५ मई, १९५९ तक और ऐडवर्टाइजमेंट किया गया २० अप्रैल, सन् ५९ को। लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता कि कौन सी तारीख को ऐडवर्टाइज किया गया। ज्यादा जानकारी चाहते हों तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि डिप्लोमा या ऐग्रीकल्चरल स्कूलों में जब सेलेक्शन किया जाता है तो वहां इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग सेलेक्ट किये जा सकें?

श्री चरणसिंह---कृषि के डिप्लोमा का जो कोर्स है, मैं समझता हूं कि पिछड़ी जाति और शिड्यूल कास्ट के लिये उसके दाखिले के सिलसिले में कोई खास इस तरह की हिदायत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन लोगों के यहां खेती होती है उनको प्रिफरेन्स दिया ही जाता है। लेकिन मैं इसकी मालूमात कर लूंगा और अगर आवश्यकता हुई तो इस तरह के आदेश जारी करने की बात पर विचार किया जायगा।

मंत्रियों की आवास व्यवस्था

*६७---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान मन्त्रि-मन्डल के मन्त्रिगण पुराने मन्त्रियों के ही मकानों में रह रहे हैं या किन्हीं नये छोटे मकानों में रह रहे हैं?

श्री राममूर्ति---मंत्रिमंडल के मंत्रिगण में से केवल वित्त मंत्री विक्रमादित्य मार्ग पर बने पुराने मंत्रियों के आवासों में से एक आवास में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इनके लिये अन्य उपयुक्त मकान की व्यवस्था की जा रही है। अन्य मंत्रिगण छोटे प्राइवेट अथवा मकानों में रह रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतलायेगी कि १३-ए, माल एवेन्यू, मकान जो सरकार का था और जिसमें भूतपूर्व गृह मंत्री रहते थे, अब उसमें कौन रह रहा है?

श्री राममूर्ति---उसकी जो मेन बिल्डिंग है उसमें शिक्षा मंत्री आचार्य जुगलकिशोर रह रहे हैं। उसकी अनेक्सी खाली है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतलायेगी कि छोटे और बड़े मकान का मापदंड किस आधार पर है, रेन्ट पर, एकोमोडेशन या डबल सिंगिल स्टोरी होने पर?

श्री राममूर्ति---इसका कोई बहुत रिजिड आधार नहीं बनाया गया है। ५ मकान जो मिनिस्टरों के विक्रमादित्य मार्ग पर हैं उनका बड़े मकानों में शुमार था। उसी लिहाज से उनको बड़ा समझा गया। इस १३-ए० माल ऐवेन्यू के मकान को भी बड़ा समझा गया जिसका जिक्र किया गया किन्तु अब उसके दो हिस्से कर दिये गये हैं ताकि उसको छोटा बना दिया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलायेगी कि १३-ए, माल ऐवेन्यू को भी यह सरकार बड़ा मकान मानती है या छोटा मकान मानती है ?

श्री राममूर्ति--पहले बड़ा मकान था लेकिन अब उसको छोटा कर दिया गया है।

मंत्रियों की गाड़ियों की व्यवस्था

*६८--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार मंत्रियों की जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको बेचने वाली है या भिन्न विभागों को देने वाली है ? यदि बेचने वाली है, तो बेचने की क्या व्यवस्था है ?

श्री राममूर्ति--मंत्रियों तथा सचिवालय के पूल की गाड़ियों में से १० गाड़ियों को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचने का निश्चय किया गया है। इनमें से अभी तक २ बड़ी गाड़ियां बेच दी गई हैं। यह नीलाम परिवहन आयुक्त द्वारा किया जा रहा है।

*६९--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--सरकारी घोषणा के अनुसार मन्त्रियों को जो छोटी गाड़ियां दी जायेंगी वे सरकारी स्टाक से दी जायेंगी या नई खरीदी जायेंगी ? यदि नई खरीदी जायंगी तो कम्पनियों से किस मेक की तथा किस रेट की खरीदी जायेंगी ?

श्री राममूर्ति--मंत्रियों के लिये अभी तक ७ नई अम्बेसेडर (Ambassador) तथा एक फिएट (Fiat) गाड़ी खरीदी जा चुकी है तथा ३ अम्बेसेडर (Ambassador) गाड़ियों के और खरीदने की व्यवस्था की जा रही है। अम्बेसेडर (Ambassador) तथा फिएट (Fiat) का मूल्य क्रमशः १२,३९६ रु० तथा १०,५२६ रुपया प्रति गाड़ी के लगभग है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जिन दो गाड़ियों का नीलाम हो गया है वह किस आधार पर नीलाम हुआ है ?

श्री राममूर्ति--एक गाड़ी १७ हजार की और दूसरी १३ हजार रुपये की नीलाम हुई है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह ८ नयी गाड़ियां खरीदी गयी हैं और ३ ली जाने वाली हैं उन पर टोटल खर्च कितना होगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बतला दिया कि एक एक गाड़ी का क्या मूल्य है। टोटल आप स्वयं लगा लीजिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में लगान की अनियमित वसूली के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार मेरे पास जो प्रश्न आये हैं उनमें से श्री रामचन्द्र विकल जी के प्रश्न को मैंने स्वीकार किया है और वह यह है :

"नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के हेतु आपकी आज्ञा चाहता हूं। तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में चकबन्दी होने के पश्चात् किसानों से १३५९ फसली से १३६६ फसली तक का एक साथ लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों को उज्रदारी का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार लगान की अति-अनियमित वसूली से किसानों में बड़ा असंतोष है।"

इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मैं इसमें तीन दिन का समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह कि आप २७ को अपना वक्तव्य देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने तीन दिन का समय मांगा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। पता नहीं २७ को हाउस बैठेगा अथवा नहीं, इसलिये कल अथवा परसों यदि माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट दे दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर सरकार का इरादा २७ को सदन की बैठक करने का न हो तो २४ को ही आप स्टेटमेंट दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा कोई इरादा नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष--लेकिन अगर ऐसा इरादा हो जाय तो आप २५ को तैयार रहियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुछ वक्त लगेगा सूचना वहां से मंगाने में।

श्री अध्यक्ष--आप डिटेल न दें। यह वसूली ७ साल की वहां होती है अथवा नहीं इसकी सूचना मांगने में एक या दो दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने कह दिया है कि इत्तला इकट्ठा कर ली जाय, लेकिन दफ्तर से तीन दिन का वक्त मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष--तो २४ के लिये आप तैयार रहिये। अगर २७ को सदन बैठे तो आप २७ को जवाब दे दें, लेकिन अगर २७ को बैठक न हो तो आप २४ को जवाब दे दें।

श्री उग्रसेन--हमारे यहां का भी ऐसा ही एक प्रश्न था। हमारे यहां देवरिया, गोरखपुर आदि में भी लगान वसूली बड़े जोरों से की जा रही है तो उसकी भी रिपोर्ट मंगा कर यदि मन्त्री जी साथ में दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--अगर एक जगह के लिये यह सिद्धान्त तय हो जाय कि ७ साल की वसूली एक साथ ठीक नहीं है तो वह बात सब जगह लागू हो जायगी।

श्री उग्रसेन--जो क्षतिग्रस्त जिले हैं उनके लिये भी तो कुछ होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह हो जायगा।

प्रदेश के ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त जिलों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कल कुछ विवरण पढ़ कर सुनाया था जिसे आज उन्होंने बंटवा दिया है। इस सम्बन्ध में जो लोग कुछ प्रश्न करना चाहें वे उनसे प्रश्न कर सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि आगरा की बाबत जो उन्होंने लिखा है कि १० हजार रुपया अहेतुक सहायता दी जा चुकी है तो उसके बाद और किसी प्रकार की सहायता भी दी गई है या नहीं और अगर सरकार ने नहीं दी है तो क्या वहां के अधिकारियों ने कोई और सहायता मांगी है?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--जिलाधीशों को आदेश दे दिया गया है कि जिसको जितनी जरूरत हो वह सरकार के पास उसे लिखे और सरकार फौरन सहायता मन्जूर करेगी।

---

†२० फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)––क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने इसमें जो जौनपुर के विषय में लिखा है कि ६ नये पैसे से लेकर १०० नये पैसे तक नुकसान हुआ है, तो ५० नये पैसे से लेकर १०० नये पैसे तक किन-किन गांवों में नुकसान हुआ है और उनमें कितनी-कितनी छूट देने की सरकार ने आज्ञा दी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––अभी तो सरसरी तौर पर तखमीना हुआ है । इसके बाद आखिरी तखमीना किया जायगा और जो नियम के अनुसार होगा उस हिसाब से छूट दी जायगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)––मन्त्री जी ने कहा है कि गोरखपुर जिले में किसी भी ग्राम में १६ आने की क्षति नहीं है और ७५ पैसे तक वाले ४४ ग्राम हैं। मेरा कन्टेशन है कि १३० ग्रामों में ऐसा है जहां सोलहों आने क्षति हुई है। क्या मन्त्री जी मेरा अनुरोध मान करके स्वयं वहां की दुर्दशा को देखने का कष्ट करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन––माननीय प्रश्न-कर्ता ने कल मुझे कुछ दरख्वास्तें दी थीं। उस पर मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है, शायद उन्हीं गांवों का हवाला वे दे रहे हैं।

श्री मदन पांडेय––जी हां ।

श्री अध्यक्ष––उनके लिये तो उन्होंने रिपोर्ट कलेक्टर से मांगी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––कानपुर जिले में जिन ८८१ गांवों का जिक्र है कि जहां ओलों से क्षति हुई है, क्या मन्त्री जी तहसीलवार उन गांवों की सूची बतायेंगे कि कितनी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––जो विवरण-पत्र में है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर डिवीजन में आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों में जहां काफी क्षति हुई है वहां ज्यादा पैसों की सहायता नहीं दी है उसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––चूंकि जिलाधीश ने नहीं मांगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––जौनपुर जिले में जहां कि टोटल फसलों की क्षति हुई है वहां भी जैसे अन्य जिलों में पैसे भेजे गये हैं, वैसे ही भेजा गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––वह तो विवरण-पत्र में दिया हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––क्या माननीय मन्त्री जी ने प्रदेश भर में जहां-जहां ओलों से इतना अधिक नुकसान हुआ है वहां जो लगान वसूली हो रही है उस को स्थगित करने का आदेश दे दिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––मैंने आदेश दे दिया है कि उसकी वसूली करने में कोई कोअर्सिव मेजर्स इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)––क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में १० हजार रुपये की जो सहायता दी गई है वह तहसीलवार किन-किन को कितनी सहायता दी गई है और जिस जगह ५२१ गांव प्रभावित हुये हैं, ३८,७६१ एकड़ जमीन प्रभावित हुई है और ५० से ७५ पैसे तक का नुकसान हुआ है वहां इतनी कम सहायता क्यों दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम तहसीलवार नहीं जिलेवार देते हैं। कलेक्टर जहां जैसी मांग होती है उसके हिसाब से तकसीम करते हैं। जो कलेक्टर जितना लिखते हैं हम उसी के हिसाब से उनको दे देते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में ११ गांवों में इतनी अधिक क्षति हुई फिर भी इतनी कम धनराशि क्यों दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने जवाब दे दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अगर कलेक्टर क्षति की मात्रा को देखते हुये जैसे गोरखपुर डिवीजन में हुआ है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं और अधिक धन नहीं मांगते हैं तो क्या सरकार स्वतः आदेश देगी कि वहां पर तुरन्त सहायता दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे तो ऐसी आशा है कि कलेक्टर्स ऐसी कोताही नहीं करेंगे। उचित समझेंगे तो जरूर मांगेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जहां शतप्रतिशत नुकसान हुआ है वहां पर कुछ अहेतुक सहायता देने की कृपा क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने तो उत्तर दे दिया है कि कलेक्टर ने जितना मांगा उतना हमने दे दिया।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि जालौन जिले में ३३ नये पैसे से अधिक अनुमानित हानि हुई है और यह देखते हुये कि पिछली वर्षा से और भी काफी नुकसान हुआ है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि वहां के लिये कुछ सहायता दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां-जहां भी हानि हुई है कायदे के अन्दर वहां सहायता दी जायगी, अगर उस कायदे कानून में वह नहीं आयेगा तो हमारी मजबूरी होगी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि वहां पर एक सुअर तथा एक बछड़े की जान गई--वहां पर किसी हाथी की जान भी गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--हाथी के मरने की सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जिला पीलीभीत में १०० प्रतिशत से भी अधिक की हानि बताई गई है। क्या माननीय मन्त्री जी जहां-जहां भी इतनी ज्यादा हानि हुई है वहां पर लगान की वसूली सस्पेंड करने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी उसका प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो अप्रैल, मई में जाकर कहीं होता है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, आजमगढ़ जिले में ७६ ग्रामों में ५० प्रतिशत की हानि हुई है, तहसील लालगंज के ६ ग्रामों में ५० नये पैसे से ८० नये पैसे तक हानि हुई है, तो माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के जिलाधीश ने कोई सहायता मांगी है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मन्त्री जी बाराबंकी जिले में, जहां पर गोमती नदी के किनारे सैलाब आया था, जहां पर सारी फसल खराब हो गई है और लोगों के खाने तक के लिये कुछ फसल बाकी नहीं रही है, वहां के लिये कुछ सहायता देने को कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां-जहां भी सहायता देने की जरूरत समझी जायगी नियमानुसार वहां सहायता दी जायगी।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में जहां कि पिछली ओला वर्षा से २९६ गांव प्रभावित हुये हैं और विशेषकर औरय्या तहसील में और इसके इर्द गिर्द १४ आने तक नुकसान हुआ है, तमाम पशु-पक्षी भी मारे गये हैं, वहां पर रबी की फसल का लगान और आबपाशी माफ करने की कृपा की जायगी और साथ ही सहायता भी दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने तो कहा कि अभी जहां-जहां भी नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाया जायगा और नियम के मुताबिक सहायता व छूट दी जायगी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिला खीरी के बारे में जो इसमें आंकड़े दिये गये हैं कि ७० गांव में २,५०० एकड़ भूमि प्रभावित हुई, यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता है क्योंकि इससे फी गांव में करीब ३५ एकड़ ही भूमि आती है, तो ऐसी सूरत में वहां के जिलाधीश से पुनः इसकी सही-सही सूचना मंगायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो हमने कहा ही है कि दोबारा फिर से चेकिंग होगी।

श्री अध्यक्ष---अब इसे समाप्त किया जाता है।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी २१ फरवरी, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्न-लिखित विधेयकों में सामान्य विवाद खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

१---उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१--- २१ फरवरी को सांयकाल ४ बजे तक।

२---उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०--- १ घंटा।

३---कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१--- ३ घंटा।

४---उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१--- १ घंटा।

५---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के अधिकारी, मन्त्री, उपमन्त्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१--- १ घंटा।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टेरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०, कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१,

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मन्त्री, उप मन्त्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट फीस संशोधन के सम्बन्ध में आपने आश्वासन दिया था कि जब विधेयक आयेगा तब समय बढ़ाकर लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, नियमानुकूल यह है कि सामान्य विवाद पर कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिये। लेकिन अभी बताया गया कि इतने बजे से इतने बजे तक फलां बिल पारित होगा तो क्या कोई नयी परिपाटी कायम करने जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बहुत से विरोधी दल के सदस्य नहीं गये थे।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने यह समय निश्चित किया मैं भी उसका सदस्य हूं—लेकिन मुझे सूचना तक नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—आपके कमरे में नोटिस पड़ा है, आप कमरे में न गये हों तो बात दूसरी है।

श्री बलदेवसिंह—मैं कमरे में ही था।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि यह प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति को पुनर्विचार के लिये वापिस कर दिया जाय। इसका कारण यह है कि कई पार्टियों के सदस्यों ने इस पर एतराज किया है और मेरी भी राय है कि इन विधेयकों के लिये जितना समय रखा गया है उसमें पूरी तरह से विवाद नहीं हो सकेगा और न उन विधेयकों के प्रति न्याय ही हो सकेगा। ऐसी दशा में सदन से मेरा निवेदन है कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर ले कि इस प्रस्ताव को उस समिति के पास पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—मैं श्री मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का समर्थन करते हुये यह और कहना चाहता हूं कि समिति के सदस्यों को ड्यू नोटिस नहीं मिला जो कि जरूरी था।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उग्रसेन जी तो वहां थे, वह कुछ नहीं कह सकते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय अवस्थी जी द्वारा जो संशोधन रखा गया है उसका समर्थन करते हुये निवेदन करूंगा कि जो कार्य मंत्रणा समिति की बात कही गई उसमें जहां तक भारतीय जनसंघ का सवाल है हमें कुछ पता नहीं और न हमारा कोई आदमी, बावजूद कई बार कहने के भी, इसमें रखा गया है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि अधिक से अधिक संशोधन मेरे हैं, अवस्थी जी के भी होंगे और जितने भी लोगों के हैं उनकी कोई राय नहीं ली गई। ये बड़े महत्वपूर्ण विधेयक हैं, खास कर अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक ऐसा है जिसमें सन् १९४८ से कोई चुनाव नहीं हुये। इसमें थोड़ा समय रखकर सरकार चाहती है कि यह ऐसे ही पास हो जायं, अच्छी तरह विचार न हो सके। ऐसी हालत में मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिये वापिस कर दिया जाय ताकि वहां हम अपनी बात भी रखवा सकें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जहां तक मुझे याद है जब इन्हीं विधेयकों के सिलसिले में अध्यादेश के स्वरूप में

निरनुमोदन के प्रस्ताव आये थे तब आपने कहा था कि इस समय ज्यादा समय नहीं बल्कि जब विधेयक के रूप में यह आदरणीय सदन के सामने आयेंगे तब काफी समय मिलेगा। मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की ओर से जो सिफारिश आई है उसमें, जितना समय होना चाहिये था उतने समय की सिफारिश नहीं की गई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय को फिर से कार्य मंत्रणा समिति को भेज दिया जाय कि वह दुबारा गौर करके अपनी सिफारिश करे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि अन्तरिम जिला परिषद् का एक छोटा सा विधेयक है, इसके लिये जो समय रखा गया है, वह ठीक ही है। लेकिन यह जो तरीका अपनाया जा रहा है विरोधी दलों की ओर से वह केवल डायलेटरी टैक्टिक्स हैं। वे इसमें देर करना चाहते हैं ताकि चुनाव जल्दी न हो पायें?

श्री अध्यक्ष—मैं आक्षेप के लिये इजाजत नहीं दूंगा। यह प्रस्ताव लाने का उनको अधिकार है कि इसको पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय। आप उस पर अपनी राय दें। अब मैं राय लेता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जब सब विरोधी दलों के नेतागण चाहते हैं तो फिर से विचार करने के लिये इसको भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इसको कार्य मंत्रणा समिति के पास पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इसके लिये फिर कल १० बजे का समय विचार के लिये रखता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हमें तो कल पहली बार ही मीटिंग की सूचना मिली थी। नहीं मालूम इसके पूर्व भी कोई सूचना अन्य दलों को मिली या नहीं?

श्री अध्यक्ष—कल ही सूचना दी गयी थी और आज पहली बार मीटिंग हुई थी।

श्री राजनारायण—क्या इस तरह की मीटिंग कार्य मंत्रणा समिति की फिर होगी?

श्री अध्यक्ष—कल सुबह १० बजे फिर होगी।

श्री राजनारायण—क्या इस मीटिंग को कांग्रेस दल के सचेतक बुलाते हैं या आप बुलाते हैं?

श्री अध्यक्ष—नियम यह है कि वे कहते हैं कि अमुक बिल के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय, तब मैं आज्ञा देता हूं कि समिति की बैठक को बुला लिया जाय। मैं स्वयं भी उसको बुला सकता हूं। लेकिन इस केस में मैंने उनकी दरख्वास्त पर कार्य मंत्रणा समिति को बुलाया।

विरोधी दलों के नेताओं का श्री अध्यक्ष द्वारा विचार-विमर्श के लिये अपने कमरे में बुलाया जाना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं यहां तो कोई व्योरे से जिक्र करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्य विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि उनको समय हो तो मैं उनसे अपने कमरे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। कल जिस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव आया था उसकी प्रथा के संबंध में कि वह क्या होनी चाहिये, आप लोग क्या प्रथा चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। फाइलों से मैं बताना चाहता हूं

[श्री अध्यक्ष]

कि पहले इस संबंध में क्या कार्यवाही हो चुकी है, उसके बाद जो मेरे दिल में बात थी, उसको कहना चाहता हूं फिर जो भी उनके दिलों में बात उठे उसे भी वे मुझसे कह दें । इससे आपस में स्पष्टीकरण हो जायगा । क्योंकि हम लोगों के बीच में गलतफहमी होना ठीक नहीं है क्योंकि हमारा एक ही खानदान है । जब आप पिछली कार्यवाही को देख लेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब-जब ऐसा प्रश्न उठा है उसमें प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । आज ही साढ़े तीन बजे आप लोग आ जायं ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैंने भी कार्यवाही देखी है, अध्यक्ष महोदय, और आपने पुराने दस्तूर के विरुद्ध कार्य किया है क्योंकि आपने सदन में यह बात कही इसलिये मैं भी यह कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप वहां इसका भी प्रमाण लायें और वहां हमारी जो बातचीत हो जाय उसके बाद जो भी आपकी राय हो उसको जाहिर करें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जिनका दिमाग साफ हो आपकी व्यवस्था के प्रति, वह भी आयें या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वे किसी पार्टी के नेता हों तो आयें, न हों तो न आयें ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इतना निवेदन कर दूं कि कभी-कभी हमारे साथ ज्यादती हो गई है और कभी-कभी हमारे साथ न्याय हुआ है । जब ज्यादती हुई तब तो इनको प्रसन्नता थी और न्याय होगा तो इनको रंज होगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं है, चाहे अध्यक्ष हों सिवा परमात्मा के जो गलती न करता हो । मैं भी गलती कर सकता हूं और जब कभी मैंने गलती की है उसे कबूल किया है और उसके लिये माफी भी मांगी है । तो ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी से गलती न हो ।

श्री राजनारायण—आप ने बड़ी कृपा की जो सब लोगों को बुला लिया । अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा । मैं जरूर आऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन शान्ति के साथ आइयेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, गलती की भी एक सीमा होती है । हमारे साथ जो गलती हो रही है वह कही नहीं जा सकती । हम पीछे बैठने वाले तीन-तीन, चार-चार दफा खड़े होते हैं लेकिन श्रीमन्, हमारी तरफ कभी देखा ही नहीं करते हैं । जो ७, ८ आदमी आपके सामने बैठते हैं, उन्हीं पर आपकी नजर जाती है । इनके ऊपर भी अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता तो हमारे दिल को सन्तोष होता । हमारे लिये तो जैसे नाग नाथ वैसे ही सांप नाथ । यह दोनों खतम हो जायं तभी हमारी जिन्दगी बच सकती है वरना नहीं बच सकती ।

नियम ५३ के अन्तर्गत नोटिस के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैंने दफा ५३ के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो वह आया नहीं है । क्या आपने आज ही दिया था ?

श्री प्रतापसिंह—मैंने तो कल ही भेजवा दिया था ।

132556

श्री अध्यक्ष---मैंने उसको अभी देखा नहीं है । उसके ऊपर तो दूसरे रोज भी निर्णय हो सकता है ।

श्री प्रतापसिंह---इसीलिये मैंने आपको याद दिला दी ।

*उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब स्वायत्त शासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय, स्वायत्त शासन मंत्री का भाषण जारी होगा ।

**स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था कि ३१ दिसम्बर को अधिनियम का कार्यकाल समाप्त हो रहा था इसलिये अध्यादेश द्वारा फिर इस विधेयक के लाने की आवश्यकता हुई । मैंने यह भी निवेदन किया कि इस विधेयक को अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल बढ़ाने के लिये लाने की जब आवश्यकता हुई तो इसमें इस बात की व्यवस्था भी कर दी गई कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा चुने हुये गैर सरकारी सदस्य हों ।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था क्योंकि इसके विषय में कई दफा जानकारी चाही गई थी कि अन्तरिम जिला परिषद् में जो ब्लाक की ओर से सदस्य होते हैं वे ब्लाक कमेटी के प्रमुख हैं या अन्य । मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होने का सम्बन्ध है, उसका बलाक कमेटी या ब्लाक कमेटी के प्रमुख से कोई ताल्लुक नहीं है । जो इसमें व्यवस्था की गई है वह यह है कि हर एक ब्लाक के अन्दर जितने प्रधान चुने हुये होंगे, केवल उन प्रधानों द्वारा प्रधान चुन कर अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य बनेंगे । यदि किसी जिले में ब्लाक की संख्या १० तक हो तो प्रत्येक खंड की गांव सभाओं के लिये एक सदस्य चुने जायेंगे, और यदि जिले में ब्लाक की संख्या १० से अधिक है तथा अन्य दशाओं में प्रत्येक खंड के लिये दो प्रतिनिधि चुने जायेंगे । जिस समय अन्तरिम जिला परिषद् का विधेयक आया और वह अधिनियम बना था तभी से यह चीज चालू है । वह माननीय सदस्यों के द्वारा पारित किया जा चुका है और इस को रखने का एक कारण यह था कि उसमें जो संस्था बने उसके सदस्यों की इतनी कम संख्या न हो कि वहां का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व न हो सके । यह स्पष्ट है कि प्रदेश में बहुत से छोटे जिले हैं, बहुत से बड़े जिले हैं और यदि कुछ साधारण नियम रखे जाते हर एक ब्लाक से २ प्रधानों को रखने के तो सम्भवत: अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ जाती कि उस संस्था का काम करना इतनी कुशलतापूर्वक न हो सकता । इसलिये यह व्यवस्था की गई थी और जसा कि मैंने निवेदन किया यह कोई नई व्यवस्था नहीं थी, यह व्यवस्था जिस दिन से अन्तरिम जिला परिषद् बनी हैं या पहले जो जिलों में नियोजन कमेटी थी उनकी भी थी । मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने जो यह विधेयक में प्रविधान नये अध्यक्ष के चुनाव का रखा है इसमे अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता में कोई परिवर्तन वर्गीकरण के हिसाब से नहीं किया है । जिस जिस वर्ग के, जिस जिस श्रेणी के सदस्य अब तक अन्तरिम जिला परिषद् में चले आये हैं उसी वर्ग और श्रेणी के सदस्य अब भी उसमें होंगे, केवल अन्तर व्यक्तियों में ही पड़ेगा और वह इसलिये क्योंकि ब्लाकों से नये प्रधानों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों को भेजने का इरादा है, इसी का विधान इसमें है । इसके अलावा कोई और विशेष परिवर्तन किसी श्रेणी या किसी वर्ग का या किसी और को प्रतिनिधित्व देने का इसमें नहीं है ।

---

* १४ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

† २० फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से ।

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

यद्यपि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु सदन में चूंकि यह चर्चा उठाई गई है और इस बात का आरोप या लांक्षन लगाया गया है कि यह जो अन्तरिम जिला परिषद् हैं उनमें अध्यक्ष के चुनाव की जो व्यवस्था की गयी है वह इस कारण की गयी है कि कांग्रेस दल अपने हाथ में शक्ति रखना चाहता है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि परिषदों के निर्वाचन और क्षेत्र समितियों के निर्वाचन इस विधेयक के द्वारा जो इस मान्य सदन से पारित होकर दूसरे सदन में गया है, हो जाते तो वह प्रश्न स्वयं हल हो जाता, लेकिन यह चुनाव किसी भी कारण से न हो सके, जो मौजूदा अन्तरिम जिला परिषदें थीं जिनका अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट था उसके बजाय जो नये चुनाव कराके गैर सरकारी सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया है यह उचित है या अनुचित है? यह माननीय सदस्य चाहते हैं या नहीं चाहते क्योंकि प्रश्न केवल इतना रह जाता है कि अन्तरिम जिला परिषदें अभी रहनी हैं जब तक कि कोई दूसरा इन्तजाम उनका न हो जाय। तो यह अन्तरिम जिला परिषदें जो काम करें वह चुने हुए अध्यक्ष के द्वारा करें या जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा करें, यह विचार करना है। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक में केवल इतनी ही बात कही गयी है। श्रीमन्, जो और धारायें हैं वह धारायें इसी चीज से आती हैं कि किस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या उसका नियम बनेगा, कौन उसके नियम बनायेगा, कौन अध्यक्ष हो सकेगा, इन सब चीजों का प्राविधान है। अध्यक्ष के बारे में इसमें अयोग्यतायें भी रखी गयी हैं। एक तो वह अयोग्य होंगे जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उम्मीदवार होने के लिये अयोग्य निर्धारित किया गया। विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य और संसद के सदस्य, यद्यपि वह अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होंगे किन्तु अध्यक्ष पद के लिये उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य आजकल सेक्रेटरी, सोल्जर्स बोर्ड भी होता है और उसके सम्बन्ध में यह संन्देह था कि वह सरकारी सदस्य है या गैर-सरकारी। इसलिये उसक ऊपर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह भी नहीं खड़ा हो सकता है। ये इस विधेयक की मोटी-मोटी बातें हैं।

मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल इतना और कहना चाहता हूं कि जो ब्लाकों से अन्तरिम जिला परिषद् के लिये प्रधानों के द्वारा सदस्य चुन जाने वाल हैं वह तब तक नहीं चुने जा सकेंगे जब तक कि यह विधेयक पारित हो कर अधिनियम न बन जाय और इसका कारण यह है कि प्रधानों के चुनाव बहुत-सी जगह हो चुके हैं किन्तु कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पंचायतों के सदस्यों का चुनाव तो हुआ किन्तु पंचायत के सदस्यों का दो-तिहाई चुनाव अभी तक नहीं हुआ, यानी जो संख्या सदस्यों की है उसमें से दो-तिहाई नहीं चुने जा सके। पंचायत अधिनियम में यह चीज है कि जब तक दो-तिहाई पंचायत के सदस्य नहीं चुने जाएंगे तब तक पंचायत कांस्टीट्यूट नहीं हो सकती। उसी में यह भी है कि जिस दिन से पंचायत का कार्यकाल प्रारम्भ होगा उसी रोज से प्रधान का कार्यकाल प्रारम्भ होगा और प्रधान प्रधान की हैसियत से तभी कार्य कर सकता है जब उसका, कार्यकाल प्रारम्भ हो जाय। तो स्थिति यह पैदा होती है कि यदि किसी पंचायत में दो-तिहाई सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है किन्तु प्रधान का चुनाव हो चुका है और हम यह संशोधन नहीं करते हैं जो कि इसमें रखा गया है तो वैधानिक तरीके से केवल पुराने प्रधान को इस बात का अधिकार रह जाता है कि जब हम ब्लाक के प्रधानों की मीटिंग बुलायें और चुनाव करायें तो वह पुराना प्रधान आवेदन कि नया चुना हुआ। मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य यह तो चाहेंगे कि जहां प्रधानों के चुनाव हो चुके हैं तो इन प्रधानों के द्वारा जो अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य बने उसमें यह नये प्रधान हिस्सा ले सकें। नये प्रधान हिस्सा ले सकेंगे तब जब कि हम यह विधेयक पारित कर देंगे क्योंकि इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि पंचायत कांस्टीट्यूट हुई हो या न हुई हो लेकिन अगर वहां प्रधान चुना गया है पंचायत के आम चुनाव में तो उस नये प्रधान को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य को चुनने के लिये राय दे सके। ब्लाक से जो सदस्य बनने हैं उसके

चुनाव के सम्बन्ध में बार-बार मुझसे बात पूछी गई । वह इस अधिनियम के ऊपर आश्रित है और इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम को शीघ्र ही पारित कर दें जिससे आगे चुनाव की कार्यवाही चला सकें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव पेश करने से पहले एक स्पष्टीकरण मांग लूं अगर आपकी इजाजत हो तो ।

श्री अध्यक्ष--फिर उसके बाद आप प्रस्ताव पेश नहीं करेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--करूंगा । यहां बीच में मंत्री जी ने कहा एक बार कि अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक सारी पंचायतों के चुनाव नहीं हो जायेंगे, नये प्रधान न आ जायं । फिर बाद में ऐसा कहा नये प्रधान वोट देंगे अध्यक्ष को । तो इनमें विरोधाभास है । जैसे हमारे यहां कुमायूं में कहीं भी पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है । तो इसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें क्या माने होंगे ।

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, वैधानिक स्थिति यह है जहां नये प्रधानों का चुनाव हो चुका है १९६१ में इसके द्वारा उनको अधिकार दिया जा रहा है अन्यथा पुराने ही प्रधान और पुरानी ही मेम्बर शिप है ।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है आप चाहते हैं नये प्रधान जो होंगे चुने हुये वह ही इसमें भाग ले सकेंगे प्रेसीडेंट के चुनने में ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं । ऐसा है तमाम प्रधान इस परिषद् के सदस्य नहीं होंगे और अध्यक्ष चुना जायगा अंतरिम जिला परिषद् के सदस्यों के द्वारा। मेरे कहने का मतलब यह है कि विधान यह है कि हर ब्लाक से प्रधानों के द्वारा चुना हुआ प्रधान अंतरिम जिला परिषद् का सदस्य बनता है । क्योंकि आम चुनाव अब हो चुका है इसलिये अंतरिम जिला परिषद् के लिये जो प्रधान, अब तक थे उनका कार्य-काल समाप्त होगा और नये प्रधान प्रधानों के द्वारा चुनवाये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--अगर कहीं चुनाव बाकी रह गया और चुनाव नहीं हुआ हो तो क्या होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--तो पुराने प्रधान को मिलता है ।

श्री अध्यक्ष--तो आपने क्या प्राविधान किया है कि जब तक नये प्रधान नहीं चुन जायेंगे तब तक परिषद् का चुनाव नहीं होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, इसका प्राविधान नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--एक तो प्रधान का चुनाव होगा अन्तरिम जिला परिषद् के, उसके बारे में कह दिया कि जो नये प्रधान चुने गये हैं वे चुनाव में भाग लेंगे और जहां पंचायत नहीं कांस्टीट्यूट हुई है (बनी है) और वहां के प्रधान का चुनाव हो गया है, वह भी नया चुना हुआ भाग लेगा । तो पुराने प्रधान भाग नहीं लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वहां पुराने प्रधान भाग लेंगे कि नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--ब्लाक के तमाम प्रधानों को इस बात का अधिकार है कि वह एक अपना प्रधान प्रतिनिधि चुन कर भेजें । अब १९६१ में प्रधानों के चुनाव हुये हैं । हमने केवल इतना इसमें किया है कि जिन प्रधानों के चुनाव १९६१ में हो चुके हैं और वहां पंचायत कांस्टीट्यूट नहीं हुई तब भी यह प्रधान उसमें हिस्सा ले सकेंगे । बाकी तो जो प्रधान हैं वे प्रधान हैं ।

श्री अध्यक्ष--जहां प्रधान का चुनाव नहीं हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जो पुराना प्रधान है वह हिस्सा लेगा ।

श्री राजनारायण--इस समय हर ब्लाक में एक ब्लाक का प्रधान चुना जायगा। तो भ्रम यह है कि किस प्रधान की बात है। तो जिला परिषद् के लिये ठीक हो गया। अब यह भी स्पष्ट हो जाय कि जो ब्लाक का प्रधान चुना जायगा उसके चुनाव में नये सभापति जो चुने गये हैं भाग लेंगे या पुराने भाग लेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--वैसे तो मैं कल कह चुका था लेकिन जहां तक ब्लाक बने हुए हैं आज कल यह तो नियोजन विभाग के द्वारा शासकीय आदेश से बने हुए हैं। इनमें जहां और बहुत से सदस्य होते हैं वहां इन गांव सभाओं के प्रतिनिधि भी ब्लाक्स के अन्दर होते हैं और वे भी प्रधान होते हैं। मैं अभी इस बात पर निश्चित नहीं हूं.....

श्री अध्यक्ष--आपके इस विधेयक में ब्लाक का भी सम्बन्ध आता है ।

श्री कैलाशप्रकाश--इसका कोई सम्बन्ध नहीं है यह मैं कल स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से एक बात साफ नहीं होती। पृष्ठ ३ पर आप देखें जो विधेयक उपस्थित किया जा रहा है उसमें स्पष्टीकरण में यह कहा गया है "इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ नवनिर्वाचित प्रधानों का तात्पर्य उन समस्त प्रधानों से है जो उस नोटिस के जारी होने के दिनांक तक निर्वाचित घोषित कर दिये गये हों, जिसमें प्रधानों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये कहा गया हो, जब इस नीति को घोषित किया जा चुका है जिसमें प्रधानों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये कहा गया हो"। इसका अर्थ यह हुआ कि जो नवनिर्वाचित प्रधान चुन लिये गये हों लेकिन जिस दिन सरकार ने यह नोटिस जारी की है कि वह अपना प्रतिनिधि चुन कर अन्तरिम जिला परिषदों में भेजेंगे उसके बाद कोई प्रधान चुना गया हो तो उसको मत देने का हक नहीं होगा। यह नवनिर्वाचित प्रधान की व्याख्या की गयी है कि अगर नोटिस जारी होने के बाद चुना गया है तो उसको वोट देने का हक नहीं होगा और वहां पुराना प्रधान वोट देगा, तो जो नया चुना गया है उसे क्यों वोट देने से वंचित किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जिस रोज नोटिस दिया जायगा और प्रधानों की मीटिंग बुलाई जायगी जो कि बुलाई नहीं गई है तो जिस दिन वह नोटिस ईश्यू किया जायगा उस रोज तक जो नये प्रधान चुने गये हैं उन्हें वह नोटिस ईश्यू होगा, लेकिन जहां नये प्रधान चुने ही नहीं गय हैं वहां नये प्रधानों का सवाल नहीं उठता, पुराना प्रधान ही वहां है ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपने भाषण में जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट दे तथा जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया उससे कुछ ऐसी दुविधा पैदा हो गई जिसे पहले मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि ब्लाक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस विधेयक में, यहां खंडों का हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं । श्रीमन्, अगर विधेयक के जो दूसरे पेज पर छपा है उसे पढ़ा जाय तो मालूम होगा-- "और प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन खंडों में यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन हुये

सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप वर्ष १९६१ में प्रधानों का निर्वाचन हो चुका है वहाँ, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ के प्रवर्तन के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक खंड की गांव सभाओं के लिये एक प्रतिनिधि, यदि जिले में खंडों की संख्या दस से अधिक हो, तथा अन्य दशाओं में प्रत्येक खंड के लिये दो प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे"। अब एक तरफ तो मंत्री जी यह कहते हैं कि खंडों से हमें कोई मतलब नहीं और अभी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें कहा गया है कि हर खंड का प्रतिनिधि इसमें होगा। तो दोनों बातों में से कौन-सी बात ठीक है ? इससे उलझन पैदा हो रही है।

दूसरे उन्होंनें फरमाया कि जिन गांव सभाओं में नये प्रधानों का चुनाव हो गया है तो वहां की जो ब्लाक कमेटी बनेगी, वहां जो प्रधानों का प्रतिनिधि होगा वह तो आयेगा लेकिन जहां पुराने प्रधान रह गये हैं वहां वह पुराने प्रधान वोट देंगे। अभी सारे प्रदेश में इस तरीके से प्रधानों द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजे जाने के लिये चुनाव हर जगह नहीं हुआ है, कम से कम उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजन की बात मैं जानता हूं। अल्मोड़े के जिलाधीश ने खासतौर से इस बात पर जोर दिया कि आधी फरवरी तक हम इस चुनाव को करा सकते हैं। इसके बावजूद पुराने प्रधानों द्वारा भी जो सन् १९५५ में निर्वाचित हुये थे वहां चुनाव कराने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया कि वे अपना कोई प्रतिनिधि चुनें। कल उनके पास जाकर मैंने निवेदन भी किया था कि पंचायत राज ऐक्ट द्वारा सन् १९५५ में एडल्ट फ्रेन्चाइज़ की बेसिस पर प्रधानों का जो चुनाव हुआ था वे सारे के सारे प्रधान ब्लाक कमेटीज़ के सदस्य हैं और जिस तरह से ब्लाक कमेटीज़ का निर्माण हुआ है वह भी आप जानते हैं कि एक कोआपरेटिव का सदस्य, एक महिला सदस्य, एम० एल० एज़ और एम० पीज़। इन सब ने कुमायूं में भी ब्लाक का एक परमानेन्ट सभापति हाल में चुना है। पहले यह होता था कि हर मीटिंग के लिये एक नया सभापति अस्थायी रूप से निर्वाचित होता था। इधर सरकार ने यह उचित समझा कि हर बार टेम्पोरेरी सभापति चुनने से वे ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते इसलिये एक परमानेन्ट सभापति होना चाहिये। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि अगर आप वहां पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार चुनाव नहीं करा पाये हैं और मुझे ज्ञात है कि अधिकांश खंडों में नियोजन विभाग के जी० ओ० के मुताबिक ये खंड के परमानेन्ट सभापति निर्वाचित हो चुके हैं तो अगर इतनी व्यवस्था सरकार नहीं भी करा सकी तो कम से कम सन् १९५५ में जो सभापति एडल्ट फ्रेन्चाइज़ की बेसिस पर हुये थे वे ज्यादा प्रतिनिधित्व जनता का कर सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो सन् १९४८ में लिमिटेड फ्रेन्चाइज़ के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में आये क्योंकि जिला बोर्ड के सदस्य नये जिला अन्तरिम परिषदों के सदस्य बन गये हैं और आइन्दा भी बने रहेंगे और जिला परिषदों ने उनमें से दो सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में पहले से भेज रखा है। उसके बाद जब यह अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक आया तो यह व्यवस्था की गयी कि जिला बोर्ड के पांच अतिरिक्त प्रतिनिधि परिषद् के मेम्बर होंगे। यानी सात प्रतिनिधि जिला बोर्ड के हो गये और वहां का जो पुराना अध्यक्ष था उसको ८वें सदस्य के रूप में वाइस-प्रेसीडेंट जिला अन्तरिम परिषद् का बनाया है। तो पुराने जिला बोर्डों के कुल सदस्यों में से आठ सदस्य ऐसे हैं जो सन् १९४८ से मेम्बर चले आ रहे हैं जिनका चुनाव लिमिटेड एडल्ट फ्रेन्चाइज़ की बेसिस पर १९४८ में हुआ था।

अब जहां तक कुमायूं डिवीज़न का सवाल है एक बड़ी अड़चन यह पैदा होती है कि सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव हुआ और उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का अब अस्तित्व समाप्त हो गया लेकिन उनके मेम्बर आज तक चले आ रहे हैं जब कि जनता द्वारा बालिग मताधिकार की बेसिस पर चुने गये प्रतिनिधि सन् १९५२ में बदल दिये गये और फिर सन् १९५७ में बदले गये और आगे सन् १९६२ में फिर बदले जायंगे।

(इस समय १२ बज कर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह पीठासीन हुये।)

जो इसमें रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट आप ला रहे हैं यह प्रजातन्त्र का गला इस बिल के द्वारा घोटा गया है। इसका मतलब और कुछ नहीं है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिला बोर्डों में सिंहासना-

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

रूढ़ रखने के लिये एक जाल है, एक धोखा है। उस धोखे को प्रजातन्त्र का जामा पहनाया जाता है। जहर को एक शीशी में रख कर अमृत का लेबिल लगाया जाता है। एक डिक्टेटर में हिम्मत होती है। वह सीधे कहता है कि मैं यह करूंगा। लेकिन ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैं यह निवेदन कर दूं कि जो यह आठ आदमी १९४८ से हैं वही आज तक बरकरार हैं। लेकिन होना यह चाहिये था कि १९४८ के बाद १९५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव होते। विरोधी दलों की तरफ से कहा गया और जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व जिस तरह से माननीय सदस्य करते हैं उसी तरह से अखबार भी करते हैं, उन्होंने भी कहा कि चुनाव कराये जायं। बड़े-बड़े अखबारों से जनता की ओपीनियन मोल्ड होती है उनके द्वारा भी मांग की गई कि १९५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव हो जाने चाहिये। लेकिन सरकार ने एक ही दिक्कत बताई कि इसके लिये एक बड़े कम्प्रीहेंसिव बिल लाने की जरूरत है, नये विधेयक की आवश्यकता है। इसका कारण उन्होंने बताया कि यह पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ १९२२ का है उसमें बालिग मताधिकार की व्यवस्था नहीं है और इसमें रिजर्वेशन आफ सीट्स हैं जो नहीं होना चाहिये। अब हम बालिग मताधिकार के बेसिस पर चुनाव कराना चाहते हैं। प्रश्न पूछे गये तो सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि हम शीघ्र ही बिल ला रहे हैं। श्रीमन्, पांच साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक शीघ्र की परिभाषा पूरी नहीं हो पाई है। पता नहीं इसके क्या माने सरकार की निगाह में होते हैं। पांच साल में भी पूरा नहीं हो पाया।

इसी बीच में जनता के एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा जो विधायकों के चुनाव हुये थे उनको बदलना पड़ा, क्योंकि भारतीय संविधान में यह बात निहित है कि पांच साल के बाद किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं होगा कि वह सदन में बैठे। गवर्नर ज्यादा से ज्यादा एक साल का एक्सटेंशन कर सकते हैं और छः साल के बाद कोई सदस्य सदन में नहीं बैठ सकता है। एक तरफ तो आपकी यह व्यवस्था है और दूसरी तरफ यह है कि जो लोग लिमिटेड फ्रेंचाइज द्वारा छांटे गये थे जो अंग्रेजों के टुकड़ों पर पले हुये थोड़े से वोटरों द्वारा छांटे गये थे वे प्रतिनिधि आज भी जिला बोर्डों की कुर्सियों को नापाक कर रहे हैं और सरकार उन्हीं को जमहूरियत के नाम पर आगे भी रखना चाहती है। लेकिन श्रीमन्, यह चाल ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है।

श्रीमन्, १९५७ के बाद नया हाउस बैठा तो इस बात की मांग की गई। १४ फरवरी, १९५८ को जिला बोर्ड का एक संशोधक विधेयक लाया गया और कहा गया कि पुराने बिल में थोड़ी-सी तरमीम करके चुनाव कराये देते हैं। श्रीमन्, उस समय के मंत्री श्री विचित्रनारायण जी के मुंह से जो शब्द निकले थे वह कह दूं। उन्होंने कहा था कि--"हमारे मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श किया और उसके बाद निश्चय हुआ कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के एलेक्शंस जल्द से जल्द करा दिये जायं और उन्हीं से उस समय यह भी तय हुआ कि चूंकि वर्तमान ऐक्ट के मुताबिक एलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कई चीजें कांस्टीट्यूशन में ऐसी हैं, जैसे रिजर्वेशन आफ सीट्स वगैरह, उनको हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए इस ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय और उसके मुताबिक एलेक्शन करा दिया जाय। उसी विचार से आज यह बिल मैंने इस सदन के सामने पेश किया है"। फिर आगे उन्होंने कहा--"जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया था पांच मिनट में विरोधी दल के माननीय सदस्य इसे पास कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र से शीघ्र पास हो जायगा ताकि हम जल्द एलेक्शन करा सकें। एलेक्शन तो मैं मार्च में ही करा लेता, लेकिन उसके लिए एक आर्डिनेंस हमें लाना पड़ता और उससे मुमकिन था कि कुछ बदमजगी हो जायगी"।

सरकार नहीं बदली है, आदमी भले ही बदले गये। तब भी कांग्रेस की सरकार थी और अब भी कांग्रेस की सरकार है। कई मंत्रिगण अपने भाषण में यह चर्चा कर चुके हैं कि जो

विचित्र भाई की और उनके साथियों की नीति थी उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने यह कहा था कि हम एलेक्शन तो बहुत जल्दी करवा देते लेकिन उसके लिए आर्डिनेंस लाना पड़ता और आर्डिनेंस को कहेंगे कि यह अप्रजातांत्रिक है। इसलिए ऐसा नहीं किया। लेकिन आज एक महीने में सात-सात आर्डिनेंस आये हैं "Hot and cold in the same breath" जो पहले कहा था आज उसका ठीक उल्टा जवाब देते हैं ।

अब आगे जिला अन्तरिम परिषद् के सिलसिले में थोड़ा-सा और उद्धृत कर दूं। "श्रीमन्, मेरी इच्छा तो यह थी कि यह जो दूसरा बिल हम ला रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी हम डिस्कस कर लें, क्योंकि इसी सत्र में हम उसको स्थायी रूप देना चाहते हैं ताकि मार्च से पहले पहल यानी फरवरी में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का एलेक्शन हो सके और अप्रैल में वे कायम हो जायं। किसी ने सन् १९६२" में हमारी तरफ से यह कहा था कि नहीं, यह आपके.. कहने की बात है। हमको धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं। जब तक १९६२ में जनरल एलेक्शन्स नहीं हो जायंगे इस सरकार को जिला बोर्डों का चुनाव नहीं करवाना है। आज हमारी वही बात सही हो रही है। हम जानते हैं कि सरकार की क्या नीति है ? उन्होंने कहा—

"किसी ने १९६२ की बात कही, हमारी ओर से पूरी कोशिश यह हो रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो रहा है कि जल्दी से जल्दी बिल लाकर इस सदन के सामने उपस्थित कर दें, ताकि उस पर विचार होकर प्रवर समिति के पास उसे भेज दें।"

वह जल्दी कब हुई ? १९६० तक वह बिल नहीं आ सका, २९ अगस्त या २८ अगस्त तक यानी दो वर्ष कुछ महीने बीत गये, यह उनकी जल्दी की परिभाषा है। वह इस तरह से कब तक जनता को गुमराह करेंगे ?

हर जगह कहा जाता है कि विकास में उन्नति हो रही है, खाने पीने की चीजें ज्यादा पैदा होने लगी हैं, लेकिन उसका वास्तविक रूप बाजार में पता चलता है। इसी तरह से किसी चीज को ले लें। हर जगह तनज्जुली है, तरक्की नहीं है। लेकिन झूठा ढिंडोरा पीटा जाता है कि हम तरक्की कर रहे हैं। क्षेत्र समिति विधेयक आया। २९ अगस्त, १९६० को माननीय विचित्रनारायण ने कहा था—हमने उनसे जब 'शीघ्र' के मानी पछे तो उन्होंने उसका कुछ अर्थ किया था—

"शीघ्र से शीघ्र का अर्थ जल्दी से जल्दी ही हो सकता है इससे अधिक नहीं, इससे ज्यादा न देर हो सकती है, न जल्दी। मैंने तो कोई चीज छिपाने की कोशिश भी नहीं की, जो भी सम्भावनाएं थीं वे सब मैंने माननीय विरोधी दल के लोगों के सामने रख दीं और मुझे विश्वास भी दिलाया गया कि अगर सितम्बर तक यह विधेयक पास हो जायगा तो फरवरी तक चुनाव हो सकते हैं। ऐसा आश्वासन मुझे चुनाव विभाग ने दिया है। चुनाव तो वही करायेगा, मैं स्वयं तो कराऊंगा नहीं। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सारी कोशिश चुनावों को फरवरी तक कराने की है।".....

ये शब्द माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी ने कहे थे इसी आदरणीय सदन में २९ अगस्त, १९६० को। वह फरवरी, मार्च बीत गया, दूसरा मार्च आ गया और सन १९६२ भी श्रीमन् आने वाला है। जिला अन्तरिम परिषद् जिसकी जिन्दगी खत्म होने वाली थी आज उसे जून, सन् १९६१ तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब उधर बैठने वाले कहते हैं कि "हम इसमें क्या करें ? जिला परिषद् बिल तो कौंसिल में गया था। कौंसिल वाले नहीं पास करते तो हम क्या करें।" कौंसिल किसने रोकी ? श्रीमन्, आज बहुमत किसका है ? श्रीमन्, को याद होगा एब्रप्टली (abruptly) कौंसिल बन्द कर दी गई। एक दिन बाढ़ पर डिस्कशन वह चाहते थे। एक दिन हो जाता, दो दिन हो जाता, तीसरे दिन कौन रोकता था ? क्या लखनऊ

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

के सारे काम बाढ़ की वजह से बन्द हो गए? असल में श्रीमन्, बात क्या थी? बात यह थी कि वहां पर—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सः
मामकाः पांडवाश्चैव किम् कुर्वत संजय।

यहां लड़ाई हो रही थी। जैसे कि एक बार कृष्ण ने राधिका से कहा कि मुझे कुछ बात कान में कहनी है तो राधिका ने कहा कि "कहनो कपोलन सो कहनों न कान सों"। तो बात कुछ और थी, तैयारी करना चाहते थे एक दूसरे गुट के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, इसलिए दोनों सदन बन्द कर दिये और बहाना एक निकाल लिया। उसके बाद हम सोच रहे थे कि माननीय गुप्ता जी आयेंगे वह जल्दी करायेंगे। उन्होंने भी वही किया। हुआ क्या श्रीमन्? १२ तारीख को दिसम्बर में यह आदरणीय सदन बुलाया गया था। उसके बाद ७ तारीख को गुप्ता जी मुख्य मंत्री हो गए। सरकार बदली नहीं, हमारी नजर में भी नहीं बदली, यू० पी० की जनता की नजर में नहीं बदली। ७ तारीख को वह आ गए थे। अगर वाकई वादा पूरा करना चाहते थे तो क्यों नहीं कौंसिल बुलाई गई? उस समय माननीय राज्यपाल भी नहीं थे, कहा यह गया कि सदन की बैठक कैंसिल करने के लिए टेलीफोन से उनसे पूछा गया। उस बात में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन सदन स्थगित किया गया बिना माननीय राज्यपाल के इस प्रदेश में तशरीफ रखते हुए और उसके पीछे भी जो इतिहास है वह भी इस सदन में आ चुका है कि किस तरह जम्हूरियत का गला घोंटा गया। उसके पीछे मतलब यही था कि जिला अन्तरिम परिषदों का चुनाव न हो और कुछ यह था सिंहासन अपना मजबूत हो। लेकिन हमारा उसमें क्या कसूर है? कसूर है तो इनका, इनकी पार्टी का। कसूर है तो श्री गुप्ता जी का और कसूर है श्री सम्पूर्णानन्द जी का। हमारा क्या कसूर था? क्यों इस प्रदेश की जनता इनके आपस के झगड़ों की वजह से बर्बाद और परेशान हो? हम भी कल को अगर इस गद्दी पर आयेंगे तो हम भी क्या इनके इन्हीं कामों का अनुकरण करेंगे कि हमारे बड़े भैया यही उदाहरण छोड़ गए हैं?

खैर, पार्टी के आन्तरिक मामलों में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन बिल के बारे में यह निवेदन है कि झगड़े की खातिर प्रदेश की जनता को नहीं गुमराह करना चाहिए था। इस गद्दी पर बैठ कर सरकार को यह शोभा नहीं देता। तो आदरणीय कौंसिल को बैठना चाहिए था और उसको यह सरकार बुला सकती थी और हमने श्रीमन्, इस नोटिस को वैलिड ही नहीं माना। मैं, माननीय त्रिलोकीसिंह जी और गौरीशंकर राय जी यहां उपस्थित हुए थे और सेक्रेटरी साहब को लिखकर दिया था कि खोलिए विधान सभा के दरवाजे, यह गलत बन्द हुआ है। पहाड़ से मैं इतनी दूर तक आया। तो हम कितने जागरूक हैं यह मैं बता रहा था। हम जानते थे कल को बहाना बनाया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि यह सब बहस बहुत हो चुकी है इस सदन में। आप बिल पर बोलें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अब मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि यह सरकार चुनाव नहीं चाहती है। हम सरकार से यह कहते हैं कि सीधे-सीधे यह सरकार क्यों नहीं कहती कि जिस तरह से जी में आयेगा और जब जी में आयेगा तब चुनाव करायेंगे। सरकार सीधे क्यों नहीं इस बात को कहती है कि हमें जिला परिषद् में कांग्रेस पार्टी का बहुमत कायम रखना है। इस जिला परिषद् को कांग्रेस कमेटी का दूसरा स्वरूप यह सरकार बनाना चाहती है। यह सरकार चाहती है कि सारे सफेद टोपी वाले वहां पर मौजद रहें। आठ तो इस तरह से चले गये। उसके बाद विशेषज्ञ छांटे गये व आयन्दा जायंगे। इसके लिये जो विधान रखा गया है वह भी ऐसा है कि जिसको जम्हूरियत का जामा पहनाने की कोशिश की गई है। प्रजातन्त्र से इस सरकार

को बड़ा प्रेम है। यही बात इसमें दिखलाने की कोशिश की गई है। २२ अक्तूबर, सन् ५५ में जो नियोजन कमेटियों का संगठन जिलों में किया गया, उसी अधिनियम के अनुसार इसका संगठन रक्खा जायगा। उस समिति के अन्दर ५ गैर सरकार सदस्यों को, जिनको यह सरकार मनोनीत करेगी, रखा गया है। वह ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको औद्योगिक कार्यों से या कुटीर उद्योगों से रुचि होगी। उनको यह सरकार चाहेगी तो उनको विशेषज्ञ समझ लिया जायगा और मनोनीत कर दिया जायगा। ८ तो वह हो गये और ५ इस प्रकार से विशेषज्ञ रखे जायेंगे तथा नामांकित १ महिला, एक भारत सेवक समाज, जो कांग्रेस का प्रचार करने वाली ही एक एक संस्था है, उसका एक सदस्य उसमें लिया जायगा। इस प्रकार से ये १५ आदमी नामांकित हो गये। कुल उसमें २३ आदमी ऐसे होंगे जो गैर निर्वाचित होंगे या नामिनेटेड रखे जायंगे। इस तरह से ये जिला परिषद् कांग्रेस कमेटी का रूप धारण कर लेगी। मैं यह समझता हूं कि सरकार यह समझती है कि अब सन् ६२ में जरनल एलेक्शन आ रहा है तो जिला बोर्ड उसके हाथ में रहें ताकि एलेक्शन का कंट्रोल कर सके। जिसके हाथ में जिला बोर्ड होगा वही एम० एल० ए० जीतेगा। फिर ये लोग यहां पर आकर कहेंगे कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं चाहता हूं किस प्रकार से अध्यापकों के ट्रान्सफर किये जाते हैं मुझे मालूम है कि उधर ऐसे बैठने वाले लोग हैं, आज भी वे सभा में कुर्सी पर सुशोभित हैं। जिन्होंने सन् १९५७ में जब कि एक उप चुनाव हो रहा था तो वहां के जिला बोर्ड के अध्यापकों पर बहुत दबाव डाला कि फलां कैंडीडेट को वोट दो। उनसे यह भी कहा गया कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जायगा। इस तरह से लोगों को डरा धमका कर कांग्रेसी मंत्री अपना काम सीधा करते हैं। इस प्रकार दबाव से मत पाये, लोग यहां पर आकर कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं।

इसके बाद कहा गया कि बाकी बातें वही सब पुरानी इसमें रखी गई हैं। मंत्री जी ने कहा कि और कोई रद्दोबदल इसमें नहीं की जा रही है। मेरा निवेदन है कि पुराना जो जिला बोर्ड था उसमें आज कितना परिवर्तन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि कांग्रेस ने १९४७ से पहले बड़ा त्याग किया है और सब लोगों के दिल में उसके लिये प्रतिष्ठा थी पर आज इतना परिवर्तन क्यों हो गया? पहले हम में से बहुत से लोग उसमें थे लेकिन सन् १९४७ के बाद आखिर क्या बात हो गई। बस बात वही हो गई कि "कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाये बौरात है यह पाये बौरात"। अब इस तरह से जिला बोर्ड में जो लोग आयें उनमें कांग्रेस वाले आयें और फिर इस तरह से बातें वहां पर पैदा हुईं। लिहाजा ८ तो यह चले गये। मंत्री जी कहते हैं कि वह उसी पुराने ऐक्ट की तरह से है? तो मुझे यह बात नजर नहीं आती है। जो इस ऐक्ट में दिया है वह उनकी भावनाओं का द्योतक है। इसमें यह दिया है कि "वह व्यक्ति, जो ३० अप्रैल, १९५८ को जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट होने के नाते जिला नियोजन समिति का सदस्य था, अन्तरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष होगा और बना रहेगा"। मंत्री जी चाहते हैं कि वहां कोई न जाय। शब्दावली इसी प्रकार की रखी गई है तो आज भी उनकी भावना है कि वे परिषद् में चिराय रहें और हम उनकी वजह से यहां मंत्री बने रहें। यह भावना आज भी है। एक तरफ यह कहा गया कि हम ए० एल० ए०, एम० पी० को वहां चेयरमैन होने की इजाजत नहीं देते, किन्तु इसका स्थाई रूप होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक में। उसमें व्यवस्था की गई है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन यह अंतरिम जिला परिषद् बनी रहेगी। सरकार ने कहा कि हमने कलेक्टर को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। लोगों का कहना था कि यह ठीक नहीं है। सरकारी नौकर अध्यक्ष रहे वहां पर यह दुख की बात है। हमने सोच लिया कि आप ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन क्या दर हकीकतें में ऐसा है।

इस नये विधेयक के खंड ३ में एक संशोधन दिया हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) में (क) खंड (क) में शब्द "जिले की" के पूर्व शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट को छोड़

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

कर" रख दिये जायं । आपने इसको मूल विधेयक में फिट किया। माने क्या है ? अंग्रेजी की वही मसल हो गई कि कैट इज आउट आफ दि बैग (The cat is out of the bag)। इसमें दिया है कि अन्तरिम जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे : जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य, वही सारे के सारे जो प्लानिंग कमेटी में थे जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य बनाये गये । अब जनवादी कहलाने वाली यह कांग्रेसी सरकार कहती है कि हम इसको प्रजातांत्रिक रूप देना चाहते हैं । वह कहते हैं कि निर्वाचित सदस्य होंगे गैर सरकारी । आज तक जिलाधीश सभापति होता रहा और अब तक सरकार ने यह ठीक समझा कि उसके मातहत एम० एल० ए०, एम० पी० और एम० एल० सी० बैठें । ऐसे एम० पी० जो १२ एम० एल० एज की जगह से चुन कर आये हैं, १२ या १५ लाख वोटरों ने जिसको चुना है, जिनमें खुनखुन जी भी हैं और देहाती मनई गोबर भी, ऐसे बालिग मताधिकार से चुने जाने वाल एम० पी० को आप जिलाधीश की अध्यक्षता में बैठाते रहे । वे जब जिलाधीश आये तो सलाम झुकाने के लिये खड़े हो सकते थे और यस सर (yes Sir) कहते रहे, उसकी इजाजत बिना बोल नहीं सकते थे और अध्यक्ष चाहे तो उनको निकाल सकता था वह ं से, तो वहां तो वह जनता का प्रतिनिधि चाहे वह विरोधी दल का हो अथवा कांग्रेस का, वह उसके मातहत था, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था की कि अब अध्यक्ष कलेक्टर नहीं होगा । अब कलेक्टर को सदस्यता से हटा दिया गया । क्यों ? बात साफ है कि ब्यूरोक्रेसी को सरकार सुप्रीम करना चाहती है । आज भी सरकार नाक में नकेल डाल कर ब्यूरोक्रेसी सरकार को चौराहे पर नाचने वाले बंदर की तरह से नचा रही है । और उसके बाद हमसे ढोंग किया जाता है । मैं कहता हूं कि ऐसे मंत्रियों को रखो जो फाइलें पढ़ें, समझें, मैं किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करता, लेकिन यहां कई ऐसे मंत्री हैं जो सुन नहीं सकते, आंख से कम देखते हैं, समझ नहीं सकते, जो पढ़ नहीं पाते और जब गलत जवाब दे जाते हैं तो दूसरे दिन संशोधन आ जाता है कि साहब यह गलत जवाब हो गया था, सही उत्तर यह है । सेक्रेटरी महोदय, जब उनके यहां तशरीफ ले जाते हैं तो वे सेक्रेटरी महोदय का स्वागत करने जाते हैं और लौटते हैं तो उनको दरवाजे तक पहुंचाने जाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि किसी का निरादार करना चाहिये लेकिन अपनी कमजोरी को छिपाने की दृष्टि से यह सब किया जाता है । इस ब्यरोक्रेसी के प्रतिनधि का यह रुतबा है कि अब जो २०, २५ लाख के प्रतिनिधि हैं जो सारे भारत के लिये कानून बनाते हैं उसके नीचे इस ब्यूरोक्रेसी क प्रतिनिधि को रखने में उसकी बेइज्जती होती है । इससे ज्यादा प्रजातंत्र की क्या तौहीन हो सकती है । एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि निर्वाचित सदस्यों को ही रख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उसमें यह भी अजीब बात रखी गई है । यह है क्या आखिर ? यह बिल, न गधा है, न घोड़ा है, खच्चर की तरह से यह बिल यहां पर बनाकर रख दिया जिसमें किसी एक सिद्धान्त का समावेश नहीं है ।

इसके अतिरिक्त मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि नये लोग जो आये हैं उनको आने दें। मैंने कुमायूं डिवीजन में जो ब्लाक का परमानेन्ट चुनाव हो गया है उसके लिये उनसे कहा था कि उनमें से ही सभापति रख लिया जाय । उन्होंने कहा कि इसमें तो केवल इतनी व्यवस्था की जा रही है कि ब्लाक में केवल प्रजातंत्र के द्वारा चुने हुये लोग ही आये लेकिन जब जिला परिषद् विधेयक आया था तो श्री जयराम वर्मा जी ने कहा था कि हमें गांव की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री कैलाशप्रकाश--इसमें ब्लाक्स में कोई परिवर्तन नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं माननीय मंत्री जी को ठीक से समझ नहीं सका, वे तो विद्वान हैं और उनकी विद्वता को देखकर तो मुझे वह दोहा याद आता है जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है जब भरत जी राम से मिलने के लिये जा रहे थे :--

"भरत महामहिमा जलराशी, मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ।"

भूतपूर्व उपमंत्री माननीय जयराम वर्मा जी ने, १ सितम्बर, १९६० को क्या कहा था, विधान सभा की उक्त दिनांक की कार्यवाही पृष्ठ ३०८ के एक अंश को मैं उद्धृत करना चाहता हूं और उस समय उन्होंने कहा था "--अध्यक्ष महोदय, संशोधन जिस क्रम में उपस्थित हुये हैं मैं उन सब को एक एक करके लेता हूं । पहला संशोधन जो राजा वीरेन्द्रशाह का है वह इस प्रकार है कि 'खंड ६ के उपखंड (१) में से भाग (३) निकाल दिया जाय' । इसके भाग (३) में यह व्यवस्था की गई है कि 'जिन खंड संघों (ब्लाक यूनियन) तथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों उनके एक प्रतिनिधि जो ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय ।" लेकिन माननीय वीरेन्द्रशाह चाहते हैं कि कोआपरेटिव समितियों के सदस्यों के चुनकर आने की जरूरत नहीं है । इनके आने की बहुत जरूरत है और मैंने कल भी निवेदन किया था कि जो क्षेत्र समितियों में काम होंगे उनसे बहुत कुछ सम्बन्ध सहकारी संगठनों का होगा । जो क्रय-विक्रय समितियां होंगी वह उत्पत्ति के बढ़ाने में साधन जुटायेंगी और उसके बिकवाने में सहायता करेंगी । इसी तरह से खंड में जो सहकारी संघ होंगे वही सामान पहुंचाने में तथा रुपया पहुंचाने में मदद करेंगे । इसलिये ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है । इसलिये मैं इसका और खंड (४) के जो निकालने की बात कही गई है, उसका विरोध करता हूं ।"

उस समय यह बात माननीय जयराम वर्मा जी ने कही थी । मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि यह सदन स्वीकार कर चुका है कि चुनाव किस प्रकार होगा उसमें, आप देखें, श्रीमन्, एक नहीं, चार-चार आदमियों की व्यवस्था की गयी है । यह सरकार जो कहा करती है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, प्रजातंत्र की पद्धति को देश में ला रहे है, गांव-गांव में प्रजातंत्र की गरमाहट को पहुंचा रहे हैं तो, श्रीमान्, मैं तो यह कहूंगा, यह सब धोखा है। यह जो कहते हैं, करते उसके विपरीत हैं । माननीय मंत्री जी को इस बात से कोई परहेज तो नहीं है कि वह चुना हुआ व्यक्ति हो, मगर वह हरिजन वोटर है अगर, तो उससे उसमें छूत हो जायेगी । मैं कहता हूं हरिजन के वोट से उन्हे क्यों परहेज है ।

श्री अधिष्ठता--आप कुछ विषय पर भी बोलें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं श्रीमन, आपकी आज्ञा से, विषय पर ही बोल रहा हूं । आप देखें कि जहां तक उसमें एम० पीज और एम० एल० एज को रखने की बात थी उस समय माननीय जयराम वर्मा जी ने कहा था, पृष्ट ३०८ पर है, १ सितम्बर, १९६० को,. .. इसके अतिरिक्त १७-क पर जो संशोधन अंकित किया है उसमें विधायकों और एम० पीज को इस समितियों की सदस्यता से हटाने की बात कही गयी है, मैं उसका भी विरोध करता हूं । मैं यह नहीं मानता कि विधायक और एम० पीज किसी प्रकार सहायक इन समितियों और जिला परिषदों में नहीं होंगे । उनका सहयोग वहां पर काम बढ़ाने में सहायक हो सकता है । जो यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह क्षेत्र समितिया जिला परिषद् के प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो सकेंगे, यह बहुत काफी है ।....

तो, श्रीमन् उस समय भी सरकार ने हमारी बात को नहीं माना । हमने कहा कि इनको न रखा जाय क्योंकि उनके पास तो स्वयं यहां का इतना कार्य रहता है कि उन्हें और कामों के लिये फुरसत ही नहीं मिल पाती । हम तो श्रीमन्, यहां पर सरकार को सलाह देने, सरकार का काम चलाने, जो हमारा डेढ़ सौ करोड़ का बजट है उस पर नियंत्रण रखने के लिये आये हैं । हमें अपने कार्यों से ही फुरसत नहीं यदि हम इनको ठीक तरह से करें । श्रीमन् यह एम० एल० एज और एम० पी ही हर मर्ज की दवा नहीं हो सकते । श्रीमन्, हम जनता में जाकर क्या कहेंगे ? यही होगा कि "बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले ।" हम यहां पर खाली १० रुपये लेने के लिये ही नहीं आते हैं ।

जब हम लोगों के पास इतना अधिक काम है तो फिर हमको तमाम समितियों में, जिला परिषद् में और ब्लाक खंडों में क्यों जोड़ दिया गया है ? अगर हमारे शरीर के खंड-खंड कर डाले

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जायं तब भी एक-एक खंड सब जगह नहीं पहुंचेगा । बेहतर यही है कि हमको एक काम ही करने दिया जाय । लेकिन सरकार कहती है कि प्रजातंत्र का युग है इसलिये एम० एल० एज और एम० पीज सब जगह रहने चाहिये । थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि हम भगवान् के छोटे भाई हैं लेकिन इतना काबिल बनाने के बाद सरकार ने हमारी नाक काट ली . . . .

श्री अधिष्ठता---आप बार-बार वही बात कह रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं कह रहा हूं कि सरकार कहती है कि हम मेम्बर तो हो सकते लेकिन प्रेसीडेन्ट नहीं हो सकते. . . . .

श्री अधिष्ठाता---यह आप कह चुके हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अब मैं सदस्यता की अयोग्यता पर आता हूं । इसमें कहा गया है कि यह जिला बोर्ड के मातहत होगा । यानी कोढ़ी, अन्धा, दीवालिया या जिनको सजा हो चुकी हो, वह अयोग्य होंगे । पहले शायद यह था कि सजा पाने के पांच वर्ष तक वह अयोग्य रहता लेकिन अब शायद वह अवधि घटाकर ६ महीने या ऐसी ही कोई अवधि मुझे ठीक से याद नहीं---रखी गई है, बहरहाल वह पहले से बहुत कम कर दी गई है । मतलब यह है कि चोरी का कलंक अब बहुत जल्दी धुल जायगा वर्तमान परिभाषा के अनुसार । इसी प्रकार से एक डिसक्वालीफिकेशन यह भी है कि एम० एल० ए० या एम० पी० प्रेसीडेन्ट नहीं हो सकता । क्या औचित्य है सरकार के पास कि वह सदस्य होना तो उचित समझती है लेकिन प्रेसीडेन्ट के लिये डिसक्वालफइड समझती है ।

एक बात और आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक बड़ी भीषण ताकत ली है । धारा ६ इस प्रकार है :

"मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के अन्त में आये हुये पूर्णविराम के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें ---

'इन नियमों में सम्भाव्य रिक्तियों को भरने के लिये पहले से कार्यवाही करने की व्यवस्था की जा सकती है ।'

अब मैं मूल अधिनियम की धारा ८ (१) पढ़ना चाहता हूं :---

"किसी सदस्य की मृत्यु या उसके त्याग-पत्र पर अथवा अन्यथा होने वाली अंतरिम जिला परिषद् की सदस्यता की कोई भी आकस्मिक रिक्ति धारा १५ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भरी जायंगी अथवा रिक्त रखी जायंगी ।"

अब यहां पर जो वैकेन्सी होगी उसके लिये आप कहेंगे कि यह अमेंडमेन्ट बड़ा इन्नोसेन्ट है । इसके आगे आप इस अमेन्डमेन्ट को जोड़ना चाहते हैं । यह एक प्रकार से अध्यक्ष को चुनौती होगी । कुछ जगहें खाली हैं, भारत सेवक समाज का आदमी नहीं है, महिला नहीं है, एक नामांकित व्यक्ति नहीं है । हमने देखा कि ४० आदमी हैं जिनमें से ४ जगहें खाली हैं और हमारे १८ या १९ आदमी हैं । अब चुनाव में तो टाइम लगेगा इसलिये जिले से आदमी दौड़ा और वहां से खबर लाया कि फलां आदमी का नामांकन होना चाहिये । ४ बजे अगर वहां कोई वोटिंग होना है तो यहां से चार बजने में १ मिनट पहले नामांकन होकर पहुंच जायगा । पंचायत के इलेक्शन के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने कहा कि आखिर तक मतदाता सूची में मतदान-स्थल तक वोटर बढ़ाये गये और इस प्रकार की ज्यादतियां हुईं । इसीलिये कहता हूं कि यह एक निरंकुश अधिकार लिया जा रहा है कारण यह है कि इनको यह विश्वास तो है नहीं कि सन् १९६२ में इन कुर्सियों पर वे आ भी पायेंगे या नहीं । अगर सरकार के हृदय में जनतंत्र के प्रति थोड़ी: सी भी जगह होती तो वह ऐसा न करती । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जिला परिषदों को

खराब करके जनतंत्र की जड़ों को हिलाने का प्रयत्न न करे । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को यह सदन स्वीकार करे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में इस सिफारिश के साथ भेजने के लिये रखा गया है कि इसकी परिधि को बढ़ा कर वह विचार करे और फिर से विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । आपको याद होगा कि अन्तरिम जिला परिषदों का अस्तित्व सन् १९५८ में एक आर्डिनेन्स के द्वारा आया । जो आर्डिनेन्स जारी किया गया था उसमें उसके जारी करने का उद्देश्य यह बताया गया था कि वह जिला परिषदों की स्थापना में सुविधा प्रदान करने के लिये लाया गया था। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ३ वर्ष हो गये उस अध्यादेश को जारी हुये लेकिन सरकार जिला परिषदों की स्थापना आज तक नहीं कर पाई । इसके पीछे कारण क्या है ? बराबर इस सदन में मैंने कहा है कि सरकार के मस्तिष्क में इस बात की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है कि जिला स्तर पर हमारी स्वायत्त शासन की इकाई का स्वरूप क्या हो । शासन का विकेन्द्रीयकरण करना है । पंचायतों, और विधान सभा और संसद के बीच जिला स्तर पर जो कड़ी हम जोड़ना चाहते हैं उसकी रूपरेखा क्या हो, वह सरकार के दिमाग में स्पष्ट नहीं है ।

यह जो जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाये गये थे उनको १९२२ के ऐक्ट के अधीन अस्तित्व में लाया गया था । उस समय देश में इसकी लड़ाई थी कि स्वायत्त शासन की इकाई कायम होनी चहिये और जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार मिलना चाहिये । उस समय जो हमारे देश के शासक थे वे जनता को इस बात की आजादी नहीं देना चाहते थे कि जिला स्तर पर स्वायत्त शासन की कोई रूपरेखा बने । १९२२ में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट अस्तित्व में आया वह बिलकुल नाकाफी था । लेकिन जब हमने रिपब्लिक की स्थापना अपने देश में की, जब हमने जनतंत्र और समाजवाद की स्थापना की घोषणा की तो यह अनिवार्य हो गया कि हमारे देश की इस इकाई में भी परिवर्तन हो । अब यह और अनिवार्य हो गया है कि जिला स्तर पर हमारे शासन की इकाई के अन्दर परिवर्तन हो । लेकिन, श्रीमन्, १३ साल हो गये आजादी हासिल किये हुये, आज तक सरकार उस काम को न कर सकी । जिसकी मांग हम अंग्रेजी काल में कर रहे थे उसकी मांग हमने बाद में भी की । भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी ने, जिला स्तर पर शासन की कैसी रूपरेखा हो, पंचायतों, जिला परिषदों, विधान मंडल और संसद का आपस में क्या सम्बन्ध हो, उसका एक स्पष्ट रूप दिया और उसी रूप के आधार पर हमारे देश में कुछ राज्यों ने इसकी स्थापना की लेकिन आज तक हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य की जो सरकार है उसकी रूपरेखा क्या है ।

श्रीमन्, तीन-चार बार इसी सदन में इस सम्बन्ध में बिल पेश किये गये हैं और दर्जनों बार इस सम्बन्ध में विरोधी दलों से परामर्श किया गया है और उस सम्बन्ध में जो रूपरेखा तैयार हुई वह सदन के सामने प्रस्तुत की गई है लेकिन सरकार फिर पीछे चली गई । उसका कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ ही जा रहा है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, सरकार ने काफी विलम्ब इसके अन्दर किया और अब उसे विलम्ब नहीं करना चाहिये और जिला स्तर पर शासन का जनवादीकरण होना चाहिये । लेकिन, श्रीमन्, मुझे इसमें सन्देह ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इसका जनवादीकरण सन् १९६३ से पहले होने वाला नहीं है । इसमें जो ६ महीने की मियाद बढ़ाने की बात है, जो इसमें कहा गया है कि ३० जून तक अध्यादेश जारी रहेगा और फिर विधेयक आयेगा, यह कहना केवल धोखा मात्र है । ६ महीने के अन्दर न कोई बिल आयेगा और न उसकी कोई रूपरेखा ही तैयार हो सकती है जिससे जिले का शासन जनवादी बन सके । कितने दुख की बात है कि अन्तरिम जिला परिषद् में जो व्यवस्था की गई है उसके स्वरूप को देखें तो मालूम होगा कि आज से १३ साल पहले यानी सन् १९४८ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हुये थे और जो चुनाव बालिग मताधिकार पर नहीं हुये थे, उन सदस्यों के ५ से ७ प्रतिनिधि इन अन्तरिम जिला परिषदों में रखे गये हैं और अभी ये सन् १९६३ तक रहेंगे यानी १६ साल तक ऐसे लोग वहां बने रहेंगे जिनका जन-जीवन से कोई सम्बन्ध

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नहीं है । मैं समझता हूं कि इस तरह की जो प्रवृत्ति है वह अत्यन्त घातक है । इस सम्बन्ध में भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री भी बचनबद्ध थे और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव करायेंगे । उस समय विरोधी दल के नेताओं ने कहा था कि हमें सरकार की बात पर विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि पहले भी कई बार इस प्रकार की बातें कही जा चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य जो बातें प्रस्तावक महोदय पहले कह चुके हैं, उनको रिपीट न करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जिस रूप में मैं कह रहा हूं उस रूप में उन्होंने नहीं कहा था लेकिन फिर भी मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि किसी बात को न दोहराऊं ।

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, ने स्वयं सदन को यह विश्वास दिलाया था कि अगर यह बात उलट जायगी तो मैं स्वयं सरकार से इस सम्बन्ध में कहूंगा कि सरकार अपनी बात को पूरी करे । लेकिन, श्रीमन्, आज पुनः वही स्थिति है जिस पर मैंने शंका प्रकट की है । श्रीमन्, हम क्यों चाहते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय ? इस सम्बन्ध में तीन-चार चीजे ऐसी हैं जो नितान्त आवश्यक हैं ।

पहली चीज तो यह है उसके अन्दर की कि जो हमारा अन्तरिम जिला परिषद् है, जब अर्डिनेन्स पास हुआ और उसके बाद जब ऐक्ट के रूप में वह किया गया तो उस वक्त सरकार ने जिला स्तर के अधिकारियों का अधिकार और बढ़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में जितना उनको पावर था उससे ज्यादा पावर अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम बना कर सरकार ने उन को दे दिया और वह अधिकार अधिकारी अब भी बरतेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिला अधिकारियों के उन अधिकार की शक्तियों पर एक अंकुश लगाना चाहिये। आज सही माने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही जिले का शासन करता है। जिले के चुने हुए प्रतिनिधियों को केवल कागज के उपर ही अधिकार है। सही माने में उसका प्रयोग तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मर्यादा, उसका सम्मान, उसका स्थान, उसका पद सरकार की आंखों में कितना ऊंचा है, यह इस बात का प्रमाण है। हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा कि चूंकि विरोधी दल के नेताओं ने और सदस्यों ने मांग की थी कि वहां जिलाधीश अध्यक्ष न रहना चाहिये इसलिये हमने ऐसा किया है। हम इस भावना का स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले जो सरकार थी उसने जिला मैजिस्ट्रेट को अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाया और उसको सर्वोपरि आसन पर बिठा दिया चुने हुये लोगों के ऊपर और उसको सम्पूर्ण सत्ता प्रदान की और मौजूदा सरकार ने जब इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि उसको नहीं रहना चाहिये तो सरकार ने सोचा कि जिलाधीश जो हमारा सर्वोच्च अधिकारी है वह उन प्रतिनधियों के बीच में कैसे बैठेगा, जहां कि वह आज तक चेयरमैन होता था वहां वह आगे सदस्य बन कर कैसे बैठेगा। उसकी मर्यादा की सुरक्षा रखने के लिये संशोधन किया कि जिला मैजिस्ट्रेट अब अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य न होगा। मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि जब जिले के सम्पूर्ण अधिकारों को लेकर वह हर तरह की चीजों की व्यवस्था करता है, जितने भी वहां के नियोजन के काम हैं उनके कोआर्डिनेशन और सुपरविजन आदि के कामों में वह सलाह और सहायता दे सके, वह जिले का सर्वोच्च अधिकारी वहां क्यों नहीं बिठाया गया और क्या उसको वहां अपनी राय देने का मौका नहीं दिया जाता ? मैं आन्ध्र और राजस्थान के उन बिलों को देख रहा था जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रोशनी में बने हैं। मैंने उनमें यह देखने की कोशिश की कि वहां जिला मजिस्ट्रेट को उसमें रखा गया है या नहीं तो पता चला कि वहां भी जिला मैजिस्ट्रेट जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी है वह वहां बैठता है लेकिन हमारे यहां जिला मैजिस्ट्रेट को हटाया गया है। इससे जाहिर होता है कि नौकरशाही की पूजा की भावना सरकार के दिल में है और उनके पदों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिये जो सरकार की भावना है वह इससे परिलक्षित

होती है और उसी का यह परिणाम है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था इस बिल में कर रही है।

अब मैं और कारण बताऊंगा कि इसको प्रवर समिति में क्यों भेजा जाय। एक कारण यह भी है कि जिला परिषदों को जो टैक्स लगाने का अधिकार सरकार देना चाहती है वह बहुत व्यापक है। इस तरह का कानून दूसरे प्रदेशों में भी आया है। केरल में जब श्री नम्बूदरीपाद ने सन् १९५९ में जब यह बिल पास किया था तो उन्होंने एक वाक्य यह कहा था कि "The Bill does not empower the District Councils to raise taxes, still between Panchayats, Municipalities and the Government nearly all the sources of revenue will have been tapped." आज क्या यहां वह स्थिति नहीं है? यहां जिस तरह से टैक्स लगाने की व्यवस्था है पंचायतों को, टाउन एरियाज को, म्युनिसिपल बोर्ड को, सभी को जनता पर टैक्सेज लगाने का अधिकार है और जिस तरह से जनता पर टैक्सेज का अम्बार लगता चला जाता है और ऊपर से यहां और टैक्स लगाने क अधिकार की व्यवस्था की गयी है जबकि जनता के टैक्स देने के साधन समाप्त हो चुके हैं। उसमें शक्ति नहीं रह गई है लेकिन इस प्रविधान के अनुसार जो टैक्सेज लगते हैं उससे दोहरे और तिहरे टैक्सेज जनता पर लगते जाते हैं, कही पंचायतों का टैक्स, कही जिला बोर्ड का टैक्स, कही टाउन एरिया का टैक्स और ऊपर से जो सरकार के टैक्स हैं वे सब। यदि इस वास्ते इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जायगा तो वह इस पर विचार कर सकती है और करेगी कि कम से कम इन धाराओं को निकाला जाय और ऐसा प्रविधान करे कि अन्तरिम जिला परिषदों को जो यह टैक्स लगाने का अधिकार दिया जा रहा है वह समाप्त हो जाय। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता के कन्धों पर अधिक भार हो जाता है।

इसके अतिरिक्त इसलिये भी मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाय कि प्रवर समिति इसमें इस बात की व्यवस्था करे कि हमारी जो अन्तरिम जिला परिषदें हैं वे जल्द से जल्द जिला परिषदों के रूप में परिवर्तित हों। इस तरह का एक बिल आये जो ऐक्ट बनने के बाद इस प्रकार की व्यवस्वस्था करे कि नये ढंग से फिर से चुनाव हों और जो अभी तक इनडायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था है वह समाप्त हो और डायरेक्ट चुने हुये जनता के सारे प्रतिनिधि जिला परिषदों में आयें, इस तरह की व्यवस्था सरकार करे। अगर सरकार पूरे प्रदेश के अन्दर पंचायतों का आम चुनाव करा सकती है, प्रधानों का चुनाव करा सकती है, तो क्या वजह है कि हमारे जिला परिषदों के अन्दर सीधे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आ सकते? यह तो केवल बहानामात्र मालूम पड़ता है कि साधनों की कमी है या हमारे पास समय की कमी है। जो बात मैंने कही थीं कि सरकार स्वयं बदलना नहीं चाहती है, उसको भय है, वही बात यह सही मालूम होती है। सन् १९४८ के ये बोर्ड बने हुए हैं। उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था। उसके बाद सरकार ने नामीनेशन का एक बड़ा हक ले लिया था। चौथाई के करीब सदस्य नामीनेट होते थे। श्रीमन्, अब सरकार का विश्वास आम चुनाव पर से उठता चला जा रहा है। शासक पार्टी के जिम्मेदार लोग अब कहने लगे हैं कि विधान मंडल और संसद में इंडायरेक्ट रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। तो सरकार की हिम्मत अब नहीं होती है कि जिला स्तर पर सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जायं।

यह अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाया गया, लेकिन जब हमने मांग की थी तीन साल पहले, तब क्यों नहीं लिया गया? आज सन् १९६२ के थोड़े दिन पहले क्यों किया जा रहा है? जो भय प्रकट किया गया है कि सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है वह सत्य है। सरकार समझती है कि जो इंडायरेक्ट रूप से चुने हुए प्रतिनिधि या प्लानिंग कमेटी के सदस्य हैं या पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नुमाइंदे हैं उनके रहते हुए ही अपने आदमियों को इन पदों पर चुनवा सकती है।

[श्री चन्द्रजीतसिंह यादव]

पिछली बार, मेरे जिले के अन्दर स्वयं एक माननीय सदस्य जो इस विधान सभा के सदस्य हैं इसलिये चुन लिये गये कि उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे वह पार्लियामेंट के लिये उम्मीदवार थे और उन्हीं के अन्डर यह विधान सभा की सीट के लिये लड़ रहे थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तमाम अध्यापकों के ब्लैंक पोस्टल बैलट ले लिये गये और २०७ वोट पोस्टल बैलट के इस तरह से पा लिये गये। मेरे साथी विरोधी सदस्य २०० वोटों से हारे। पोस्टल बैलट का एक भी वोट उन्हें नहीं मिला जब कि मुकाबले वाले को २०७ वोट पोस्टल बैलट वाले मिले। तो आज सरकार चाहती है कि अन्तरिम जिला परिषद् की जो मशीनरी है वह सरकार के अपने आदमियों के हाथ में आ जाय। इसी भावना के साथ इस वक्त इनको हटाया जा रहा है।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार अपनी नीति को स्पष्ट कर दे। अगर जिला स्तर के ऊपर सरकार समझती है कि जो रूपरेखा हमने बनाई है सही माने में वही डेमोक्रेसी बुनियादी है तो उसे स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। इस माने में पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब ज्यादा बेहतर हैं जो कहते हैं कि हम बुनियादी डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं। यह सरकार कहे तो कि वह जो व्यवस्था यहां कर रहे हैं वह बुनियादी डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं जिनका चुनाव १५–१६ साल पहले हो चुका है उन्हीं को हम आज भी जनता का प्रतिनिधि मानते हैं।

माननीय मंत्री जी ने अभी पांच-सात दिन पहले कहा था कि विरोधी दल के नेताओं की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं और उसमें विचार होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज सदन के अन्दर घोषणा करें कि कब तक सरकार यह समझती है कि जिला परिषद् का नया निर्वाचन हो जायगा और यह जनतांत्रिक इकाई जिला स्तर पर स्थापित हो जाएगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)— अधिष्ठाता महोदय, यह जो हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही जो संशोधन श्री गोविन्दसिंह जी ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, जिस समय श्री गोविन्दसिंह जी बोल रहे थे तो मुझको ऐसा लगा कि शायद उनको यह भ्रम हो गया है कि जिला परिषद् का विधेयक फिर से अजसरे नौ हमारे हाउस के सामने पेश है जब कि सही स्थिति यह है कि जो अन्तरिम जिला परिषदें आज भी हमारे प्रदेश में भिन्न-भिन्न जिलों में काम कर रही हैं और जिनकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० को खत्म होने वाली थी केवल उनकी अवधि ६ महीने के लिये बढ़ायी गई है और उसके अन्दर कुछ और २, ३, ४ तरमीमें की गई हैं। माननीय विष्ट जी ने इसके कम्पोजीशन के ऊपर कुछ बातें कहीं कि अन्तरिम जिला परिषद् का कुछ कम्पोजीशन भी बदला जा सकता था और उसकी तरफ़ कुछ संकेत मेरे मित्र चन्द्रजीत यादव जी ने भी किया। यह बात सही है कि यदि यह बात निश्चित हो जाय कि अभी चुनाव का होना सम्भव नहीं है, या चुनाव में १ साल से ज्यादा समय लगेगा तो इसमें मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती थी और १, २, ३ हफ्ते और ज्यादा टाइम लगने के बाद इन तरमीमों के साथ एक इससे बड़ा विधयक लाया जा सकता था और उन तत्त्वों को जिनको जिला परिषद् में सदस्य बनने की बात हम जिला परिषद् विधेयक में स्वीकार कर चुके हैं उनको इसमें शामिल कर दिया जा सकता था इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं थी। लेकिन जैसा सरकार का खयाल है और मंत्री जी ने भी कहा, वह यह चाहते हैं कि जो विधेयक विधान परिषद् के अन्दर चल रहा है उसको जल्दी पास कराया जाय और यथाशीघ्र चुनाव कराये जायं। और यह केवल बीच का एक मिड टर्म का इन्तजाम किया गया है सम्भवतः इसलिये उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल, यह सरकार के सोचने की बात है कि कितना समय लेंगे और यदि अधिक समय हो तो जो बात चन्द्रजीत यादव जी ने कही वह बात हो सकती थी।

मेरे मित्र ने कहा कि रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट इसको दे दिया गया है। लेकिन इसके अन्दर कहीं रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात मेरी समझ में नहीं आयी। उन्होंने यह भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ७ मेम्बर चुनकर आये हैं उनके होने की यहां क्या आवश्यकता है। मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह अन्तरिम जिला परिषद् है इसको एक रूप-रेखा बनी हुई है और उसके बदलने के लिये जो दूसरा विधेयक है जिसका नाम "जिला परिषद् विधेयक" है वह विधान सभा ने कुछ ही महीने हुए पास कर दिया। यह सही है कि यदि सदन बीच में स्थगित न होता तो बहुत सम्भव था विधान परिषद् उस विधेयक को पास कर देती। परन्तु जिन परिस्थितियों में ऐसा हुआ वे इस हाउस के सामने कई दफा आ चुकी हैं और मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि परिषद् के चुनाव में काफी देर हो गई है और १३ साल के करीब होने को आये हैं, इस बीच में चुनाव होना चाहिये था। परन्तु जैसा हमारे भाई जानते हैं कि एक विचार था कि जिला स्तर के ऊपर एक ऐसी इकाई बनायी जाय जिसका फंक्शन जो अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था उसके साथ-साथ जो नियोजन समिति थी, इन दोनों का समन्वय किया जाय और उसी को ध्यान में रख कर एक विधेयक आया था।

माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने बलवन्तराय मेहता कमेटी का संकेत किया। यह बात सही है कि उस कमेटी ने बहुत-सी अपनी सिफारिशें की थीं और यह भी सही है कि बहुत-सी सरकारों ने, विशेष कर आन्ध्र और राजस्थान ने उसको अधिकांश रूप में माना है। जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है हमने उसकी बहुत-सी बातों को माना है। मगर एक बात नहीं मानी है। बहरहाल, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि सरकार का वह निर्णय सही है और वह निर्णय यह है कि उस कमेटी ने कहा कि ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटी को ब्लाक स्तर के ऊपर अधिक अधिकार दिये जायं। इस सरकार की नीति यह है कि उन अधिकारों को आहिस्ता-आहिस्ता दिया जाय अभी उन्होंने फिलहाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर ही उनको केन्द्रित किया है। मैं समझता हूं ज्यों-ज्यों ग्राम स्तर और ब्लाक स्तर पर लीडरशिप विकसित होती जाय त्यों-त्यों उनको अधिक अधिकार मिलने चाहिये और अन्ततोगत्वा वह स्थिति इस प्रदेश में भी आने वाली है जब ब्लाक स्तर पर अधिक शक्ति व अधिकार दिये जायेंगे।

मान्यवर, जैसा मेरे मित्रों ने कहा मैं इस बात का अवश्य स्वागत करता हूं कि सरकार ने एक बड़ी पुरानी मांग को माना कि गैर-सरकारी व्यक्ति चुना जायगा अध्यक्ष के रूप में अन्तरिम जिला परिषद् के लिये। यह सौभाग्य की बात है लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे इस बात का दुख हुआ कि जिलाधीश अन्तरिम जिला परिषद् का मेम्बर नहीं होगा। मैं इसका कोई तर्क या कारण नहीं समझ सका। मैं कई बार कह चुका हूं आज फिर कहना चाहता हूं कि मुझको यह अहसास होता है कि जाने में या अनजाने में हमारे देश व प्रदेश के अन्दर एक संघर्ष चल रहा है चुने हुए प्रतिनिधियों और नौकरशाही के अन्दर और इस बात की कोशिश है कि किसका आधिपत्य किसके ऊपर हो। मैं सही मानी में जनतंत्र के माने यह समझता हूं कि जनता के चुने हुए नुमाइन्दों का पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण अधिपत्य नौकरशाही के ऊपर होना चाहिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे कर्मचारियों की मान-मर्यादा हो, उनकी प्रतिष्ठा हो। लेकिन प्रतिष्ठा के नाम पर यह भावना उनके अन्दर पैदा होना कि उनकी मान-मर्यादा लाखों व्यक्तियों द्वारा चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की मर्यादा के ऊपर है, यह चीज गलत है, जनतंत्र के विरुद्ध है।

मान्यवर, जिलाधीश अन्तरिम जिला परिषद् का मेम्बर हो सकता है जब तक वह उसका प्रेसीडेंट है लेकिन जब हम उसे प्रेसीडेंट से हटा दें तो उसका मेम्बर भी नहीं रह सकता। माननीय मंत्री जी एक दलील पेश कर सकते हैं कि हमने इसे इस बिल के अन्दर इनहेरेंट पावर्स दी हैं जिनके अन्तर्गत अपील वगैरह वह सुनेगा। यह दलील हो सकती है लेकिन जैसा मेरे मित्र यादव जी ने कहा कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेम्बर जिलाधीश

[श्री नवलकिशोर]

होता है। भावनगर में मुख्य मंत्री सुखाडिया जी ने यह कहा था कि जिलाधीश को एक साधारण सदस्य की तरह उन्होंने जिला परिषद् में रखा है। तो कोई वजह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी वह बात न मानी जाय। मुझे यह परेशानी नहीं ह कि वह मेम्बर होता है या नहीं लेकिन उसके पीछे जो विचारधारा है वह गलत है। हम वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं लेकिन एक नया वर्ग पैदा होता जा रहा है। आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० तथा टेक्नीशियंस के, भिन्न-भिन्न वर्ग हैं और एक दूसरे में संघर्ष है कि टेक्निकल लोगों का आधिपत्य हो या एक्जिक्यूटिव का आधिपत्य हो। वर्गविहीन समाज की स्थापना इस तरह से नहीं हो सकती।

इसी तरह एंटीकरप्शन कमेटी जो हमारे जिलों में बनी थी जिस समय जिलाधीश उसका चेयरमैन होता था तो एस० पी० भी उसका मेम्बर होता था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहैसियत चेयरमैन के उसका मेम्बर होता था लेकिन जिस दिन यह तय किया कि नान आफिशियल उसका चेयरमैन होगा तो एस० पी० और जिलाधीश दोनों उसके मेम्बर नहीं रक्खे गये। यह बात मुझे महसूस होती है कि शायद जिलाधीश के पद को, उसकी मान मर्यादा को इतना अछूता रखने का विचार है कि कोई उसे छू न सके। मान्यवर, हममें से बहुत से व्यक्ति हैं जो आज मेम्बर हैं। कल को वे गवर्नमेंट के मेम्बर हो सकते हैं और परसों विरोधी पक्ष में आ सकते हैं और कभी जाकर ये जिला परिषद् के चेयरमैन भी हो सकते हैं तो मैं यह नहीं समझता कि जनता का प्रतिनिधि जो सब कुछ बन सकता है, मुख्य मंत्री तथा प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है और अगर आज उन्हीं की हैसियत का दूसरा व्यक्ति अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष हो जाय तो उसके मातहती में जिलाधीश का काम करना उसके अपमान की बात हो जाय यह कहां तक उचित है।

एक जमाने से हमारी मांग थी "वारंट आफ प्रिसिडेंस" बनाए जाने की। आप भी जानते हैं कि सूचना विभाग के अन्तर्गत जब कभी सरकारी उत्सव या कोई अन्य कार्यक्रम होता है मुझे इस बात का अनुभव है, कि मेरे साथियों को भी बड़ी शिकायत होती है कि उनके लिये वहां उचित स्थान नहीं मिलता। कई बार मैं इस बात को उठा चुका हूं। मान्यवर, जब गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर उन्हें धन्यवाद का प्रस्ताव मैंने पेश किया तो मैंने एक मिसाल दी थी कि आगरा के अन्दर जब इंग्लैंड की क्वीन वहां तशरीफ लाई थीं उस समय जो वहां के विधायक थे उनके साथ जो अपमानजनक बर्ताव हुआ वह सभी जानते हैं। ये सब बातें इस बात का सबूत है कि अन्दर खाते एक खाम ख्वाह कशमाकश चल रही है। वारंट आफ प्रिसिडेंस इसीलियेब न नहीं पाता है हमारे प्रदेश के अन्दर, जबकि बहुत से प्रदेशों के अन्दर तथा केन्द्र के अन्दर बना हुआ है, चूंकि हमारे सरकारी कर्मचारी विशेषकर जिलाधीश और कमिश्नर इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि जनता के चुने हुए नुमाइन्दों से उन्हें स्थान पीछे या कम दिया जाय।

इस मनोवृत्ति का मैं घोर विरोध करता हूं। मैं यह जानता हूं कि जनतंत्र में नौकरशाही का यानी डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का साथ होता है और मैं यह भी जनता हूं कि जो आज कम्युनिस्ट देश हैं, चाहे वह चीन हो, चाहे रूस हो वहां जो उनके हेड आफ दि स्टेट हैं, माओ और ख्रुश्चेव, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वहां की महान क्रान्तियों के बाद भी वे नौकरशाही को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाये हैं। मैं यह दलील कोई इसलिये नहीं दे रहा हूं कि इसमें मुझे कुछ तसकीन होती है। मैंने यह इसलिये कहा कि डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का साथ चलता है और कभी-कभी ब्यूरोक्रेसी जनता के नुमाइन्दों पर हावी होने की कोशिश करती है लेकिन सही और मजबूत जनतंत्र वही है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को उचित स्थान मिलता रहे लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल जनता के नुमाइन्दों का ही होना चाहिये। मैं कभी यह नहीं चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को कमजोर किया जाय या उसको ह्यूमिलियेट किया जाय या उसको डिमारलाइज किया जाय लेकिन साथ-साथ मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि वह एरोगेन्ट, इम्पर्टिनेन्ट या इर्रेस्पान्सिबिल हो

जाय । तो मैं कहूंगा मंत्री जी से कि वे मेहरबानी करके इस तरफ अवश्य ध्यान दें कि उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट को हटाया है उसके पीछे कोई तर्क की बात नहीं है ।

एक बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव की कही गई यद्यपि इस विधेयक का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने इस बारे में कहा था और उसके जवाब में मुझे एक ही शब्द कहना है कि जिस समय विधान परिषद् से संशोधित हो कर वह विधेयक आपके सामने आये तो फिर एक मौका इस विधान सभा को मिलेगा कि वह इस प्वाइंट को उठाये । व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार यही है कि जहां तक सम्भव हो बहुमत उन्हीं व्यक्तियों का होना चाहिये जिला परिषद् में जो सीधेतौर पर चुन कर वहां जायं ।

मेरे मित्र चन्द्रजीत जी ने एक बात यह भी कही कि हमारे जनतंत्र से तो पाकिस्तान के अयूब खां का जनतंत्र अच्छा है । यह साम्यवादी ही कह सकते है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैंने यह नहीं कहा था । मैंने कहा था कि वह हिम्मत करके कहते हैं ।

श्री नवलकिशोर—अच्छा, तो हिम्मत में तो मैं कोई मुकाबला अयूब खां और माननीय मंत्री जी का करने वाला हूं नहीं ।

एक बात और कहीं गई कि टैक्सेशन की पावर्स अन्तरिम जिला परिषद् के अन्दर बहुत हैं । जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है, मैं समझता हूं कि जो पावर्स अब जिला परिषद् को दी जा रही हैं उनमें और इनमें कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है और फिर, जैसा कि मैंने कहा था, उसका प्रश्न भी यहां नहीं उठता है । क्योंकि इसका स्कोप सीमित है ।

एक बात मैंने और देखी । जहां तक मुझे याद है, शायद हमने उस सिद्धान्त को माना था कि जिस तरह से असेम्बली, कौंसिल और पार्लियामेंट के मेम्बर्स जिला परिषद् के चेयरमैन नहीं होंगे उसी तरह से म्युनिसिपलिटीज के चेयरमैन भी उसके चेयरमैन नहीं होंगे । मगर जो अमेंडमेंट मैंने देखा उसमें यह बात नहीं है । तो जब आप नान-आफिशल चेयरमैन बनाने जा रहे हैं और जब आपने पाबन्दियां लगाई हैं संसद और विधान मंडल के सदस्यों पर तो मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि मंत्री जी मेहरबानी करके यह सोचें और मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी इस बात को कि नगरपालिका का अध्यक्ष परिषद् का अध्यक्ष न हो अगर वे मानें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

अन्त में बहुत-सी बातें कही गईं जिनको मैं असंगत मानता हूं । मेरे मित्र गोविन्दसिंह जी ने कहा कि सारे प्रदेश का बड़ा नाश हो रहा है, कांग्रेस दल में बड़ा झगड़ा, बड़ा तूफान है । मैंने पहले भी कहा था और आपने भी जैसा संकेत किया, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, एक ही शब्द कहूंगा, हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे अन्दर जो आजकल अन्दरूनी झगड़े हैं उनके कारण विरोधी दलों को तानाकशी करने का मौका मिलता है । लेकिन मैं अपने उन साथियों से पूछता हूं कि कल जो विरोधी पक्ष की ओर से नो-कांफीडेन्स का प्रस्ताव पेश किया गया था उसके ऊपर जो विरोधी दलों ने नंगा नाच दिखाया उसका क्या यह सबूत नहीं है कि विरोधी दल में एक नहीं बल्कि ५-६ टुकड़े हैं और जैसा कि कई सम्मानित नेताओं ने कहा है कि यह विरोधी दल कई गुटों का एक काम्बीनेशन बन गया है और आपस में विरोधाभास के कारण लड़ता रहता है । यह भी कम दुःख की बात नहीं है । जो उन्होंने जनतंत्र की हत्या की बात कही, मैं उनको बता देना चाहता हूं, चाहे वह माननीय गोविन्दसिंह जी हों य चाहे समाजवादी नेता हों सब की जनतंत्र की अपनी-अपनी कल्पना और अपनी-अपनी रूपरेखा है, जितने दल हैं उतनी ही जनतंत्र की रूपरेखायें हैं और जितने बड़े-बड़े नेता इन दलों में हैं उनकी इसके संबंध में अपनी कल्पनायें अलग-अलग हैं । सब की बातों में तो हम नहीं जा सकते हैं । लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि जनतंत्र की ओर हमारे देश का और प्रदेश का कदम बढ़ा है और हमारा लक्ष्य है कि समाजवादी जनतंत्र की स्थापना

[श्री नवलकिशोर]

होगी । उस ओर हमारा देश और प्रदेश मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के संशोधन का विरोध करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री गोविन्दसिंह जी बिष्ट के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इससे पहले कि मैं इस विधेयक पर कुछ बोलूं मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे साथी नवलकिशोर जी जिनकी विद्वता पर हमें कभी-कभी नाज होता है, इतने बुजुर्ग सदस्य इस बात के कहने पर उतारू होंगे कि वह अपनी सफाई देने के लिये दूसरों को दोष दें, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और मुझे उचित नहीं लगा । नंगा नाच दिखाने की बात कही तो इसका श्रेय कांग्रेस को है । मैं इस पर न जाकर विधेयक पर आता हूं ।

मान्यवर, जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम आफ गवर्नमेंट होता है वहां पर जो कबिनेट होती है वह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है । एक बार माननीय टंडन जी ने रूलिंग दी थी कि "कबिनेट इज दि कमेटी आफ दि हाउस" और सदन जो पास करेगा उसकी जिम्मेदारी कबिनेट पर है । मैं आपका ध्यान २४ फरवरी, १९५८ की ओर ले जाना चाहता हूं कि इसी आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों ने सरकार को यह चीज सौंपी थी कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव कराये । आपको याद होगा कि संशोधन विधेयक लाया गया और उसकी खामियों पर प्रकाश डालते हुये इसलिये उसे पास कर दिया गया कि उस समय के माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दो तीन मिनट में इसको पास कर दें तो मैं आभारी होऊंगा । श्रीमन्, मुझे मंत्री जी का उस समय का कहना याद है और यदि आप कहें तो मैं उसको कोट कर सकता हूं । उन्होंने कहा था कि इसको शीघ्र पास कर दें तो मैं आभारी होऊंगा क्योंकि हमें चुनाव कराना है ।

अब मैं आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन से पूछना चाहता हूं और नवलकिशोर जी को जबाब देना चाहता हूं कि वह कौन-सी गवर्नमेंन्ट है जिसके वह सदस्य हैं, जब ८ मार्च, १९५८ को गवर्नर ने अपनी अनुमति दे दी और बिल को ऐक्ट में परिणत कर दिया तो फिर जुलाई, १९५८ में अध्यादेश हाउस के बिना पूछे क्यों लाया गया । मैं मान्यवर, पार्लियामेंटरी सिस्टम के सब से बड़े विद्वान कीथ साहब हैं, उनकी दो पंक्तियां कोट करना चाहता हूं वह इस लिये कि हाउस जो भी पास करे उसको कार्य रूप में परणित करने की जिम्मेदारी कैबिनेट पर है । मान्यवर, उसमें लिखा है—

"(*a*) The final determination of the policy to be submitted to Parliament, (*b*) The Supreme control of the national executive in accordance with the policy prescribed by Parliament."

उसमें साफ लिखा है कि जो भी हम यहां पालिसी बनाते हैं उसको सरकार लागू करे । अगर सरकार उसमें कोई परिवर्तन करना चाहती है तो पार्लियामेंट या असेम्बली के सामने उस चीज को आना चाहिये । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिला बोर्ड (संशोधन) विधेयक को इस सरकार ने आर्डिनेंस के रूप में जिला अंतरिम जिला परिषद् में परिणत किया । उसकी अनुमति पहले सदन से नहीं ली । यह जनतंत्र प्रणाली के विपरीत है । जो लेटेस्ट अथारिटी है मैं उसको कोट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अन्देशा है कि यह जो विधेयक है, फिर आर्डिनेंस लाकर परिवर्तित किया जा सकता है । आज यह कैबिनेट सात-सात आर्डिनेंस एक ही सेशन में ला कर ऐक्ट में परिवर्तित कराना चाहती है । २१४ पेज में है :

"The final determination of the policy to be submitted to Parliament".

यह दोनों अथारिटीज ऐसी हैं जिनके अनुसार न वे पालिसी बनाते हैं और न कार्य करते हैं । जो सिद्धांत है उसके विपरीत सरकार ने काम किया है । हम यह नहीं देखते कि इस कुर्सी पर

गुप्ता जी हैं या सम्पूर्णानन्द जी हैं। हम यह देखते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट है। उसने जनतांत्रिक प्रणाली को अवनति के गर्त में डाला है और आर्डिनेंस ला कर कानून में परिवर्तित कर रही है। सरकार आर्डिनेंस क्यों लाना चाहती है। आर्डिनेंस के बाद नियमानुसार छः हफ्ते के अन्दर ऐक्ट बनाना जरूरी हो जाता है। इसी लिये आर्डिनेंस ला रहीहै कि अगर उनमें साथी किसी मानी में विरोध करें तो कह दें कि आर्डिनेंस का मामला है उसको तो ऐक्ट बनना ही है।

१९५८ में अध्यादेश इस लिये आया था कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट थे, जो गैर सरकारी व्यक्ति कुर्सी पर बैठते थे उसके स्थान पर जिला के खुदा को गद्दी पर बैठा दो और आज कहा जा रहा है कि उस समय हमने विरोध किया था, सारे विरोधी दल ने, मैं राजनारायण जी की तरह सोशलिस्ट पार्टी नहीं कहता, उस समय सारे विरोधी दल ने विरोध किया था, जिसमें सबसे बड़ी ताकत राजनारायण जी ने लगायी होगी, यह मैं मानता हूं, हमने उस समय कहा था कि जिलाधीश को उस कुर्सी पर मत बिठाओ। मगर आज क्या है? माननीय नवलकिशोर जी ने बलवन्त राय मेहता कमेटी का हवाला दिया। मैं जानना चाहता हूं कि बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गयी थी। उसके बाद अध्यादेश जारी हुआ और उसके बाद जब आपने जिला अंतरिम विधेयक ऐक्ट के रूप में परिणत कर दिया तो बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव क्यों नहीं कराया गया? कौन से कारण हैं जिनसे जिला परिषदें नहीं बन पायीं? जिला परिषदों द्वारा बहुत बड़ा प्रयोग होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। आज सरकार बाहर से केवल जामा पहना कर यह कहती है कि हम जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण चाहते हैं। इसलिये हम जोरदार शब्दों में कहते हैं, और हमारा आपके ऊपर यह चार्ज है कि आपकी कथनी और करनी में समानता नहीं है और उसका कारण यह है कि बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट अलमारी में बन्द पड़ी है। दूसरी तरफ मैं आंध्र और राजस्थान की सरकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने डेमोक्रैटिक डिसेंट्रलाइजेशन को सफल करके दिखाया है। जब कभी कोई बात आती है तो हमसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। क्यों है? क्योंकि प्रधान मंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं और बड़े बड़े ज्ञाता भी उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन आज तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि जनतंत्र की जड़ों को कमजोर करने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी है, मेजारिटी पार्टी है। जिस तरह की परम्परायें वह चलायेगी उन्हीं परम्पराओं का प्रतिपादन हम भी तो करेंगे। मान्यवर, आपको तो दया है, आप तो पोलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी रहे हैं आप जानते हैं कि इंगलैन्ड में सारी चीजें कस्टम्स और यूसेजेज पर ही आधारित हैं। तो वहां की परम्पराओं को कायम करने वाले कौन हैं? यही सदस्य ही तो वहां उन परम्पराओं को कायम करने वाले हैं। आज यहां के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं और खास तौर से कांग्रेस के उन लोगों से कि इतिहास आपको माफ नहीं कर सकता। इतिहास के पन्नों में लिखा जायेगा कि जिस प्रकार ९८ आदमियों ने सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के खिलाफ आवाज बुलन्द की थी तो भी वे कांग्रेस के सदस्य बने रहे। आज ठीक वही काम सम्पूर्णानन्द के आदमियों ने किया है कि उन्होंने गवर्नर के भाषण में हिस्सा नहीं लिया। आज भी वे कांग्रेस के सदस्य बरकरार हैं। क्या यही जनतंत्र है?। क्या यही परम्परा आप कायम करने जा रहे हैं?

(इस समय २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य विधेयक पर बोल रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठें। उन्होंने केवल एक उदाहरण दिया है। उस पर वह बोल नहीं रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, माननीय रावत साहब जैसे बी०ए०, एल०एल० बी० पास व्यक्ति को यह पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। उसको ऐसी परम्परायें कायम करनी चाहिये कि जिससे आगे आने वाली सरकारें भी उसके कदमों पर चल सकें। आज जो यह अध्यादेश आया है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है कि आज जो सरकारी आदमी वहां बैठता है उसकी जगह गैरसरकारी आदमी रख दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जब ग्राम पंचायतों का चुनाव सरकार करा रही है, ब्लाकों का करा रही है तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल वह क्यों नहीं लाती है। जिस बिल को हमने पास किया, उसके बारे में कहने का हमें पूरा अधिकार है। हमारे सामने एक दलील दी गई कि बाढ़ आ गई थी। कौंसिल ने कह दिया कि हम नहीं बैठेंगे। कौन इसके लिये जिम्मेदार है? बाढ़ आ गई थी लेकिन कौंसिल हाउस में बाढ़ नहीं आई थी। और श्रीमन्, ऐसे भी मुल्क हैं जिन्होंने कि वार के जमाने में बड़ी-बड़ी दिक्कतों को उठाते हुये भी काम किया है। तो यह कोई दलील नहीं हो सकती। सच बात क्यों नहीं कहते कि हमें अपनी कुर्सी बचानी है, चुनाव हो चाहे न हो। हमने यहां से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल को पास किया है इसलिये यह हमारा अधिकार है कि हम आपसे जवाब तलब करें कि आपने चुनाव आज तक क्यों नहीं कराया? इसलिये नहीं कराया कि इनको मालूम है कि आज जनता का विश्वास उन पर नहीं है। चन्द पूंजीपतियों का विश्वास है। लेकिन ग्राम सभाओं में पूंजीपति नहीं रहते, वहां छोटे छोटे गरीब इंसान रहते हैं जिनके लिये एक दफे की रोटी भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं की है। आज जब उनके द्वारा चुनाव कराने का प्रश्न आ रहा है तो हिम्मत पस्त है। माननीया सुचेता कृपलानी से जब कहा गया चुनाव लड़ने के लिये तो वह डरने लगीं। आखीर जब तमाम विरोधी दलों ने आवाज उठायी तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया।

मान्यवर, मुझे आज दुख इस बात का है कि आज सारी जिला परिषदों में कांग्रेस की मैजारिटी है, बोलबाला तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बोलबाला नहीं है जिसका कारण यह है कि दिलचस्पी उनकी नहीं है। कितनी दिलचस्पी वह लेते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग ३० तारीख को अभी हुई। पहले ५ दिसम्बर को रखी गई थी। लेकन कांग्रेस के एम० पी० जितने हैं उन्होंने कहा कि हम भी आयेंगे, इसलिये वह स्थगित कर दी गई और ३० तारीख को रखी गई जिसमें कि कुमायूं का प्लान बननेवाला था। लेकिन उसमें कोई भी कांग्रेस का एम०पी० नहीं आया। तो इसको हम बोलबाला कैसे कहें? अब जिला मैजिस्ट्रेट को हटाया क्यों जा रहा है? इसलिये हटाया जा रहा है कि मान्यवर, आपको याद होगा कि सन् १९५० में जिस समय अमेंडिंग बिल आया था और अन्तरिम जिला परिषदों का संगठन हुआ था उस समय यह कहा गया था कि जो गैरसरकारी अध्यक्ष हैं उनसे सीट खाली करा ली जायगी और गैर सरकारी अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। वह उपाध्यक्ष कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन उसके उपाध्यक्ष हैं। अगर इस विधेयक के मुताबिक चुनाव होगा तो क्या होगा। वही लोग अध्यक्ष होंगे। जो तस्वीर सन् १९५८ में जिलों में थी उसी तस्वीर की पुनरावृत्ति होगी। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको यह कौन से लोग राय देने वाले हैं। जब विरोधी दल के लोग आपसे कहते हैं कि जिलाधीश को, जिले के खुदा को अध्यक्ष मत बनाइये तब तो आप उसको वहां पर बैठा देते हैं और उसके बाद आज हम कह रहे हैं कि यह गलती मत कीजिये तो आप कहते हैं कि नहीं, वहां पर गैरसरकारी जरूर होना चाहिये। हम भी मानते हैं कि ऐसा हो लेकिन वहां पर तो स्थिति बिलकुल दूसरी है। सफेद टोपी वहां पर रखना चाहते हैं। बाहर से कुछ और बात है और अन्दर से दूसरी बात है। आप अपना सिम्बल रखना चाहते हैं किन्तु हमारी मांग यह है कि जिला कौंसिल का चुनाव कराया जाय। जनता जिसको चाहेगी, भेजेगी और जिसको पसन्द करेगी उसको वोट देगी और वही आयेगा। उनको क्यों नहीं मौका देते हैं?

इसके बाद यह कहा गया कि आज हमारी जिला नियोजन समिति में जितने सदस्य हैं वह इसके सदस्य होंगे। मान्यवर, मेरे साथ भी इस सिलसिले में बड़ा अन्याय किया गया है इस सरकार के द्वारा। मेरा जो क्षेत्र है वह दो जिलों में पड़ता है। मैंने सरकार को लिखकर दिया कि मुझे दोनों जिलों की जिला परिषद् का सदस्य बनाया जाना चाहिये लेकिन सरकार ने लिखकर दे दिया कि नहीं, तुम एक जिले में ही सदस्य हो सकते हो। मैं असेम्बली का सदस्य होने के नाते उसका सदस्य हूं न कि प्रतापसिंह के नाते। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोई असेम्बली का सदस्य हो जाता है तो वह जिले की उस समिति में बैठता है तो फिर कौन-सा नियम है कि मैं दोनों जिलों की अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता। मैं सरकार को लिखता रहा। मुझे बहैसियत सदस्य विधान सभा के अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य नैनीताल का भी होना चाहिये और पीलीभीत का भी होना चाहिये। एम० एल० सी० जो ६ जिलों से संबंध रखता है, उनके लिये तो वह नियम लागू है वही मेरे लिये यह सरकार लागू नहीं करती है। मेरी मांग है कि वह नियम मेरे लिये भी लागू नहीं होना चाहिये। मैं जनता की खिदमत करना चाहता हूं किन्तु यह सरकार अपने कानून से मुझे रोकना चाहती है। मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन हो।

इसके बाद जिला नियोजन समिति के लिये जिलाधीश को अधिकार है, वह मनोनीत कर सकता है। सरकार को भी अधिकार है कि वह मनोनीति कर सकती है। मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की यह नामिनेशन की प्रणाली होती है उससे सरकार में करेप्शन होता है और जनता भी करप्ट होती है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं:

The nomination system has had a most demoralizing influence. It corrupted the public as well as the Government.

जब खेर कमेटी बैठी थी तो उस कमेटी ने यह राय दी थी। जिला अन्तरिम परिषद् की लिस्ट उठाकर देखा जाय तो पता लगेगा कि जिनका नामोनिशान नहीं है वे वहां जाकर बैठते हैं। भारत सेवक समाज का संयोजक वहां जायगा। अगर वह नहीं है तो दूसरा व्यक्ति वहां जाता है। ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी में कांग्रेस के मेम्बर बैठते हैं। एक जगह हमने सवाल किया कि तुम सदस्य कैसे हो गये, उसने कहा कि पहले से ही इसमें हूं। इसलिये मैंने कहा कि नियम का पालन नहीं हो रहा है।

मैं आखिर में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप गैर सरकारी अध्यक्ष बना रहे हैं तो उस कलेक्टर के अधिकार कितने कम कम रहे हैं? मैं विधेयक के पेज १६ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—"अन्तरिम जिला परिषद् पर नियंत्रण, जब कलेक्टर की राय हो कि अन्तरिम जिला परिषद् का कोई भी कार्य अथवा संकल्प लोकहित के विरुद्ध है तो वह राज्य सरकार के पास तत्संबंधी कारण लिखते हुये अभिदेश भेज सकता है।"

मान्यवर, यह क्या जाहिर करता है? प्रान्तीय सरकार का जिले में नुमाइन्दा कौन? जिलाधीश। आज ही हमारे और आप के प्रश्न के उत्तर में माल मंत्री जी ने यह कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि कलेक्टर लिखेगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। यह क्या है? आप मजाक बना रहे हैं और इस सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं नवलकिशोर जी से भी निवेदन करूंगा, जिन्होंने अभी अपना भाषाण दिया कि इस विधेयक की सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है जब कलेक्टर को महत्ता दे दी जाती है। उसकी राय ही सर्वोपरि मानी जायगी तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस विधेयक के द्वारा सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसा नवलकिशोर जी ने कहा था, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं कि कलेक्टर को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये लेकिन उसको जिला परिषद् का सदस्य अवश्य होना चाहिये ताकि वह वहां व्यक्त हुए विचारों से लाभान्वित हो कर शासन का काम चला सकें।

इसके अलावा धारा १२ के अनुसार जो कलेक्टर को अधिकार दिये जा रहे हैं उनसे यह होगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो नारा सरकार लगाती है वह सब

[श्री प्रतापसिंह]

समाप्त हो जायगा। मुझे याद आता है कि अंग्रेजों के जमाने के समय आई० सी० एस० अफसरों में बड़ी घबड़ाहट थी कि अब हमारा भविष्य क्या होगा। उसका तर्जुमा गोविन्दसहाय जी को हैं। मैं मानता हूं कि कलेक्टरों में भले आदमी भी हैं लेकिन उनका मेजारिटी में जो तबका है वह समझता है कि अगर यह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारे देश और प्रदेश में हो जायगा तो हमारी यह शान और शौकत नहीं रहेगी जो आज है। इसलिये मैं आगाह करना चाहता हूं अपने को और सरकार को कि कलेक्टर यह नहीं चाहेगा कि गैरसरकारी आदमी की अध्यक्षता में यह डिसेंट्रलाइजेशन चल सके। उनमें होड़ है कि सारे टेक्निकल अफसर आज उनके अन्डर में आ जायं और यह संघर्ष आज चल रहा है। अगर इस से हम न बच सके और मैं समझता हूं कि नहीं बच सकेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारा भविष्य क्या होगा। कलेक्टर तो धारा १२ के अनुसार अपना कार्य करेगा और उस के अनुसार यह विधेयक तो ब्यूरोक्रेसी को और बढ़ावा देता है। यहां मंत्री जी अच्छे-अच्छे भाषण दे सकते हैं, लेकिन धारा १२ में एक से लेकर ६ तक जो प्रतिबंध हैं उनके अनुसार कलेक्टर किसी भी प्रस्ताव को कह सकता है कि यह जनहित में नहीं है। यह गलत है और ऐसा होने से हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की परम्परा कायम नहीं कर पायेंगे।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे जिला परिषदों का चुनाव कब करायेंगे। इसका सम्बन्ध गांवों से है। हमारा नियोजन का काम भी जिला स्तर पर होगा। ब्लाक ब्लाक की असेम्बली होगी, ग्राम स्तर पर असेम्बली होगी, जिला स्तर पर असेम्बली होगी और यही हम चाहते हैं। इसलिये अगर सरकार ने निकट भविष्य में चुनाव न कराये तो जनता में आज असंतोष बढ़ता जा रहा है वह बढ़ता रहेगा और इसकी जिम्मेदारी विरोधी दलों पर नहीं, वरन् सरकार पर होगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बतलायें कि वे किस महीने की किस तारीख को ये चुनाव करवायेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, शुरू में मेरा इरादा इस बिल के बारे में बोलने का नहीं था लेकिन जो स्पीचेज यहां पर हुई उन से कुछ थोड़ी-सी प्रेरणा मिली और कुछ उत्साह भी। मेरा खयाल यह है कि इस बिल के बारे में काफी कहा गया है—हालांकि काफी जोरदार जबाब में कहा गया है, मगर जो वस्तुस्थिति है उसको सामने रख कर कम कहा गया है। वाकया यह है कि १२ साल से एक तस्वीर जो जिले के स्तर पर बननी चाहिये थी वह हम नहीं बना पाये। कौन-कौन जिम्मेदार हैं? परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, पार्टियां जिम्मेदार हैं, अपोजीशन जिम्मेदार हैं। यह एक वाकया है कि हमारी जो कुछ भी देन थी वह इसी बात से जाहिर होनी थी कि वह कौन-सा ढांचा है जिसे हम अपने आप बनाकर पेश करते हैं। यह सही है कि जो ढांचा हमें मिला था वह अंग्रेजी हकूमत से था। उसके लिये हमें खुशी नहीं है, शरम भी है कि १२ साल तक हम कोई नक्शा नहीं बना पाये हैं। यह अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं बना पाये, इसके मिश्रित कारण हैं। हम भी जिम्मेदार हैं और आपोजीशन के लोग भी जिम्मेदार हैं इस माने में कि कोई आपने भी ढांचा हमारे सामने नहीं रखा है। यह कहने की जुर्अत मैं करता हूं कि मुझे अफसोस है कि एक नक्शा हमने भी पेश किया था, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट इवैलुएशन कमेटी ने पेश किया है लेकिन मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट के मेम्बरों ने उसे पढ़ने तक की कोशिश नहीं की और न उस पर कोई तवज्जह ही दी है। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि आखिर उसकी यह अपनी कमेटियां होती हैं, हजारों रुपया उन पर खर्च होता है, उसमें लोगों का एवीडेंस होता है लेकिन गवर्नमेंट उसको पढ़ने के लिये भी तैयार नहीं होती। यह अफसोस की बात है।

यह बात तो सत्य है ही कि हम नक्शा नहीं बना पाये हैं। अब सवाल यह आता है कि आइन्दा क्या किया जाय। जो चुनाव होने वाले थे वे नहीं हुये। अब कौन जिम्मेदार है? मेरी इत्तला यह थी कि कौंसिल में सब पार्टीज के ऐग्रीमेंट से यह बात आयी थी कि

लखनऊ में चूंकि सैलाब आ गया है और हो सकता है कि कौंसिल हाउस में भी पानी घुस जाय तो सब ने यह समझा कि मुनासिब यह है कि कौंसिल हाउस की मीटिंग को रोक दिया जाय। उसके लिये महज कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं थी, सबकी जिम्मेदारी थी।

श्री राजनारायण---आपकी इत्तला गलत है।

श्री गोविन्दसहाय---अगर मेरी इत्तला गलत है तो आपको मौका है कि आप बताइयेगा कि आपकी इत्तला क्या है। मुझे कोई जिद नहीं है लेकिन मुझे यह पता है कि कौंसिल में यह यूनानीमसली तय हुआ था कि चूंकि हमारा दिमागी आलम अभी ठीक नहीं है, फ्लड्स जोरों पर है, तो वह बन्द हुई। उसके बाद पोलिटिकल वाकयात हुये। कांग्रेस के अन्दर जो झगड़े है मैं समझ रहा हूं, मैं उसे दुर्भाग्य नहीं समझता क्योंकि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में झगड़े होते ही हैं, अफ्रीका और एशिया ऐसे देशों में जहां अभी डेमोक्रेसी अपनी जड़ें नहीं जमा पायी हैं उसमें यदि झगड़े पैदा हों तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। वह एक इनहेरेन्ट बात है और वह चल रही है। अभी डेमोक्रेसी स्टेबिलाइज नहीं हुई है लेकिन इन झगड़ों की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वाकया यह है कि दो ही रास्ते थे कि या तो इस बिल को जो पेश हो गया था उसी को पास कराया जाता और उसी के मुताबिक चुनाव कराया जाता लेकिन अपोजीशन के लोगों में और कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी राय इस बात की है कि जो बिल बन रहा था जो बिल आखिरी मंजिल पर पहुंच गया था वह बिल कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें भला हो सकेगा। जो गवर्नमेंट इस वक्त आयी उसके सामने अमली सवाल यह था कि फौरी क्या काम किया जाय। डेमोक्रेसी को मैं ऐसी चीज नहीं मानता कि उसमें ऊपर नीचे करने से कोई खास बदलाव होने वाला है लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि नान-आफिशियल को चेयरमैन रखना एक बहुत अच्छा कदम है इसलिये कि पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ताकत देना, चाहे वह गलती ही क्यों न करे, वह अच्छी बात है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जब हमने कहा था उस वक्त यह बात नहीं मानी थी।

श्री गोविन्दसहाय---उस वक्त नहीं मानी गयी लेकिन आज मान ली जाती है तो आपको शिकायत नहीं करना चाहिये। तो फिर एक मुसीबत भी आ सकती है, नीयत पर भी आक्षेप हो सकता है। एक बात जरूर इस सरकार को अपने दिमाग में साफ रखना चाहिये कि आया वह जून-जुलाई में चुनाव कराने का इरादा रखती है या नहीं। मेरा खयाल यह है कि सन् १९६२ से पहले चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार चुनाव नहीं करा पायेगी अगर यह वाकया है और हमारे दिलोदिमाग साफ हैं कि चुनाव सन् १९६२ के बाद ही हो सकेंगे तो मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की आज है कि हम इस बिल को थोड़ा-सा एमेन्ड करके लायें और ऐसा बिल लायें जिसके अनुसार जो परिषद् का कम्पोजीशन हो वह अच्छा हो और उसका जो वर्तमान गठन है उससे कोई वास्ता न हो। आज वह एक अजीब चूं चूं का मुरब्बा बना हुआ है। हम अगर सन् १९६२ से पूर्व चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो हम एक छोटा-सा बिल ला सकते हैं जिसके अन्दर, जो पुराना बिल है, जिसे इस सदन ने पास किया था, उसकी स्प्रिट भी हो और उसका गठन ऐसा हो जो अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सके। मेरे खयाल से इस समय जो बिल हमारे सामने है वह तो इतमिनानबख्श नहीं है। इसलिये एक दूसरा बिल हमारे सामने आना चाहिये, चाहे उसमें कुछ देरी और क्यों न हो जाय, हमें उस देरी की परवाह नहीं है। जो मौजूदा बिल पास हुआ था उसमें काफी रुपया खर्च हुआ था, हम लोगों की काफी ताकत भी खर्च हुई थी, उसके अन्दर बहुत से अच्छे फीचर्स भी थे, उसके अन्दर नामिनेटेड मेम्बर्स भी नहीं रखे गये थे, इलैक्टेड मेम्बर्स भी रखे गये थे. कुछ संस्थायों के रिप्रेजेन्टेटिव भी थे, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी भी अच्छी बातें थीं उनके आधार पर, उनको लेकर हम एक छोटा-सा बिल ला सकते हैं। हमें चाहिये

[श्री गोबिन्दसहाय]

कि हम इस समय दो-तीन महीने के भीतर एक नया बिल ले आयें और दो-तीन महीने के अन्दर ही एक नान-आफिशियल चेयरमैन का चुनाव करा दें। इससे, मैं कहता हूं कि हालत सुधरेगी। जहां तक मेरी इस राय का ताल्लुक है, मैं यह कहने की जुर्रत करता हूं और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के काफी लोगों की यह राय है, जिसे मैंने अभी रखा है।

अब जहां तक और बातों का जिक्र किया गया, डेमोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी का तथा और बातों का, तो उन बातों का तो जिक्र बजट सेशन में होगा, इस वक्त मैं उन बातों का जवाब देना नहीं चाहता . . . .

श्री ऊदल--आप उस पर कुछ लिख भी तो रहे हैं ?

श्री गोविन्दसहाय--लिख रहा हूं या नहीं, मैंने जो कहा है वही काफी है।

मैं एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस मसले पर थोड़ा बहुत दिमाग लगाया था और जो हमारी कमेटी थी उसने अपने कुछ सुझाव रखे थे। आप जानते हैं कि जो इस हाउस की कमेटी होती है वह हाउस के मुकाबले में किसी भी विषय पर ज्यादा अच्छी तरह विचार कर सकती है और उसमें हर पार्टी के सदस्य होते हैं। काफी विचार के बाद कोई बात हम सरकार के सामने रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो नक्शा हम रखते हैं वह ठीक ही होता है, लेकिन ताज्जुब इस बात का जरूर होता है कि जो पहले मंत्री महोदय थे उन्होंने भी और वर्तमान मंत्री महोदय ने भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। उस रिपोर्ट को उन्होंने भी नहीं पढ़ा। मैं समझता हूं कि उस कमेटी की रेस्पेक्ट आप नहीं करेंगे अगर आप उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ते नहीं हैं। उसके फैसलों को आप पढ़ कर उसको आप और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यह नहीं कि हमने जो लिख दिया वही आखिरी बात है। लेकिन यह मसला जरूर ऐसा है कि इस पर काफी दिमाग लगाने की जरूरत है।

फिर एक बात की तरफ और हमें ध्यान देने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा हमें मिला था हम उसी को चला रहे हैं, एजूकेशन का जो ढांचा हमें मिला था उसी को हम चला रहे हैं। हमें तो एक ही ढांचा मिला था और उसी को हम चला रहे हैं। जिले के स्तर पर जो ढांचा बनाते हैं वह हमारा बनाया हुआ ढांचा होता है, उस पर काफी वक्त लेना चाहिये, उस पर दिल और दिमाग दोनों लगाने चाहिये। उस खयाल से मैं समझता हूं कि सदन ने एक ढांचा बनाया है उसका तिरस्कार करना जम्हूरियत की इन्सल्ट करना होगा, इस सदन की इन्सल्ट करना होगा। अगर जम्हूरियत की बात है तो सदन ने यूनानिमसली जो बातें कहीं हैं, उसमें जो फीचर्स हैं उसको हम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सही मानों में जम्हूरियत कामयाब हो तो मैं अपने मित्र विष्ट जी से कहूंगा कि जम्हूरियत के लिये जरूरी है रेस्पेक्ट फार ईच अदर हो पोलीटिकल लीडर्स में। उन्होंने आज कुछ फिकरे जरूर कहे, लेकिन मेरा खयाल है कि अगर वह ठंडे तरीके से समझेंगे तो वह मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। गवर्नमेन्ट कोई भी हो लेकिन जो पोलिटिकल लीडर्स हों, चाहे इधर के या उधर के उनको जो रिडिकुल करता है वह खुद रिडिकुल हो जाता है। मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं करता। बहरहाल मैं समझता हूं कि उन्होंने जो फिकरे इस्तेमाल किये वह मुनासिब नहीं थे। गवर्नमेन्ट कोई भी हो, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनाने का एक तरीका होता है, एक पार्टी होती है वह गवर्नमेन्ट बनाती है और वह अपने तरीके से चलती है। इसलिये अगर आप वाकई चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई जीतें तो ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई जीतने का एक ही तरीका है कि पोलिटिकल लीडरशिप सर्विसेज की लीडरशिप से सुपीरियर हो और हर बात में सुपीरियर हो, मेन्टली और मारली, तभी आप उन पर हावी हो सकते हैं। वरना डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है, वह एक इन्चैंटिंग मैडम है जिसके चक्कर में आप फंस जायंगे।

आप जा कर देखें उसमें डिसक्रिमिनेशन होता है। मैंने एक जगह लिखा देखा "चतुर्थ श्रेणी का पेशाब घर"। सोशलिस्ट सोसायटी में तो क्लासेज ख़त्म होने चाहिये, लेकिन हम देखते हैं कि पोलिटिकल लीडरशिप में भी श्रेणियां हैं। हालांकि यह छोटी बातें हैं, लेकिन डेमोक्रैसी को कामयाब बनाने के लिये आप को चौतरफा कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिये जरूरी है कि हम एक दूसरे की नीयत पर शक न करें, हम यह न सोचें कि चूंकि एलेक्शन आ रहे हैं इसलिये कांग्रेस अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाना चाहती है। मैं यकीन से कहता हूं कि जो मौजूदा कम्पोजीशन है उस को अगर मैं पार्टी के खयाल से लूं तो वह कांग्रेस के लिये क्या ज्यादा मौजूं नहीं है, क्योंकि काफी लोगों की राय है कि एलेक्शन नहीं लड़ने चाहिये। तो इस तरह से आप को नहीं सोचना चाहिये कि चूंकि एलेक्शन आ रहे हैं सन् १९६२ के इसलिये ऐसा किया जा रहा है। एक कहावत है कि एक डेरे को रोकने के लिये रस्सी बंधी हुई थी, एक साहब उधर से निकले उन्होंने कहा कि आपने रस्सी इसलिये बांधी कि मैं इधर से निकलूं तो फंस जाऊं। बहरहाल मुझे आप की नियत पर शक नहीं है। आप के दिल व दिमाग़ में जो बेहतरीन बात आती है वह आप कहते हैं। मेरी गुजारिश यह है कि इधर से जो बात कही जाय उस की मेरिट को आप देखें। कांग्रेस पार्टी कोई टोटेलिटेरियन पार्टी नहीं है। इस पार्टी की निस्बत जब तवारीख लिखी जायगी तो यह भी लिखा जा सकता है :—

"Congress democrats were democrats to such an extent that they permitted the enemies of the democracy to march triumphantly."

यानी कांग्रेस पार्टी इतनी प्रजातांत्रिक और बरागदिल थी कि उसने जनतन्त्र के दुश्मनों को भी पनपने में मदद की। इसलिये आप इसको समझिये और ऐसी फिजां पैदा कीजये जिससे इन चीजों पर अच्छी तरह से गौर हो सके।

आखिर में मैं आप के जरिये मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप को चुनाव नहीं कराना है, आप का दिल दिमाग़ साफ़ है तो आप एक छोटा-सा बिल लाकर एक ही दफ़ा चुनाव करा दीजिये और मेरा खयाल है कि सदन के बहुत से सदस्यों का आप के साथ सहयोग होगा और चुनाव कराने में जो बात आप चाहते हैं वह भी पूरी हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर गौर किया जायगा और जिस खुशगवार वातावरण में इस मसले को चलना चाहिये वह चलेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्री अधिष्ठाता महोदय, हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने, जैसा कि उनका अपना एक तरीका है कि वह इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं, "मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन पूर्व वक्ता महोदय को सुनकर बोलने की इच्छा पैदा हुई"। मैं भी इसको दुहरा दूं कि मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन गोविन्दसहाय जी ने कुछ ऐसी नयी विचारधारा रखी, जिसके लिये मुझे बोलने की इच्छा हुई। गोविन्दसहाय जी विचारक हैं और पिछले मंत्रिमंडल में कुछ जिम्मेदार पदों पर रहे हैं और कभी-कभी कुछ नयी बात सुनाने के आदी हैं लेकिन जब कभी वे किसी उलझन में फंस कर निकल नहीं पाते हैं तो तरस-सा पैदा होता है। गोविन्दसहाय जी की उलझन मैंने देखी, उन्होंने निकलने की कोशिश की लेकिन फंस गये, निकल नहीं पाये। जब वे पार्टी लीडरशिप को प्योर बनाने की बात कहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज इस रूलिंग पार्टी द्वारा ही इस प्योर लीडरशिप को स्थापित करने में सब से बड़ी बाधा पड़ रही है। एक ओर तो आप ने यह इच्छा प्रकट की कि साफ हाथों से स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव आरंभ हों लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि चाहे वे जिला परिषदों के चुनाव हों या अध्यक्ष का चुनाव हो, पार्लियामेन्टरी बोर्ड के द्वारा वह निर्देशित होगा। उसका नतीजा यह होगा कि चुनाव में साफ हाथों से भाग नहीं लिया जा सकेगा।

एक बात के लिये मैं उन्हें मुबारकबादी दूंगा। उन्होंने सरकार की मंशा को टटोल कर पकड़ा कि सरकार जिला परिषदों के चुनाव सन् १९६२ तक कराने नहीं जा रही है। उनका यह टटोलना सही है। मुझे इसमें प्रमाण भी दीख पड़ते हैं। जब मैंने इसके ऊपर के संशोधनों को देखा तो मैंने पाया कि माननीय नागेश्वर द्विवेदी के नाम से इस प्रकार के संशोधन मौजूद हैं।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ये माननीय नागेश्वर द्विवेदी वहीं हैं जिनके नाम पर आये बहुत से संशोधन पिछली बार, सरकार द्वारा स्वीकार किये गये। क्या मैं समझूं हूं कि ये सरकार द्वारा प्रस्तुत कराये गये हैं। यदि सही है तो यह ठीक है कि सरकार ३१ दिसम्बर, १९६१ तक अन्तरिम जिला परिषद् को कायम रखना चाहती है और उसका अर्थ यह हुआ कि वह सन् १९६२ तक इन जिला परिषदों को कायम रखने पर तुली हुई है। मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी इस समय मौजूद हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के मस्तिष्क में अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक को रखते समय कोई सही नक्शा है। लेकिन मुझे इसमें शक है और मेरे कहने का आधार भी है। जो बहुत से संशोधन आये हैं उनसे इस बात की गंध आती है कि स्वायत्त मंत्री जी अपने दिमाग़ में अभी अनिश्चित हैं। उनके दिमाग़ में यह निश्चित नहीं है कि अध्यक्ष होने की पात्रता में कौन कौन होंगे, क्या अन्तरिम जिला परिषद् हूबहू नियोजन समिति का रूपान्तर होगा या और क्या। आज उनसे थोड़े से प्रश्न किये गये थे। उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते समय स्वायत्त मंत्री जी ने कुछ कहने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार इस प्रकार की बात अभी सोच नहीं पायी है। इससे मालूम होता है कि सरकार के मस्तिष्क में अभी तक बहुत सी अनिश्चित बातें चल रही हैं। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार का पूरा दिमाग़ी खाका समझ में नहीं आयेगा।

चाहे वह सम्पूर्णानन्द की सरकार हो या चन्द्रभानु गुप्त की सरकार हो, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूं इसलिये मैं उनकी पूर्व घोषणाओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिला परिषद् जिनका निर्माण करने के लिये इस सरकार ने अपने को बाध्य पाया और प्रारम्भ से ही घोषणा की कि उनका निर्माण करने में नये विचारों और नयी नीतियों का अनुसरण किया जायगा। मुख्यतः पिछले मंत्रिमंडल की उन बातों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब पिछले जिला बोर्ड्स को ३० अप्रैल, १९५८ को विघटित कर देने की घोषणा निकली थी तो उस समय प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि हम नहीं कह सकते कि किसी प्रकार अब फिर जिला बोर्ड्स की स्थापना हो पायेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम नियोजन समिति के आधार पर ही जिला स्तर पर कुछ समितियों को बनावें और उसमें बहुत कुछ मेहता कमेटी का आधार हमारे सम्मुख है। इस मेहता कमेटी के आधार को लेकर जैसा कि अभी गोविन्द सहाय जी ने कहा——सचमुच उन्होंने अपने मस्तिष्क से बहुत कुछ बातें सोच कर उसकी एक रूप रेखा हमारे सामने रखी। आज उनकी यह शिकायत काफी सही है कि उनकी उस रूपरेखा की ओर न तो पिछली सरकार ने ध्यान दिया और न वर्तमान सरकार ने ही ध्यान दिया। मालूम होता है कि श्री गोविन्दसहाय को कुछ कार्य देने के लिये ही सरकार ने कमेटी बना दी थी ताकि वे उसमें संलग्न रहें। शायद गोविन्दसहाय जी को भी यह बात मालूम थी कि सरकार उनकी बात पर ध्यान नहीं देगी और शायद इसीलिये उन्होंने उसी रूप में उसमें अपना पार्ट भी अदा किया। मैंने उस मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट की सही कीमत दी है। मैंने उस समिति की रिपोर्ट को गौर से पढ़ा भी है और मुझे आशा थी कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कुछ सोचेगी और कोई नया कदम अवश्य उठायेगी। लेकिन सरकार इधर से उधर उचक भी नहीं पायी।

हमारे सामने नियोजन समिति के निर्माण से सम्बन्धित जो प्रश्न है उसकी कहानी का एक पूरा का पूरा ग्रन्थ है। सरकार आयी, बदली लेकिन पिछली सरकार ने जो बातें पहले कही थीं उसी के आधार पर अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश पारित हुआ और वह अधिनियम के रूप से यहां प्रस्तुत किया गया। सरकार का यह कहना है कि वह केवल ३० जून तक इसकी अवधि बढ़ाना चाहती है और ३० जून के बाद वह कोई दूसरा कदम उठावेगी। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कर सकेगी। इस सम्बन्ध में मेरा विश्वास है और साथ ही इधर के या उधर के बैठने वाले जितने सदस्य हैं उसमें से ९९ फीसदी का यह विश्वास है कि सरकार ३० जून तक जिला परिषदों का चुनाव नहीं करा सकेगी। यदि ऐसी बात है तो माननीय मंत्री जी को साहस के साथ सामने आना चाहिये और इस बात को कहना चाहिये कि इस अवधि बढ़ाने के

कारण को हम सही रूप में नहीं सोच सके हैं। अभी जो संशोधन सरकार की तरफ से श्री नागेश्वर प्रसाद के नाम से आने वाले हैं उससे भी सरकार का रुख़ स्पष्ट हो जायगा।

अब थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने इस विधेयक के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। जैसा कि स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा है कि जिला स्तर पर जो संस्थायें हैं उनको शासन का अधिकार दिया गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन १४ साल के अनुभव के आधार पर क्या उसमें कोई क्रमिक विकास किया गया है? हम एक तरफ़ तो यह नारा लगाते हैं कि हमें विकेन्द्रीकरण की ओर जाना चाहिये, ग्रामों को पूरी शक्ति देनी चाहिये और दूसरी तरफ़ जब हम यह देखते हैं कि इसके बिलकुल विपरीत जिला स्तर पर ऐसी संस्था बनाने के लिये कहा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य विकेन्द्रीकरण की तरफ है तो हमें आश्चर्य होता है। एक बात अवश्य हुई कि ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ और उससे हमें कुछ ऐसा साहस मिला कि ग्राम पंचायतों के नये प्रधान जनता के अन्दर के अपने विचार प्रकट कर सकेंगे। अब देखना यह है कि हमें जब सर उठाने का मौका मिला है तो हम क्यों न उसका फायदा उठावें और ग्राम स्तर से ऊपर उठ कर जिला स्तर की तरफ़ ध्यान दें। लकिन जब आये हुये प्रस्तुत संशोधनों की तरफ हम ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि सरकार न केवल जहां की तहां खड़ी है बल्कि फिर पीछे की ओर मुड़ कर पीछे हटने की कोशिश कर रही है। यह जिला स्तर पर बनने वाली जिला परिषदें जिन का नाम अन्तरिम जिला परिषद् है वह आने वाले २ सालों तक जो काम करने वाली है उसके संगठन की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। हम नहीं चाहते कि गोलमटोल रूप में रखा जाय और उसको प्रकाश में न आने दिया जाय। सरकार जल्दी जल्दी में बिल पास कराके हमें धोखे में न डाले। यह अन्तरिम जिला परिषद् बिल जिला नियोजन समिति का एक रूपान्तर मात्र है।

सरकार ने अप्रैल सन् १९५८ में जिला बोर्डों को विघटित कर के नया रूप दिया, आज २ साल बाद फिर उस को जीवित रखने के लिये और आगे फिर २ साल तक चलाने के लिये यह प्रयास है। यह एक ऐसी समिति थी जो बहुत पुराना कानून था उसके आधार पर बनी थी और उसी के कारण नियोजन का काम आगे नहीं बढ़ा और नियोजन समितियों का संगठन कुछ ऐसे ही प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था। इसमें भी कहीं-कहीं अधिक आंशिक संशोधन लाने की कोशिश की गई है। मूल अधिनियम की धारा ४ में (२) उपधारा (२) के अनुसार, (क) खंड (क) में शब्द "जिले की" के पूर्व शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट को छोड़ कर" रख दिये जायं। इसका मतलब यह है कि धारा ४ में जो नियोजन समिति का संगठन है वह वैसा ही रहेगा। इसमें दिया है कि आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं जिले के स्वायत्त शासन के कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने तथा निर्विघ्न संक्रमण सुनिश्चित करने के विचार से राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्तरिम जिला परिषद् संघटित करेगी जो.....(जिलें का नाम) जिले की अन्तरिम जिला परिषद् कहलायेगी और जो सतत अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी तथा वह इसी नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध इसी नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। सरकार धारा ४ की उपधारा में आंशिक परिवर्तन करके जिला मैजिस्ट्रेट को हटाना चाहती है। मतलब यह है कि जैसे सन १९४८ से चला आ रहा है पुरानी नियोजन समिति के सभी सदस्य उसी प्रकार रहेंगे सिवा जिलाधीश के।

मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि इस नियोजन समिति का निर्माण किस प्रकार हुआ था और किस तरह से सरकार के मन के मुताबिक किया गया था। अन्तरिम जिला परिषद ऐक्ट जो सन् १९५८ में पारित हुआ था। उसमें आप देखें कि नामिनेशन की कितनी गुंजायश है। इसमें आप देखें कि जिला प्लानिंग कमेटी इन-इन को लेकर बनेगी "मेम्बर्स आफ दि हाउस आफ दि पीपुल, मेम्बर्स आफ कौंसिल आफ स्टेट, मेम्बर्स आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली और मेम्बर्स आफ दि कौंसिल"। यहीं पर उपधारा (४) में है कि सरकार ५ नान-आफिशियल मेम्बर्स को नामि-

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नेट कर सकेगी जिनका सम्बन्ध औद्योगिक कार्यों से हो और जो लघु उद्योगों व गृह उद्योगों में रुचि रखते हों। और इस के उपखंड (९) में है कि २ मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नामिनेटेड होंगे। इस तरह से आप देखें कि नामिनेशन की कितनी धारायें हैं। अब भी वहां जिला बोर्ड के २ नामिनी का रहना लाजमी होगा। बल्कि हम कह सकें तो उसमें शुगरकेन मार्केटिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि, भारत सेवक समाज का कन्वीनर, डेवलपमेंट बोर्ड का नाम-आफीशियल मेम्बर, स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड का नान-आफीशियल मेम्बर, ऐसे तमाम मेम्बर हैं। धारा ४ के उपखंड (२) में जहां जिला परिषद् के निर्माण की बात है और जिसका निर्माण नियोजन समिति के द्वारा होगा, उसी की धारा (ख) में लिखा है:—

"पांच सदस्य, जो उन व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हों, जो ३० अप्रैल, सन् १९५८ ई० को भूतपूर्व जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेंट थे, अथवा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन नाम-निर्दिष्ट हों।"

तो इसके अर्थ यह हुए कि सरकार पिछले बोर्ड जो सन् ५८ तक कायम रहे उसके ५ आदमियों को अब भी नामीनेट कर सकती है। वह पांच आदमी नामजद होंगे। इसके अलावा पांच आदमी सरकार द्वारा और भी नामजद होंगे जो व्यवसाय आदि के होंगे और दो आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में से नामिनेट किये जा सकेंगे। तो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कुछ न कुछ अंश हमारे सामने फिर से दूसरे रूप में लाया जा सकेगा। यह नियोजन समिति हमारे सामने मौजूद है और इसको हम अन्तरिम जिला परिषद के रूप में फिर से रखना चाहते हैं। यह सरकार की नई कार्यशैली है।

सरकार ने इसमें कुछ थोड़ा-सा नवीनीकरण किया है जिसका बहुत ढोल पीटा गया है। वह यह है कि ग्राम सभाओं के प्रधानों को हम इसमें लाकर एक नया खून लायेंगे, इसका स्वागत है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे नये लाये हुए सदस्यों का बहुमत होगा? एक निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना जनतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता है। हमारी इस पार्टी की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से बहुत पहले से सरकार के पास अनेक पत्रों और भाषणों के द्वारा यह मांग की गई है कि जिला स्तर पर बनी हुई इन संस्थाओं में बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हों। यह जो हमारी अन्तरिम जिला परिषदें होंगी उनका निर्माण करने में बालिग मताधिकार का कितना हिस्सा होगा यह मैं जानना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी आपकी तरफ पीठ किये हुए हैं जिससे कि आपका अनादर हो रहा है, कृपया व्यवस्था दें।

ी अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह कह रहा था कि इन प्रधानों को लाकर अगर आपने यह कहना चाहा हो कि हम प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ला रहे हैं तो वह भूल होगी। इंडायरेक्टली प्रतिनिधि जहां ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और डायरेक्ट वालों का उसमें अल्पमत रहेगा। इसलिये कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है।

यह कहा गया कि जो चुनाव ब्लाक से होंगे उनमें केवल एक प्रतिनिधि आयेगा अगर ब्लाकों की संख्या १० से अधिक होगी। क्यों इतने कम लाये जा रहे हैं? क्यों नहीं इतनी संख्या में लाते कि उनका बहुमत हो जाये? क्यों अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का ही बहुमत रखना चाहते हैं? श्रीमन्, जैसा गोविन्दसहाय जी ने कहा, सचमुच ही जिला परिषद् एक चोंचों का मुरब्बा है। इसमें पुरानी नियोजन समिति है, पुराने जिला बोर्ड के आदमी हैं। इसमें नये चुने हुए अध्यक्षों का एक मिश्रण है और इसमें कलेक्टर को छोड़ कर बाकी सभी नामजद सदस्यों का जमाव है जिनको कलेक्टर नामजद करेगा। एक अजीब किस्म की जिला परिषद् हमारे सामने आयेगी। अगर यह कहा जाय कि यह कुछ ही महीनों के लिये है, ऐसी बात नहीं है। यह दो सालों के लिये हमारी छाती पर बैठेगी। आज जनता का सचमुच

गला घोंटा जा रहा है। सन् १९६२ में यह सदन नये विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन जिला स्तर पर लोगों को हम इसका मौका न दें कि वे नये विचारों के लोगों को ला सकें, यह उल्टी गंगा बहाना होगा। सरकार यही प्रयास कर रही है।

माननीय गोविन्दसहाय जो ने बड़े साहस के साथ एक नई बात कहनी चाही कि सरकार २, ३ महीने और ले ले और चोंचों का मुरब्बा न लावे बल्कि जो विधेयक सदन में पास कर चुके हैं उसी को कुछ मौका ले कर लावें और उसके द्वारा जिला परिषदों का निर्माण करें। पता नहीं उनकी बात कहां तक मानी जा सकती है? हम यह भी विश्वास करते हैं जिस अनियमित ढंग से सरकार ने इस जिला परिषद् विधेयक को पास करके, उसको प्रवर समिति में आप जानते हैं एक उल्टी कोशिश की गई और उसका रूप बदला जाने में बड़ी बाधा डाली गई और किसी न किसी रूप में यहां से पास करा के विधान परिषद् में भेजा गया और वहां अब वह खटाई में पड़ा हुआ है उसका ही यह परिणाम है कि जिला परिषद् नहीं बन पाईं। सरकार नहीं चाहती कोई स्पष्ट रूप रेखा जिला परिषदों की हमारे सामने आवे। जिला परिषद् विधेयक, दो दो इस सदन में पास किये गये। पहला हम पास कर चुके हैं उसमें काफी समय लगा। लेकिन फौरन ही कहा गया कि इसको वापस लिया जाय और दूसरा बिल लाया गया लेकिन वह पूरा पास नहीं हुआ और फिर अंतरिम जिला परिषद् का दूसरा रूप हमारे सामने आता है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। जिन गुत्थियों में सरकार उलझी हुई है उनको सामने हम रखना चाहते हैं। कई विशेष परेशानियां इसमें पैदा होती हैं। आप संशोधनों को देखते हैं जिनमें बड़ी होशियारी दिखाई गई है। इसमें जो संशोधन माननीय नागेश्वरप्रसाद जी की तरफ से आये हैं उनमें कुछ ऐसी चालें ही खेली गई हैं जैसे यदि इस सभा के सदस्य यह स्वीकार कर लें तो उसमें वैसा कर लें। अगर वैसा कर लें तो हम ऐसा कर लें। कुछ ऐसी चालबाजियां रखी गई हैं सरकार हमेशा अपने को हर वक्त....

श्री अधिष्ठाता—आप इस बात का ध्यान रखें कि वह संशोधन अभी प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिये उन पर न बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन उनकी मंशा बता रहा हूं। सरकार अपनी चालों के द्वारा बदलते रहने का मौका लेना चाहती ह। आप देख इसमें अध्यक्ष की पात्रता की बात आयी है और यह रखा गया है कि अध्यक्ष होने के समय संसद या विधान सभा का सदस्य न हो, अंतरिम जिला परिषद् का सरकारी सदस्य न हो, जिला सैनिक, नाविक और वायु सेना का मंत्री न हो, ऐसी बातें रखी गई हैं। लेकिन साथ-साथ वह यह भी चाहते हैं यह भी रख दिया जाय कि जिला परिषद् का अध्यक्ष चुने जाने के समय यह सब सारी शर्तें गायब हो जायं और उसमें कोई रोक न रखी जाय। आप देखें अन्तरिम जिला परिषद् को बनाने के समय कहा गया कि गैर सरकारी अध्यक्ष रखने का मौका मिलेगा। यह चीज स्वागत योग्य हैं। पिछले कलेक्टरों द्वारा शासित हमारे जिले के स्तर की संस्थाओं पर कालिमा मिटाने का एक कदम है। अध्यक्ष का जो अब चुनाव होगा उसे जनता को मन के माफिक खुल कर चुनाव का मौका होगा? सरकार पहले से ही इतनी सचेत है कि अभी विधेयक पास नहीं हो पाया है, न हुक्म हुआ है कि परिषद् का निर्माण कैसे होगा लेकिन कांग्रेस का प्रान्तीय पार्लियामेंटरी बोर्ड आदेश निकाल चुका है कि अध्यक्षों के चुनाव के समय कांग्रेस अपने नुमाइन्दों को नामजद करके चुनाव लड़ेगी। अभी कानून बनने में देर है लेकिन प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपने अस्त्र संभालने में लग गयी। सोचती है कि ऐसा न हो कि विरोधी पार्टियों के लोग भी पहले से अस्त्र संभाल लें और चुनावों में पूरी तरह से हमारा मुकाबला करें।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो विधेयक रखा है उसकी खूबियों की चर्चा में इस समय तो नहीं रखूंगा परन्तु संशोधनों के समय जरूर रखूंगा। आप देखें कि पिछले जिला बोर्ड्स में हमारे सामने एक नये ढंग की चीज थी। पिछले जिला बोर्ड के अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद्

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

में उपाध्यक्ष के रूप में काम करते थे, यद्यपि अध्यक्ष जिलाधीश हुआ करता था और जिलाधीश अपनी सारी ताकतों को उपाध्यक्ष को डेलीगेट कर दिया करता था और वह पुराने उपाध्यक्ष जो कांग्रेसी बहुमत में रहे हैं उनको ही जिले का सारा काम सुपुर्द कर रखा था। आज उन्हीं उपाध्यक्षों को दूसरे रूप से इसमें बनाये रखने की कोशिश की गई है। आप खंड ५ में देखें "यदि वह व्यक्ति, जो उपाध्यक्ष का पद धारण किये हो, अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, या यदि किसी अन्य कारण से उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय, उपाध्यक्ष का निर्वाचन मतदान करने के अधिकारी सदस्यों द्वारा उसी रीति से किया जायगा जिस रीति से अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है।" तो उपाध्यक्ष की पूरी-पूरी संभावना है कि अध्यक्ष के रूप में पुनः उसे ला कर बैठाने की कोशिश की जायगी। कानपुर में पिछले १० साल से एक आदमी उपाध्यक्ष बना बैठा है और उसने अपने उपाध्यक्ष होने की हैसियत से ठीक उसी प्रकार, जैसे दस साल अध्यक्ष की हैसियत से काम किया, इन दो सालों में भी किया है। जब अध्यापकों का चयन होता है और अध्यापक उनके सामने आते हैं तो उपाध्यक्ष उनसे यह प्रश्न करते हैं कि तुम किस गांव से आये हो और उस गांव से कांग्रेस की जीत हुई थी या सोशलिस्ट की ? अगर वह यह जान लेते हैं कि वह अध्यापक ऐसे गांव से आये हैं जहां मतदान सोशलिस्ट पार्टी को मिला है तो वह कहते हैं कि जाइये आपका चयन संभव नहीं। ऐसे-ऐसे उपाध्यक्ष जिलों में बैठे हैं और फिर उनको इस अधिनियम के द्वारा मौका मिल रहा है ताकि वे अपना शासन कायम रखें।

मैं दूसरे जिलों की बाबत भी जानता हूं जहां के उपाध्यक्ष अपनी पार्टी के हित के लिये शासन चलाते रहे उनके हाथ में आज भी अधिकार है। ये जो अध्यापक छोटी तनख्वाहों के हैं, जिनको चपरासियों से कम तनख्वाह मिलती है और जिनके लिये मुख्य मंत्री मेंढकों जैसे आंसू बहाते हैं और जिन पर बड़ा तरस खाया जाता है उन्हें किस प्रकार से उंगलियों पर नचाया जाता है इसकी कहानी आप सभी को मालूम होगी। उन पर बड़ा भारी बोझा लाद दिया जाता है काम का और दूर-दूर फेंक दिया जाता है और उनसे जवाब तलब किया जाता है। पिटीशनों में गवाहियों के लिये बुलाया जाता है। ज्यादातर अध्यापक ही गवाहियों के लिये बुलाय जाते हैं। इन्हीं उपाध्यक्ष द्वारा मेरे विरुद्ध पिटीशन में ३०० गवाहियों में से १५० गवाहियां अध्यापकों की थीं और उनको हुक्म था कि गवाही नहीं दोगे तो अपनी जगह पर रह नहीं पाओगे। आज वह उपाध्यक्ष उसी प्रकार से अध्यापक वर्ग को भयभीत कर रहा है और कह रहा है कि अगर जरा भी तिलमिलाये तो दूर जमुना के किनारे फेंके जाओगे। आज वही उपाध्यक्ष फिर लपक रहा है कि हम क्यों न अध्यक्ष चुन लिये जायं। यह कहानी है जो इन उपाध्यक्षों ने अपने चुनाव में अख्तियार की और आज उन्हीं को फिर इस नियम के द्वारा रखने की कोशिश हो रही है।

मैं इस विशेष खंड पर न जाकर जो मुझे सब से ज्यादा खलने वाली बात है उस पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। कहा जाता है कि जिलाधीश को सदस्यता से मुक्त कर दिया जायगा। उसका व्यक्तित्व वहां बैठा रहे या नहीं इससे मुझे ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि जिलाधीश अपनी सारी ताकतों को लिये हुये जिला बोर्डों पर अपना अन्तिम अधिकार रखने के लिये अब भी मौजूद है तो मुझे लगता है कि इन संस्थाओं में हम खुल कर जनमत के आधार पर अपनी स्वतंत्र विचार शैली से क्या कोई काम कर भी पायेंगे। पहले यह दफा १२ थी जिसमें जिलाधीश को सारे अधिकार दे रखे थे। उन अधिकारों में लेशमात्र भी कमी नहीं की गई है और हूबहू वैसे के वैसे ही इस विधेयक में वे सब अधिकार आ गये हैं बल्कि और भी उनमें कुछ बढ़ोत्तरी की गई है। पहले जिलाधीश जब परिषद् में बैठता था तो हम उसके मंतव्य को उससे समझते थे लेकिन अब तो वह अपने स्थान पर ही बैठे-बैठे निरंकुश रूप में हमारे किये हुये प्रस्तावों को जितना चाहे ठुकरा सकता है।

आज हमसे कहा जाता है कि हम विकेन्द्रीकरण की तरफ आपको ले जायेंगे, गांव की रिपब्लिकनें कायम करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज जिले में क्या हो रहा है। जिले

में क्या हम नियोजन के लिये, स्वास्थ्य के लिये, शिक्षा के लिये, सफाई के लिये स्वतंत्र हो रहे हैं। इन सभी कामों मे जिलाधीश का निरंकुश शासन आज भी कायम है और उसके ऊपर भी विशेषता यह है कि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी का तपता हुआ तारा मौजूद है आकाश में और दूसरी ओर अब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी मनमानी करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। नतीजा यह है कि ये अन्तरिम जिला परिषदों में केवल एक परिवर्तन होगा कि थोड़े से गांव के प्रधान आ जायेंगे और बाकी सारी की सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी। इस अन्तरिम जिला परिषद् के जितने भी मुलाजिम हैं उनकी करुण कहानी आप जानते हैं कि उनको आज भी महंगाई का बढ़ा हुआ रेट नहीं मिल रहा है और कहा जाता है कि हम तुम्हारी मौलिक तनख्वाह ५० रुपये से आरम्भ करेंगे। वह तो स्वप्न है। आज भी जिला बोर्डों में श्रीमन्, उनके अधिकारियों द्वारा निरंकुश शासन होना, उनके मुलाजिमों पर जुल्म होना, ये सभी बातें जारी हैं। जिला बोर्डों के सेक्रेटरी, ओवसियर, हेल्थ आफिसर या असेसिंग आफिसर इनमें से किसी में भी रद्दोबदल नहीं हुई है। पहले की तरह से आज भी जनता पर टैक्स लगाने वाले इन बोर्डों में मौजूद हैं। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में जो टैक्स लगाने के अख्तियार दिये गये हैं वह आज भी मौजूद हैं। आज भी जो गांव से शहर में बेचने के लिये थोड़ा भी दूध ले जाता है और मुसीबत से अपनी जिन्दगी बसर करता है और मामूली दुकानदार जो मामूली काम करता है उसके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का १४–१५ रुपये के टैक्स का नोटिस आ जाता है। इन का ऐसा ही हाल है जैसे रावण दरबार में आया हो तो किसी को मारा और किसी को पुचकारा। लेकिन यही पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट ज्यों का त्यों स्थापित है और कहा जायेगा आज नया कानून पेश है, नये ढंग की व्यवस्था है, प्रधान आकर बैठें। आप देखेंगे कि हम तो अल्पमत में हैं और हमारी आवाज के विरुद्ध यह सब कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक दिन आयेगा जब वह अपने भाग्य को ठोकेंगे, पछतायेंगे और रोकर भागेंगे।

श्रीमन्, यह हमारा निर्वासन या जंगलवास चंद दिनों का होता और हमें यह आशा होती कि थोड़े दिनों के बाद, महीने दो महीने के बाद प्रकाश आयेगा और नये बोर्ड बनाये जायेंगे यदि कहीं ऐसा होता तो भी हम कहते कि चलो दस साल हमने यातना सही तो दो-चार महीने की और सही।

श्री ऊदल—अभी तो पांच साल लगेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आवाज आ रही है कि पांच साल लगेंगे अगर मैं इस पर विश्वास कर लूं तो गोविन्दसहाय जी को अपनी बात पलटनी पड़ेगी। हमारी छाती के ऊपर से यह बोझ उतरने वाला नहीं है। इससे यह होगा कि देहात की जनता जो जिला स्तर की स्वायत्त संस्था द्वारा सांस लेने की बात सोचती है वह इसी तरह से त्राहि त्राहि करती रह जायगी।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि वह ग्रामीण स्थिति को सुधारें। मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी से कटु शब्दों में कहा था कि ग्रामीण जनता की स्थिति सुधारने में आपका कदम नहीं बढ़ रहा है। आज वह नहीं हैं। उस दिन उन्होंने कहा था कि यह सरकार ग्रामीण जनता की स्थिति को सुधारने में लगी है और जल्दी ही हम जिला स्तर पर शासन की बाग-डोर जनता के हाथों में सौंपने के लिये तैयार हैं। यह उनके शब्द हैं और असेम्बली की पांच साल अवधि का आखिरी साल आ चुका है। यह अवसान काल है और हम देखते हैं कि एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। हम कुछ ऐसे उलझे हैं कि न तो हम प्रकाश पाते हैं और न दूसरे को ही दे पाते हैं। इन ग्रामों में जाकर हम क्या करें? जब जनता हम से पूछेगी कि क्या चीज लाये हो हम क्या बतायेंगे? क्या हम मंत्री जी के शब्दों को सुना दें कि प्रधान को बैठने का मौका मिला है। वह कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि प्रधान हमारे गांवों में काम करे। हम जिला बोर्ड को अपने हाथ से बनाना चाहते हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे? आज आम चुनाव के समय सरकार की नीति साफ नहीं बल्कि यह कहा जा रहा है जिला परिषद् विधेयक पास हो रहा है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कहा यह जा रहा है कि प्रधानों को मौका दे कर काम चलाऊ अंतरिम परिषद् बना लेंगे। यह काम चलाऊ परिषदें होंगी या मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त की अन्तिम कल्पना होगी ? पता नहीं कि कल्पनाओं का क्या-क्या रूप बदले ? लेकिन मैं कह सकता हूं कि स्वायत्त शासन में प्रगति की ओर एक भी कदम सरकार ने नहीं उठाया है और उनको स्वतंत्रता की सांस लेने का मौका नहीं दिया है ।

मैं अन्त में आपके द्वारा कुछ सुझाव देना चाहता हूं । अगर उन पर सरकार अमल करे तो एक चित्र हमारे सामने आ सकता है । सरकार उन प्रधानों को लेने के साथ-साथ नामजद आदमियों को बिलकुल खत्म कर दे । हम नामजदगियों को किसी प्रकार देखना नहीं चाहते। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अध्यक्ष आ रहे हैं, आयें लेकिन चाहे व्यापारी वर्ग हो, शिक्षा वर्ग हो या केन सोसाइटी हो, या सहकारी वर्ग, अगर आप उनका बहाना लेकर नामजदगी करेंगे तो हमें कभी भी ग्राह्य नहीं होगा। उनकी नामजदगी करके आप जनता के हितों को ठेस पहुंचायेंगे। हमारे जो ग्रामीण प्रतिनिधि पहुंचेंगे, वे सभी बातें रख सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय लोग होंगे और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होंगे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि नामजदगी करके सरकारी अफसरों को बिठाने का तमाशा न बनाया जाय। हमारी जिला परिषदों में सरकारी अफसर बैठेंगे, मैं मानता हूं कि वह बैठाये जायं लेकिन उनका बिठाना उपयोगी सिद्ध होना चाहिये। समस्याओं को सुलझाने का सारा दायित्व उन लोगों पर होना चाहिये। चाहे इस विधान के अन्दर जिलाधीश को बैठाना उचित न समझा जाय लेकिन आवश्यकता के अनुसार जिलाधीश को बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये, जब जिलाधीश को उत्तर देना आवश्यक हो। उदाहरण के लिये मैं बताता हूं। कानपुर में बाढ़ और ओला, पत्थर इसी साल में आये और इन विषयों में जब जिलाधीश से स्थिति जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताने की कोशिश की। जिलाधीश की अनुपस्थिति में अन्य अधिकारी केवल अपने-अपने कार्य के सम्बन्ध में बता पायेंगे, पूरे जिले की पूरी स्थिति को नहीं बता सकेंगे। इसलिये जिलाधीश का उपस्थित होना आवश्यक है। यही नहीं अगर सरकार चाहे तो जिला स्तर पर सभी समस्यायें सुलझाने के लिये हर वक्त वह तैयार रहें। हम इस सदन में प्रश्नों और संकल्पों द्वारा अपने मन्तव्यों को रखते हुये सरकार के रुख को जानने की कोशिश करते हैं। यह जिला स्तर पर बनी हुई हमारी समितियां एक प्रकार से मिनिएचर लेजिस्लेचर हैं। हमारे स्वायत्त शासन की एक छोटी-सी सीढ़ी है जिसमें कि जिले के स्तर की बातें जनता या जनता के प्रतिनिधि हर हालत में जानना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं। तो उसके लिये इन सरकारी अफसरों का उत्तरदायित्व इस प्रकार से होना चाहिये कि वह उन उलझनों के सुलझाने के लिये तैयार पाये जायं न कि केवल यह कि प्रस्ताव पास होता रहे और वह खटाई में इसलिये पड़ जाय कि उनकी स्वीकृति प्रदेशीय सरकार से नहीं मिली है या जिलाधीशों से नहीं मिली है।

एक तीसरी बात मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। अन्तरिम जिला परिषदें तो रहेंगी ही, जिला परिषदें भी आयेंगी लेकिन अन्तरिम जिला परिषद् हो या जिला परिषद् हो ये हमारे लिये निरर्थक होंगी यदि उनके पास जनता के उन कार्यों को करने के लिये, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, यातायात आदि के लिये समुचित रूप से धन उपलब्ध न हो सका। इनको धन देने में आप अपने हाथ में नकेल रखना चाहते हैं। इनके व्यय में आपने नकेल रखी है और तो यह करके आपने और उलझा दिया है कि पंचायतें भी उसी स्तर पर टैक्स लगा लें तथा जिला बोर्ड भी उसी पर टैक्स लगा लें। यह आय-कर का बटवारा जिला परिषद् विधेयक में करने को कोशिश की गई, उस पर हम लोग सहमत नहीं थे। लेकिन इस खिचड़ी विधेयक में तो कहीं इसका विधान ही नहीं है। वही कर ग्राम पंचायतें लगायेंगी, और वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी लगायेगा। जिला बोर्डों के पास धन का इतना बाहुल्य होना चाहिये कि वह जिले के सारे कामों को कर सकें। नियोजन की बात हमारे सामने आयी .....

श्री कैलाशप्रकाश--अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती....

श्री अधिष्ठाता---अवस्थी जी बैठ नहीं रहे हैं। अगर वह बैठ जायं तो आप कोई सूचना देना चाहते हों तो दे सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं जानता हूं कि वह यह बताना चाहते हैं कि वह मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेंगे। यही वह कहना चाहते हैं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--श्रीमन्, दिक्कत यह है कि पता नहीं वह क्या बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय दत्त जी, आप कृपा करके बैठें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जब वेकेंट मूड में आदमी होता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। जरा कान के दरवाजे खोलकर बैठिये तो समझ में आ जायगा। यह जवाहर नगर और नेहरू नगर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवस्थी जी, आप अपना भाषण दीजिये। उनकी बातों का जवाब न दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ठीक है श्रीमन्, मैं यही कह रहा था कि जिनके पांव न फटी बेवाई, सो क्या जानें पीर पराई। ये तो हमेशा चाय और केक खाने वाले रहे हैं . . .

श्री अधिष्ठाता---अवस्थी जी, आप अपना भाषण दीजिये।

श्री एस० जी० दत्त---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो अनपार्लियामेंटरी लैंगवेज लोहिया ग्रुप हमेशा इस्तेमाल किया करता है, आप मेहरबानी करके इनके ऊपर कंट्रोल रखिये। अभी उन्होंने बेईमान लफ्ज कहा है....

श्री अधिष्ठाता---आप कृपा करके बैठिये। उन्होंने 'बेईमान' नहीं कहा है, बल्कि बेवाई कहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह देहात की भाषा है। जरा देहात में जाया करिये। बेवाई होती है जो पांव में फटती है जो नंगे पांव चलते हैं उनके। आपको मैं बेईमान नहीं कहूंगा क्योंकि आप हमारे साथी हैं।

श्री अधिष्ठाता---आप अपना भाषण जारी रखिये। इन बातों में न जाइये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे इस बात का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में दत्ता जी बोलते हैं, लेकिन जब भी वह टोकते हैं तो उन्हें यही शिकायत रहती है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। जब मैंने पता लगाया इसकी ध्वनिवर्धक यंत्र में तो कहीं कोई खराबी नहीं है तो मुझे यही मालूम हुआ कि उसमें तो कोई खराबी नहीं है, खराबी दिमाग में है.....

श्री अधिष्ठाता---इस तरह से किसी के सम्बन्ध में कहना ठीक नहीं है। आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री एस० जी० दत्त---मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। ये अपने लफ्ज विदड्रा करें जो इन्होंने अभी कहा कि इनका दिमाग खराब है। जिनका दिमाग कि खुद खराब है.....

श्री अधिष्ठाता---जिस बात के लिये आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं वही बात आप खुद कह रहे हैं। आप कृपा करके बैठिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि आज सबका दिमाग यहां खराब है। कोई ठीक बात ही नहीं कह रहा है। अवस्थी जी बोल लिये, इधर ये श्रीमान् जी बोल लिये, सारा समय समाप्त हो गया, औरों को बोलने का मौका ही नहीं....

श्री अधिष्ठाता---आप बोलना चाहें तो आपको भी मौका मिलेगा।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मुझे मौका नहीं मिलने का....

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, बैठ जाऊंगा, लेकिन इनको बैठाइये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आखिरी हिस्से की अपनी बात कह कर खत्म कर रहा हूं। मैं तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि इन जिला परिषदों को मजबूत बनाने के लिये सरकार को कुछ आर्थिक योजना में परिवर्तन करना चाहिये, लेकिन वह परिवर्तन इस रूप में नहीं कि अधिक से अधिक टैक्स लादने का उपक्रम उसमें हो बल्कि होना यह चाहिये कि जिस प्रकार नियोजन के कार्यों में रुपया सरकार देती रही है उसी प्रकार से जिलों के उन कार्यों में, जो स्थानीय कार्य हैं, उनमें धन देने के लिये सरकार को उसी प्रकार से तैयार रहना चाहिये। यह बहुत उचित बात है।

एक दिक्कत मेरे सामने जरूर है जो कि मैंने जिला परिषदों में बैठकर महसूस की। जिला परिषद् की तरफ से बहुत कार्य नियोजन के किये जाते हैं। नियोजन के लिये स्वीकृत रुपये का व्यय जिले के अधिकारी या मंत्री के द्वारा होता है। मैंने इस रुपये के लिये उसमें एतराज किया कि इस रुपये का अगर व्यय जिला परिषद् के द्वारा होता है तो यह रुपया जिला बोर्ड के आय-व्ययक में जमा होता है या नहीं और जमा होने पर उसका व्यय किस प्रकार से होता है। मगर इसका उत्तर ठीक ढंग से जिला स्तर पर मुझे नहीं मिल पाया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नियोजन का रुपया जिला परिषद् द्वारा जब व्यय हो और जिस जिले के अधिकारी द्वारा व्यय हो तो उसका हिसाब जिला बोर्ड के यहां होना चाहिये। व्यय होते समय जिस प्रकार से हिसाब देने की, निगरानी रखने की, निरीक्षण करने की और स्वीकृत होने की जिम्मेदारी होती है उसी प्रकार से एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी होनी चाहिये। जैसे कि एक व्यक्ति को अनुदान दिया जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है तो परिषद् मंत्री के लिये भी उसी तरह से होना चाहिये। इतना समझने की बात है कि दूसरी योजनाओं के लिये जो रुपया ब्लाक को दिया जाता है, उस दिये जाने वाले रुपये के सम्बन्ध में सरकार की नीति इस जिला परिषद् विधेयक के पास होने के बाद किस रूप में परिवर्तित होगी? वह रुपया किस प्रकार से उनको दिया जायगा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उनको डाइरेक्ट रूप में वह रुपया दिया जाय, मैं यह पसन्द करूंगा बजाय इसके कि नियोजन कार्य के लिये नई जिला परिषदों को वह रुपया दिया जाय। जब तक जिला परिषद् विधेयक पास न हो तब तक ब्लाकों का रुपया किस रूप में भेजा जाय जिससे उसका सही प्रयोग हो, यह देखने और समझने की बात है। आजकल सही रूप में व्यय होता है इसमें मुझे सन्देह है। यदि पंचायतों में बनने वाली कल्याण समिति व सुधार समिति ये दोनों समितियों को यह रुपया दिया जाय तो इसका वितरण ठीक होगा और कार्यरूप में सही प्रयोग होगा।

इन २,४ सुझावों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पास करने के बाद सरकार अपने मन्तव्य को स्पष्ट करे कि इस जिला अन्तरिम विधेयक को पास करने का जो मंशा है वह वही है या और कोई गुत्थी है। जो संशोधन इसके लिये हमारे सामने उपस्थित किया गया है प्रवर समिति में जाने का, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जिला परिषद् बिल के द्वारा जो गैर सरकारी अध्यक्ष रखने की व्यवस्था की है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, इस विधेयक में एक कमी की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें परिगणित जाति के प्रतिनिधियों के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम सभाओं, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटीज

और कारपोरेशन, हर स्थान पर उनके लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है संविधान के अनुसार, किन्तु इस विधेयक को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ जब इसमें इसकी व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इसमें मंत्री जी ने कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं की जिसके अनुसार उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। इसमें मेम्बरों की काफी संख्या होगी और उसमें केवल विधान सभा तथा पार्लियामेंट के परिगणित जाति के सदस्य होंगे जब कि जिला परिषदों की संख्या ५०, ६० से ऊपर होगी। मान्यवर, इसमें सभी ब्लाकों के प्रतिनिधि आयेंगें प्रधानों के। उसमें कोई रोक तो न होगी कि परिगणित जाति के प्रतिनिधि न आ सकें किन्तु जैसे आजकल लोगों की धारणा है उसके अनुसार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शायद ही किसी ब्लाक से कोई प्रधानों का प्रतिनिधि परिगणित जाति का चुन कर आ सके। इसी तरह से पहले की नियोजन समितियों से जो कई सदस्य लिये गये हैं उसमें भी शायद ही कोई ऐसा जिला परिषद् हो जहां पर कि इस प्रकार के लोग गये हों। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की जाय चाहे नामिनेशन द्वारा अथवा किसी और प्रकार से ताकि परिगणित जाति के प्रतिनिधि उसमें अवश्य पहुंच सकें। अगर ऐसा न हुआ तो वास्तव में संविधान द्वारा उन लोगों को जो सुविधायें दी गई हैं वे उनसे वंचित रहेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि उधर के सदस्यों ने बड़े जोर से कहा और बड़ा जोर दिया इस बात पर कि जिला परिषदों के चुनाव जल्दी से जल्दी करा दिये जायं। अगर ये चुनाव अब तक हो गये होते तो अच्छा होता, लेकिन इसी समय ग्राम सभाओं के चुनाव हुये हैं, न्याय पंचायतों के चुनाव अप्रैल तक चलेंगे और इसके बाद अगर इनकी व्यवस्था की गई तो जनता का लाखों रुपया इसमें बर्बाद हो जायगा क्योंकि सन् १९६२ में ही जनरल एलेक्शन होने वाले हैं। इस-लिये मैं चाहूंगा कि इस जनरल एलेक्शन के बाद ही जिला परिषदों के चुनाव कराये जायं।

मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने यह कहा और खास कर अवस्थी जी ने कि नये प्रधान जिला परिषदों में जा कर अपने भाग्य पर रोयेंगे। उसमें जनता के प्रतिनिधि भी हों, उनको मौका दिया जाय--एक तरफ तो यह बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब उनको मौका दिया जाता है, तो यह कहा जाता है कि वे अपने भाग्य पर रोयेंगे, कोसेंगे, उनकी कोई बात नहीं चलेगी। उनको यह जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है यह अन्तरिम व्यवस्था है और इसलिये हमें इस से कुछ संतोष होना ही चाहिये।

चौथी बात यह, जैसा कि अक्सर प्रश्न उठता है कि सरकारी कर्मचारियों में परिगणित जाति के लोगों की संख्या उन के अनुपात के अनुसार जितनी होनी चाहिये नहीं होती, मैं चाहूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग में भी, जिला परिषदों के जो कर्मचारी हों उनमें माननीय मंत्री जी को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि परिगणित जाति के लोगों को वहां पर भी अपने अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिल सके और मान्यवर, जैसा कि अभी कहा गया जिला परिषदों में जो एक बहुत बड़ी संख्या है अध्यापकों की, उनके बारे में यह शिकायत सुनने में आती है कि उनको तीन-तीन चार-चार महीने के बाद तनख्वाह दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी को करनी चाहिये जिससे उनको हर महीने की समाप्ति पर वेतन मिल जाय। इसके साथ ही, जो गत अप्रैल से साढ़े ५ रुपये मंहगाई उनकी बढ़ी है उसके लिये अभी तक कोई आदेश नहीं गया है और इस कारण सभी कर्मचारी परेशान हैं। सरकार को चाहिये कि शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा आदेश दे जिससे उनमें संतोष हो। इन थोड़े से शब्दों के साथ श्री गोविन्दसिंह जी बिष्ट ने जो संशोधन रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री बलदेवसिंह--अधिष्ठाता महोदय, इस जिला परिषद् विधेयक के ऊपर काफी चर्चा सुनने के बाद मुझे भी इसमें कुछ निवेदन करने की हिम्मत पड़ी। मुझे इसमें शक नहीं है कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है क्योंकि मैं बहुत इत्मीनान के साथ बता सकता हूं कि जब से मैं बालिग हुआ तब से दो बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरी का चुनाव लड़ने का मौका आया। एक बार १२ साल रहा और दूसरी बार १३ साल हो चुके हैं और मालूम नहीं कब तक

[श्री बलदेव सिंह]

चले। तो इसमें तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिये। यह बात निश्चित है यह सरकार चुनाव १९६२ के बाद ही कराना चाहती है और हो सकता है कि १९६५ या १९६६ तक जाय तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

अब मैं इस सम्बन्ध में अपने जिले गोंडा की बात बताऊं। हमारे यहां जिला परिषद् के ९३ मेम्बर हैं जिनमें से २५ तो ब्लाक्स के होंगे यानी २५ ब्लाक्स के एक-एक। अब ६८ जो रह गये उनमें से ४३ होंगे, नामजद केवल २५ होंगे चुने हुये। अब अगर ये २५ चुनकर भी आ जांय तो ४३ पर काबू पा नहीं सकते। तो इसमें सरकार अपना आधिपत्य जमाने के लिये यह बिल लायी है इसमें संदेह हो ही नहीं सकता। अगर २५ जीत भी लें तो ४३ सरकार के नामजद आदमी जिनमें गन्ना एजेंसियों से ६, एक भारत सेवक समाज का यह सब मिलाकर ४३ होंगे जो वोट करने का राइट रखते हैं। अब उनके मुकाबिले ये जो २५ चुने हुये होंगे वे क्या कर सकते हैं, तो ऐसे चुनाव से क्या लाभ होगा? अगर आप कराना चाहते हैं तो इसको भी बदलें और इसका भी चुनाव करा ले। अगर उन्हीं से कराना है और कलेक्टर को हटाना है तो यह सरलता से हो सकता था कि आप उनको हटाकर दूसरे आदमी का चुनाव करा सकते थे। किन्तु इस तरह से टालने की बात हम बराबर सुनते आ रहे हैं। इस सदन में अनेक बार आश्वासन दिये गये, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी स्वंय कहा था कि उस आश्वासन को मनवाने के लिये मैं जिम्मा लेता हूं, लेकिन वह सब फेल हो गया। आज भी हमें यह नहीं मालूम है कि इलेक्शन होगा भी या नहीं।

अभी एक भाई ने बताया कि उसमें हरिजनों का संरक्षण नहीं है, दूसरे ने बताया कि यह कोई जरूरी नहीं है, तीसरे भाई गोविन्द सहाय जी ने कहा कि यह बात होनी चाहिये कि यह सरकार अपना दिमाग साफ करे। तो सरकार अगर दिमाग को भी साफ कर ले तो फिर रह ही क्या चीज जायेगी? (हंसी)

मैं नहीं जानता कि सरकार को क्या शंका होती है यह कहने में कि साहब, हम तो अपना ही चेयरमैन चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारा ही आदमी चेयरमैन बने। आप इसके लिये एक आर्डिनेन्स पास करा सकते हैं और जिसको चाहे बिठा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बात नामुनासिब है कि उसमें ४५ आदमी बिना चुने हुये हों और २५ आदमी चुने हुये हों। इस तरह उन चुने हुये आदमियों की क्या वकत होगी? यह ठीक नहीं है। आज सरकार जो अपनी सत्ता के बल पर अपने आदमी को उस गद्दी पर बिठाना चाहती है, मैं इसका विरोध करता हूं। अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह एक अच्छे प्रकार का बिल हमारे सामने लाये, उसमें चाहे ४, ६ महीने ही क्यों न लग जायं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी ने जो अपने संशोधन रखे हैं, उनका घोर विरोध करता हूं। श्रीमन्, इस विषय पर बहुत से भाषण मुझे सुनने को मिले और उनको सुन कर सबसे ज्यादा ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि उन भाषणों में जो भी बातें कहीं गई उनका इस बिल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। यह बिल तो केवल इस बात के लिये लाया गया है कि जिलाधीश के स्थान पर चुना हुआ अध्यक्ष अंतरिम जिला परिषद् में हो। इसके लिये हम लोगों की मांग आज से नहीं, दो वर्षों से चली आ रही थी और आज उसी मांग को स्वीकार किया गया है और इस विधेयक को लाया गया है। उस वक्त हर विरोधी दल की यही मांग थी कि जिलाधीश के स्थान पर चुना हुआ व्यक्ति हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज विरोधी पक्ष के लोग यह चाहते हैं कि जिलाधीश की स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रहे?

कुछ लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि सन् १९४८ में अंग्रेजों के बनाये हुये पिट्ठु वोटर थे। यह भी कहा गया कि उन्हीं के बेसिस पर वह चुनाव हुये थे। मैं आपकी जानकारी के

लिये बताना चाहता हूं कि उस समय जो चुनाव हुये थे उसमें उससे सारे सूबे से अध्यक्ष कांग्रेसी ही चुनकर आये थे और उस समय बहुत भारी बहुमत में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी । तो यह कहना कि उस वक्त जो चुनकर लोग आये थे वे पब्लिक द्वारा चुने हुये नहीं थे, यह गलत है । माननीय अवस्थी जी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि उपाध्यक्ष को डेलिगेटेड पावर्स थीं, वह समस्त कार्य करते थे । इस सम्बन्ध में मैं उनकी जानकारी कराना चाहता हूं कि मुमकिन है कानपुर में ऐसी बात रही हो कि उपाध्यक्ष को जिलाधीश ने सारी पावर्स डेलीगेट कर दी हों और वह अंतरिम जिला परिषद् का सारा कार्य चलाते हों, लेकिन अधिकतर जिलों में जिशाधीश स्वयं कार्य करते रहे और उपाध्यक्ष को नाम मात्र के लिये पावर्स डेलीगेट की गईं । इसलिये आवश्यक था कि जिला परिषद् विधेयक हमारे सामने आवे और उस वक्त जल्द से जल्द जिलाधीश को हटाकर गैर सरकारी आदमी को अध्यक्ष बनाया जावे ।

इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि सरकार ने अधिकतर नामजद सदस्यों को अंतरिम जिला परिषद में रखा है और उसे एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी बना रखा है । जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नुमाइन्दे का सवाल है, वह सरकार के नामजद किये हुये नहीं ह बल्कि जिन लोगों को १९४८ में चुनकर भेजा गया था उन लोगों ने प्रपोर्शनेट रिप्रेजेनटेशन के आधार पर अपने नुमाइन्दे चुनकर भेजे । यह तो किसी के बस की बात नहीं कि उसमें अधिकतर लोग कांग्रेस के थे और यह भी बस की बात नहीं कि आज हमारी पार्लियामेंन्ट और विधान सभाओं में कांग्रेस के दो तिहाई सदस्य हैं और सरकार भी कांग्रेस की ही है । यह तो आप जब तक अपनी इतनी ताकत नहीं बढ़ाते कि जनता के सम्मुख आकर कांग्रेस को हटा सकें तब तक यह कहना कि कांग्रेस के नुमाइन्दे चले आये, कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, कांग्रेस कमेटी बनी हुई है, यह दलील आपकी ठहरने वाली नहीं है ।

इसके बाद यह बड़ी चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्लियामेंन्टरी बोर्ड एलेक्शन लड़ने के लिये तैयारी कर रहा है । यह तो डेमाक्रैटिक सेट अप में होता ही है । जब भी चुनाव आयेगा, आप और हम सभी तैयारी करेंगे। अच्छा है, आपने हमारी तैयारी देख ली, अब आप भी कोशिश कीजिये, लेकिन हार-जीत जो कुछ होगी वह तो होगी वह, किसी के बस की बात नहीं है । इस प्रकार से बहाना ढूंढना कि एलेक्शन की तैयारी की जा रही है यह मुनासिब बात नहीं है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अवस्थी जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इतनी परस्पर विरोधी बातें कहीं कि मैं समझता हूं आखिर में उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है । कहीं तो उन्होंने यह कहा कि जिलाधीश को बहुत ज्यादा पावर्स हैं और गैर सरकारी अध्यक्ष हो जाने पर भी बहुत पावर्स है और कानपुर में उनको यह एतराज था कि उपाध्यक्ष को जोकि पूरे जिले की जनता द्वारा चुना हुआ था और जिसको सरकार ने प्लानिंग कमेटी में मनोनीत कर रखा था और उसको सारी पावर्स दे रखी हैं और वह मनमाने ढंग से काम करता है या तो आप जिलाधीश को चुन लीजिये कि वह अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष रहे या फिर गैर सरकारी आदमी रहे । मुमकिन है वह आपकी मर्जी से काम न करे । आपको शिकायत हुई है इसलिये आप प्लीड कर रहे थे कि उपाध्यक्षों को पावर्स देकर बड़ा गलत किया । ज्यादातर मंत्री जी से मांग यही थी, लेकिन अब अवस्थी जी ने उल्टी शिकायत की कि उपाध्यक्षों को पावर्स डेलीगेट की गई और उन्होंने गलत सलत काम किया ।

जहां तक चुनाव टालने की बात है, पिछली दफा जब जिला परिषद् बिल कौंसिल के सामने था तो उस वक्त जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा— जो मंत्री जी थे वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि बिल पास कर दिया जाय, लेकिन कौन्सिल में अधिकतर लोगों की राय थी कि भले ही कुछ टाइम लग जाय, लेकिन इस समय हमें अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना है क्योंकि फ्लड आया हुआ है । वह अपने जिलों में जाकर सारे हालात को देखना चाहते थे । तो एक तरफ आपने उसको पोस्टपोन करवा दिया और अब यह कहते हैं कि सरकार लाना नहीं चाहती है । जहां तक जिला परिषद् बिल का सम्बन्ध है सरकार उसको बहुत जल्दी लाने जा रही है । यह तो एक टेम्पोरेरी अरेंजमेंन्ट है। और इस टेम्पोररी अरेंजमेंट के लिये तो हम लोगों को मंत्री जी

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

की बधाई देनी चाहिये कि वह गैर सरकारी अध्यक्ष का चुनाव कराने जा रहे हैं । जहां तक इस बिल का संबंध है, यह कोई लम्बा चौड़ा बिल भी नहीं है और न इस पर लम्बी चौड़ी बहस की आवश्यकता थी । मैं तो समझता हूं कि जल्दी से इस बिल को पास कर दिया जाता जिससे जल्दी से अन्तरिम जिला परिषदों के गैर सरकारी अध्यक्षों का चुनाव हो सकता । माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस बिल में यह कहा है कि जो जनरल इलेक्शन की वजह से नये प्रधान चुन कर आये हैं उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जा रहा है । यह अनडेमोक्रैटिक होता यदि पुराने अध्यक्षों को चुनने का मौका दिया जाता । इसमें अगर एक महीने का ज्यादा समय लग गया तो कोई अनुचित बात नहीं हुई । इसलिये अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं और प्रार्थना करूंगा कि वे अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव जल्द से जल्द करा दें ।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैंने जिला परिषद् के बारे में चर्चा सुनी । सरकार जो कुछ करती है वह ठीक ही करती है, लेकिन एक चीज हुआ करती है । एक कुश्ती होती है, बचाई की कुश्ती होती है । वह ऐसी होती है कि अपनी देह को बचा कर लड़ा जाता है । कुश्ती का कायदा यह होता है कि वह कुश्ती भिड़ती नहीं है । देखने में मालूम होता है पुष्टि है, लेकिन शरीर नहीं मिलते हैं । चाहे ऐसी कमजोर कोई संस्था हो, चाहे कोई सरकार हो और चाहे विरोधी ही हों, जहां ऐसे लोग होंगे वहां कामयाबी हो नहीं सकती, श्रीमन् । वह अपने और अपने देश दोनों को कत्ल करा देंगे । श्रीमन्, यह बड़ी गहरी चीज है । आपके द्वारा और मेरे द्वारा भी श्रीमन, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चीज जो आ रही है कि जिलाधीशों के पास जो शक्ति थी वह कम थी और उपाध्यक्षों को वह दे दी गई । हमारे शिक्षा मंत्री का कोई चेला हो । वह चेला तो जब तक रहेगा जब तक गुरू मंत्र फूंकेगा वही वह करेगा । कलेक्टर को तो भी यह खयाल रहता था कि अगर किसी दिन इसका नम्बर आ गया तो यह मुझको तंग करेगा इसलिये वह हमेशा सोच समझ कर काम करता था ।

एक चीज और है, आपके द्वारा । यह क्या हो गया ? उनकी ऊपर की सांस ऊपर रह गई । बात यह है कि बड़ी चीज को पचाना बड़ा मुश्किल होता है । उर्द की दाल और रबड़ी का पचाना बड़ा मुश्किल होता है । और फिर अगर खिचड़ी और तोरई हज्म करने वाले तो यह मथुरा का खुरचन और रबड़ी कैसे पच सकती है, कैसे इनको खाकर वह जिन्दा रह सकता है । आज नहीं तो कल खत्म हो जायेगा । "हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिये" ।

श्रीमन्, मुझसे कहा करते हैं कि यह बूढ़ा क्या बकता है ? और जिन नेताओं को एक अक्षर नहीं आता वह शाम तक बकते हैं । न वह चीनी बोलें, न वे रूसी बोलें, न हिन्दुस्तानी, बोलें और न वह बिहारी बोलें । एक नई बोली उन्होंने निकाली जिस बोली को भील भी नहीं बोलते हैं । मुझे याद आ गया ।

श्रीमन्, हरिजनों के साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है, उनको कहीं नहीं लिया जाता है । मेरा सुझाव है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो जिला परिषदें हैं उन सब में हरिजनों को ही लिया जाय और सब लोग हाथ सिकोड़ लें और उन्हीं को उपाध्यक्ष बना दिया जाय । ये हमारे छोटे भाई हैं, हरिजन हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इनको आने दो, हम और आप जो बड़ी जाति के हैं उनको अपने करीब बैठने दो, नहीं तो ये बेचारे भटक-भटक कर मर जायेंगे । यह नहीं कि हम हरिजनों को साथ मिला कर खुद मौज करें ।

श्रीमन्, एक चीज और रह गयी । कहा जाता है कि यह बुद्ढा क्या कहता है, बुद्ढे की एक-एक बात सख्त होगी । क्योंकि यह सरकार जानती है कि यह चीज अगर हो जाय और उसकी स्वांस ऊपर आ जाय तो उसकी जिन्दगी साल भर के लिये बढ़ जाय । क्या है ५५ साला, क्या है ५८ साला, मिनिस्टरों के लिये ५५ और ५८ साल की बात लागू नहीं होती है । वे

तो ९० वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह तो अपने घर की चीज है। हमारे यहां तो ६० साल के बाद ही आदमी पंडित होता है। जो पढ़ाने वाला होता है, जो शिक्षक होता है, जो मास्टर होता है उसका दिमाग ६० साल के बाद ही उज्जवल बनता है।

"पंडित, वैद्य, तपेसरी, पंच, गुरु, मनिहार, ये छः वृद्ध भले, तरुणावस्था ख्वार।"

अर्थात् पंडित, वैद्य, तपस्वी, पंच, गुरु और मनिहार ये वृद्धावस्था में ही भले होते हैं। नेता और मिनिस्टर्स अगर नौजवान हों तो नौजवानी की दिमाग में कुछ झलक रहेगी। अगर ७५ और ९० वर्ष का प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हो तो चाहे चीन हो, चाहे जापान हो वह हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकता है और उठा रहा है। अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति नौजवान होते तो अब तक चीन के छक्के छुड़ा देते और अपनी एक-एक इंच जमीन वापस ले लेते, लेकिन वे कमजोर हैं।

श्री अधिष्ठाता--आप बिल के ऊपर भी कुछ अपने सुझाव सरकार को दें।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि जिला परिषदों में अछूत भाइयों को जिन्हें हरिजन कहते हैं बहुमत में भेजा जाय और कमी हो तो कुछ बहनों को भेज दिया जाय क्योंकि बिना बहनों के जिला परिषदें सूनी रहेंगी और हो सके तो मंत्री जी को जिला परिषद् का अध्यक्ष बना दिया जाय तो एक और शोभा की बात बन जाय। मैं आपके द्वारा बतलाऊंगा दुनिया कहा करती है :--

क्या कर सकता अकेला,
लाखों पर वार करता, वह सूरमा अकेला,
कितने तारागण होते हैं, आसमान के अन्दर,
लेकिन रोशनी करता है, तो चन्द्रमा अकेला।

श्रीमन्, इन मंत्रियों से पल्ला छूटे तो जिन्दगी रहे, नहीं तो न आप बचेंगे, न हम बचेंगे ऐसे कमजोर मंत्रियों के रहने से।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय विष्ट जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि जब-जब इस प्रकार के जनहित के विधेयक जिनको कि वह स्वयं चाहते हैं और जिनके लिये स्वयं उनकी मांग थी उनको यह सरकार लाती है जो कि कल्याणकारी सरकार है और जो इस सूबे की जनता को सुख पहुंचाने वाली सरकार है, जो देश को और प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने वाली सरकार है और जो उधर के साथियों तक की बात को मानने के लिये कटिबद्ध है तो मेरी समझ में नहीं आता कि भिन्न-भिन्न प्रकार का विरोध उस तरफ से क्यों उत्पन्न किया जाता है और ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो बे बुनियाद हैं और जिन की कोई सीमा नहीं है और न उन की कोई इस तरह की बात जनहित में है।

हमारे मास्टर जी हैं, वह माफ करें कि उन्होंने किसी भी विधेयक का विरोध करना अपना अनिवार्य और परम कर्त्तव्य समझ लिया है और बेसमझे ही उन्हें अपनी बात किसी न किसी तरह कहने से मतलब। यह तो मैं मानता हूं कि वह बुजुर्ग हैं और हम उनके सामने बच्चे हैं, उन्होंने बच्चे ही पढ़ाये हैं और वही परिपाटी इस सदन में भी वह लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिये कि यहां सब बच्चे ही नहीं हैं, उनके बराबर के और उन से बड़े भी यहां मौजूद हैं, हो सकता है कि अधिक संख्या में शिष्य ही हों हम जैसे, लेकिन कभी-कभी जो छोटे होते हैं वह भी बड़ों को कुछ समझा देते हैं और समझदार बुजुर्ग उन बातों को मान भी लेते हैं और मानकर छोटों की बात को समझकर उसके अनुसार चलने की भी कोशिश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

करते हैं। मैं कई बार उनको समझाता रहा हूं और आज भी आप के द्वारा कोशिश कर रहा हूं कि हमारे मास्टर जी हर बात का विरोध न किया करें। जो विरोध बेबुनियाद हो, किसी की समझ में न आता हो, जिसमें जनहित की कोई बात न हो ऐसी बात कहते रहने से उनको पता नहीं क्या आनन्द आता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य शांत रहें, आप कृपया माइक पर बोलें।

श्री हरीसिंह---हमारे भाई विष्ट जी ने कहा कि पट्टा लिखा कर लाये हो। मैं उनकी यह पट्टा लिखाने की बात बड़े गौर से सुन रहा था, मैं समझता हूं कि आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन से विदेशी राज यहां से हटा है हर भारतवासी चाहे इस दल का हो या उस दल का हो देश को आजाद रखने के लिये पट्टा लिखाकर लाया है और देश की आजादी को कायम रखेगा। क्या समय आयेगा, क्या रूप होगा वह तो समय बतलाये, लेकिन जहां तक देश की स्वतंत्रता की बात है सब का उद्देश्य एक ही है, सभी देश का कल्याण और उत्थान चाहते हैं।

एक बात मैं मंत्री महोदय से अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी जो पुजारी महाराज कह रहे थे वाकई उनकी बात सही है कि इस जिल में हरिजनों के लिये कोई सुविधा नहीं है इसका हमें दुख है। हमने बार-बार कहा कि इस सूब में डेढ करोड़ हरिजन हैं, चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, लेकिन हरिजनों का प्रतिनिधि कोई नहीं रखा है, जो दो एक आ गये हैं वही है, लेकिन संविधान के अनुसार और अनुपात के अनुसार हमारे प्रतिनिधित्व नहीं है, वह अनिवार्य होना चाहिये। सबसे पहले हमारे सुरक्षित स्थानों की पूर्ति होना चाहिये और उसके बाद इन अध्यक्षों का चुनाव हो। यदि वह आवश्यक समझें और ऐसा मौका हो तो उसे किया जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा फिर अपने साथियों को बताना चाहता हूं .... (शोर)

श्री अधिष्ठाता---माननीय बलदेवसिंह जी, इनकी बातों को सुनिये। वह वही कह रहे हैं जो आप चाहते हैं।

श्री हरीसिंह---मैं बताना चाहता हूं कि आप क्रोध और आवेश की बात करते हैं। यह बिल तो एक अध्यक्ष चुने जाने के लिये है जिलाधीश को हटा करके, जैसी कि हमारी और आपकी सबकी राय थी। मैं जो सुझाव दे रहा हूं, वह तो मंत्री जी को इसलिये दे रहा हूं कि वह जो विधेयक आ रहा है उसमें, जो भारत का संविधान है उसके अनुसार सुरक्षित सीटें होनी चाहिये। यदि नहीं हुई तो समस्त हरिजन समुदाय को दुख होगा और उनके साथ न्याय नहीं होगा। यह विधेयक तो एक अध्यक्ष के चुनाव के लिये है इसलिये इसका तो पास हो जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके विरोध में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तुरन्त ही इस विधेयक को पारित कर देना चाहिये क्योंकि आपके उद्देश्य की इससे पूर्ति ही होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय गोविन्दसिंह जी अपने संशोध को वापस ले लें और यह पारित किया जाय।

जहां तक जनहित की बात है, इसमें जन अहित हो रहा है जब तक कि अध्यक्ष चुना नहीं जाता और अगर जनहित चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र यह चुनाव हो जाना चाहिये। इसके पास होने से जो लोग गांव सभाओं से चुनकर आने वाले हैं वह भी आ जायंगे। इसलिये इस विधेयक को शीघ्रता के साथ पारित कर देना चाहिये और जो नया बिल आने वाला है उसमें जो देश के हित की बातें हैं उन्हें रखें।

जहां तक उस विधेयक की बात है, वह १९६२ के पहले आने वाला नहीं है। मेरा तो विश्वास है कि १९६२ के पहले चुनाव होने वाला नहीं है। परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हमें बीच चुनाव कराना पड़ जाय। लेकिन सन् १९६२ का आम-चुनाव शीघ्र ही जनवरी या मार्च में होने वाला है। सभी पार्टियों के लोग उसमें लगे रहेंगे, आप भी और हम भी। सब जनता को बतायेंगे। आप खुद ही चुनाव नहीं करने देंगे, तो इस सरकार को क्यों दोषी ठहराते हैं? इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष पद का चुनाव तो शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये और इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। साथ ही मास्टर जी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि वह जरा ऐसा भाषण दिया करें जिससे दूसरे भी कुछ समझा करें। यहां बच्चे नहीं हैं, बड़े-बड़े काबिल लोग हैं।

(इस समय ४ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अगर समझाने की बात है तो हमें अलग समझा लिया करें। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाय और माननीय गोविन्दसिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने यह समस्या है कि दो हमारे आदरणीय सदन के भीषण वक्ताओं के बोलने के बाद क्या कहूं, माननीय टीकाराम पुजारी जी और हरीसिंह जी। फिर भी मैं कुछ बातें आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं

आज सारे दिन इस बात पर बहस हो रही है, अध्यक्ष महोदय, शायद आपने किस्सा न सुना होगा। अपनी बातें कहने के पहले मैं एक किस्सा कहना चाहता हूं। उसे हमारे पूरब के जिलों में 'तीन तसवा' कहा जाता है। एक जमात थी जिसमें ३ आदमी थे। रास्ते में कोई आप जैसा भला आदमी मिला तो एक उसे मारने लगे। फिर उसी में से एक आदमी कहने लगा कि इसकी मैं हिफ़ाजत करूंगा और वह उसको अपने घर ले चलता है और घर ले जा कर उससे पैसा ले लिया। यानी तीनों का दृष्टिकोण एक ही रहा कि किस प्रकार मुसाफ़िर से पैसा छीन लें। कोई किसी से अलग नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंतरिम जिला परिषद् का चुनाव पिछले १३ सालों से किन्हीं किन्हीं कारणों से टाला जा रहा है। डेमोक्रेसी की बात करने वाले माननीय नवलकिशोर जी यहां इस समय मौजूद नहीं हैं, माननीय गोविन्द सहाय जी भी नहीं हैं उनको तो जमहूरियत के जो अलग अलग परदे हैं उन सब की बड़ी जानकारी है। १३ साल तक जिला परिषदों का चुनाव न होने देने के बाद भी इस सरकार के पास कोई न कोई जवाब है। आज के पहले जो सरकार थी उसने कहा जिला परिषद् का एक बड़ा बढ़िया बिल ला रहे हैं। उसे पास करा लिया। फिर उसके बाद नये आये तीरंदाज उनका कहना है कि वे तो ग़लत लोग थे उन्होंने ग़लत कानून पास किया था अब हम अच्छा पेश करेंगे और नये कानून में दूसरा चुनाव कराने वाले हैं। नतीजा यह हुआ १३ साल बाद आप के सामने और सदन के सामने जो वादे थे चुनाव कराने के वे पूरे नहीं हुये। एक और खास बात इस विधेयक में आयी है कि ६ महीने के बाद चुनाव करायेंगे। मैं कहता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है और सारे सदन का विश्वास है कि ६ महीने में कोई चुनाव सरकार नहीं करायेगी। फिर दूसरा बहाना ढूंढेगी। यहां गोविन्द सहाय जी ने कहा कि क्या हरज है ३, ४ महीने बाद उसी में थोड़ी तरमीम करके एक नया विधेयक उपस्थित किया जाय और उसके मुताबिक यह बीच का चुनाव करा दिया जाय यानी यह जो होने का है इसको भी तरमीम करने की बात है। १३ साल चुनाव नहीं हुआ और स्थानीय इकाइयों का चुनाव २, ३ साल के लिये और रोका जाना है।

एक बड़ा भ्रमात्मक वातावरण रहा। एक शब्द है जिसका बड़ा दुरुपयोग हुआ। मैं समझता हूं कि उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ। एक तो गोविन्द सहाय जी ने कहा "प्रोग्रेसिव" स्टेप है। अब प्रोग्रेसिव जहां तक हमने समझा है वहां तक मैंने समझा है। और एक "प्रजा-तांत्रिक" कहा। उनका कहना यह है कलेक्टर की जगह अब यह बड़ी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक

[श्री गौरीशंकर राय]

ज्ञात है कि नाम-आफ़िशियल चेयरमैन हो क्योंकि अपोज़ीशन के लोग कहते हैं। अपोज़ीशन के लोगों ने किस कांटेक्स्ट में कहा था? जब एक विधेयक जिला परिषद् का उपस्थित था। उस समय हमारी राय थी कि गैर-सरकारी आदमी उसका अध्यक्ष होना चाहिये और आज भी है और आगे भी रहेगी। उस तरफ़ की बैठने वाली जो जमात है वह आज पावर में है उस की एक राय है और जो इनके पहले थे उनकी दूसरी राय थी, लेकिन अपोज़ीशन सर्वसम्मत से आज भी इस राय का है कि गैर-सरकारी अध्यक्ष होना चाहिये। चूंकि आज गैर-सरकारी अध्यक्ष की बात सामने ला रहे हैं इसलिये कह दिया गया प्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र से मतलब मेरे सामने रिप्रेजेन्टेशन और इलेक्शन से होता है। जिसका रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर नहीं होता है वहां रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता और वह प्रजातांत्रिक भी नहीं है जिसमें रिप्रेजेन्टेशन की व्यवस्था न हो। तो उसमें प्रेसीडेंट नामीनेटेड आदमी भी हो सकता है। सरकार ने जिसको यहां से नामिनेट कर दिया है, प्रेसीडेंट हो सकता है और उन्हीं नामीनेटेड आदमियों के मत से प्रेसीडेंट हो सकता है। उसको भी यह डेमोक्रेटिक कहते हैं। इलेक्शन का एक साल है। जिला बोर्ड की एक मशीन है अगर वह अपने हाथ में नहीं रहेगी तो इलेक्शन के बड़े डिसएडवानटेजेज रहेंगे। यह मामला सब के सामने है और ऊपर से कुछ लोगों को नामीनेट करके चुनाव कराया जायेगा। गैर-सरकारी चेयरमैन होना चाहिये, लेकिन प्रजेंट सैटअप में जो रूप है जिला परिषद् का इस बीच में गैर-सरकारी आदमी जिलाधीश से भी बुरा होगा। वह एक पार्टी का होगा। उस समय भी किसी पार्टी का बहुमत होगा, लेकिन वह बहुमत चुनाव से होगा। उस पार्टी की रिप्रेजेन्टेटिव कैपेसिटी रहेगी।

इस जिला परिषद् के रूप की पृष्ट भूमि में वह जिला बोर्ड था, जो मर गया। उसके चुने हुये ५ प्रतिनिधि अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य थे। वह अन्तरिम जिला परिषद् का समय समाप्त हो गया और उस पुराने जमाने वाले प्रतिनिधियों को उसमें लाना, अनन्त काल तक फालो आन करना यह सरकार चाहती है क्योंकि सरकार के हाथ म शक्ति है।

आप से भी एक बात कह दूं। आप का भी व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के जिला परिषद् के इलेक्शन में एक वोट का हाथ रहता है। इनवेरिएबली भारत सेवक समाज का एक आदमी नामीनेटेड हो जाता है और जो भारत सेवक समाज के कार्यकर्ता हैं उन सब में एक बड़ी होड़ सी रहती है कि हमारे गोल का आदमी नामिनेटेड हो जाय। इस तरह से एक वोट आप ले बैठे हैं। अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, दूसरी हैसियत से ले बैठे हैं और ५ फालो आन करते हैं। तो इतने प्रकार के जंजाल के बीच में हमको बतलाना कि यह डेमोक्रेसी का तरीक़ा है, अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीका है। नान आफिशियल आदमी आयेगा तो ज्यादा यह प्रोग्रेसिव है। गोविन्द सहाय जी के हाथ की मुद्रा में जब तक न बतलाया जाय तब तक बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रोग्रेसिव यह किस तरह से है यह समझ में आता नहीं। नामिनेटेड आदमियों के द्वारा चुना हुआ नामिनेटेड चेयरमैन नान आफिशियल चेयरमैन हो जाय तो कैसे यह डेमोक्रेटिक तरीका होगा यह समझ में नहीं आता, यह तो डेमोक्रेसी का मजाक होगा। मैं फुल कांटेक्स्ट में कहता हूं, पूरे जिला परिषद् के रूप की एक व्याख्या करते हुए कहता हूं कि हमारा विश्वास है, हम चाहते हैं कि एक गैर सरकारी आदमी ही जिला बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिये और जिला बोर्ड या लोकल बाडीज के लिये सरकारी आदमी का चेयरमैन बनाना डिसग्रेसफुल है, लेकिन जिस आधार पर वह रखा गया है वह पार्टीबाजी के अलावा कुछ नहीं है। प्रोग्रेसिव के नाम पर, गैर-सरकारी के नाम पर अपनी पार्टी के आदमी को जिला बोर्ड में अध्यक्ष बनाने का यह तरीक़ा है।

मैं माननीय नवलकिशोर जी को धन्यवाद दूंगा। जिला परिषद् के अध्यक्ष जब जिलाधीश थे तब तो हमारे पुराने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में उस समय सदस्य हो सकते थे और शान का सवाल नहीं आया था, लेकिन आज सरकार जब गैर-सरकारी चेयरमैन बनाने जा रही है तो सरकार को ऐसा लगता है कि कलेक्टर जो है वह अगर जिला परिषद् का चेयरमैन नहीं

रहेगा और गैर सरकारी आदमी की सदारत में काम वह करेगा तो उसके सारे प्रशासन की इज्जत बिगड़ जायेगी। मैं नवलकिशोर जी से ऐग्री करता हूं कि जो यह दिमाग में ब्यूरोक्रटाइजेशन भरा हुआ है कि उस पर हमला नहीं होना चाहिये वरना तमाम तार हिल जायेंगे और जिलाधीशों तथा अधिकारियों ने इंकार किया कि हम इसमें नहीं रहेंगे तो सरकार उनके सामने झुकी ऐसी हालत में जब सारे का सारा ढाचा ही गड़बड़ हो तो एक चीज की आलोचना करना ठीक नहीं मालूम होता।

एक रिफरेंस के बारे में और जानकारी मैं कराना चाहता हूं। आप कहेंगे बड़ी इर्रेलेवेंट बात करता है, लेकिन माननीय नवलकिशोर जी ने डेमोक्रेसी की बात उठाते हुए कहा कि अविश्वास के बारे में कल ही विरोधी पार्टियों में मतभेद रहा और आपस में वे लड़ती हैं....

श्री अध्यक्ष—वह बात उनको नहीं कहना चाहिये थी। अगर एक ने गलती की तो दूसरा तो वही न करे। यह तो समझना ही चाहिये कि दो गलतियां मिल कर एक सही बात नहीं हो सकती।

श्री गौरीशंकर राय—लेकिन दो अध्यक्ष बैठ कर दो रूलिंग दें और दो तरह की व्यवस्था दें तो वह किस तरह से उचित है?

श्री अध्यक्ष—वह तो नियम में है।

श्री गौरीशंकर राय—ठीक है।

एक तर्क यह दिया गया कि बाढ़ आ गई जिसकी वजह से जिला परिषद् का इलेक्शन नहीं हो सका। यह तर्क उस जिम्मेदार आदमी का दिया हुआ है जिसकी हैसियत किसी मिनिस्टर से कम नहीं है, बराबर मिनिस्टर होने की हैसियत में रहते हैं, बराबर हैं भी, उनका यह तर्क है कि बाढ़ आ गयी इसलिये जिला परिषद् का इलेक्शन नहीं हुआ। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता केवल यह कहूंगा कि जब उधर की पार्टीबाजी की हम बात करते हैं तो इसलिये करते हैं कि उस दल की पार्टीबाजी पूरे प्रदेश की व्यवस्था पर असर डालती है। विधान सभा का सेशन नहीं हुआ, चार महीने के लिये टल गया। पुराने वादे थे। जो आज सरकार में हमारे माननीय कैलाशप्रकाश जी हैं वह कह देंगे कि हम क्या करते, बीच में पास नहीं हो सका या यह भी कह सकते हैं कि बड़ा सड़ा कानून था, बड़े सड़े हुए विचार थे। तो इनके आपसी झगड़े के कारण या जिस किसी कारण से कहिये यह मामला टलता रहा। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब दो भाई आपस में झगड़ा करते हैं तो उनके घर का नुक्सान होता है, लेकिन ये ऐसे झगड़ा करने वाले हैं कि आपस में झगड़ा कर के पड़ोसी का सिर फोड़ते हैं और अपने मजे में रहते हैं। जिला परिषद् का चुनाव नहीं होना था और मैं आप के जरिये उनकी नीयत पर हमला करना चाहता हूं कि वे ईमानदारी से चुनाव कराना नहीं चाहते हैं और वे खुद नहीं चाहते हैं कि इसके पहले चुनाव हो। जब इलेक्शन बहुत नजदीक आ जायगा तो ऐसा वातावरण भी नहीं रहेगा, हम सब लोग भी इस मूड में नहीं रहेंगे कि जिला बोर्ड का चुनाव एक, दो महीने पहले हो जाय तो उस परिस्थिति का वे लाभ उठाना चाहते हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि उनको बोल्डली ऐडमिट करना चाहिये कि ६ महीने क्यों लेना चाहते हैं? तो इसमें शर्मिन्दगी काहे की है और शर्म तो है भी नहीं, एक ही बार वह कह दीजिये कि हम दो साल चुनाव कराने वाले नहीं हैं।

एक बात यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार अन्तरिम तरीके पर चुनाव क्यों करा रहे हैं, इसलिये कि आप के दल का उसमें बहुमत है, लेकिन जिसमें नामिनेटेड आदमी को वोट देने का अधिकार हो क्या उस को भी आप प्रजातंत्र कहेंगे? एक नामिनेटेड आदमी की बात हो तो समझ में आ सकती है। असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बर चेयरमैन नहीं हो सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि असेम्बली और पार्लियामेंट के आदमी जिला परिषद् के

[श्री गौरीशंकर राय]

मेम्बर ही क्यों रहें ? उनके लिये इतना तो कह सकते हैं कि यहां जो भाई बैठे हैं उनको ५ साल के भीतर ही जनता का विश्वास मिला है. लेकिन जिन लोगों को आप प्रतिष्ठापित करने जा रहे हैं उनमें से कुछ को तो १३ साल पहले जनता का विश्वास मिला था और कुछ को तो बिलकुल मिला ही नहीं। वैसे तो आप का बहुमत है जिस तरह का कानून चाहें पास करा सकते हैं, लेकिन उस तरह के कानून को एक प्रजातन्त्र कहना मेरी समझ में सत्य का गला घोटना है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक पर वाद विवाद होते हुये मुझे कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलीं कि जिनसे यह जान पड़ा कि वक्तागण यह नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम किस विषय पर भाषण कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपने भाषण को अपने प्रचार का एक साधन बनाया और कुछ लोगों ने जो भाषण किये उनसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जो जिला परिषद् का विधेयक उपस्थित है इसको एक स्थायी तरीके से कार्यान्वित करना है और सारे केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के जो सिद्धान्त होते हैं या शक्ति को नीचे की ताकतों को देने के जो अधिक से अधिक प्रगतिशील कहे जाते हैं उनको यहां पर देखना चाहते थे जिसे न देखने से उनको निराशा हुई। जिला परिषद् का विधेयक इसके पहले यहां उपस्थित किया जा चुका है जिस पर काफी वाद विवाद हुआ और उसके परिणाम स्वरूप वह विधेयक यहां से पास होकर विधान परिषद् में गया। विधान परिषद् में वह किन्हीं कारणों से नहीं पास हो सका जो सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है और उन कारणों को जानते हुये भी कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है कि जिला परिषद् का चुनाव कराये, इसी कारण से ऐसा हो रहा है।

मुझे और सदन के सभी लोगों को जहां तक जानकारी है जो पिछला मंत्रि मंडल था उसने करीब-करीब इस बात की घोषणा कर दी थी कि फरवरी तक जिला परिषद् विधेयक बनकर और नया चुनाव हो कर नया जिला परिषद् बन चुकेगा, लेकिन उनके सामने भी जो परिस्थिति घटित हुई वह सम्भवतः नहीं थी। अगर यह परिस्थिति रही होती तो इस तरह की घोषणा या इस तरह की आशा उनके द्वारा नहीं व्यक्त की गयी होती। काम रुका पड़ा रह गया। नया मंत्रि मंडल आया। उसके सामने भी उन चीजों की महत्त: थी और उन लोगों ने भी उसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक देखा और उनके दिमाग में यह स्पष्ट बात थी कि जिला परिषदों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है, किन्तु जब तक जिला परिषद् का विधान पूर्ण रूप से तैयार होकर हमारे सामने और आपके सामने नहीं आता तब तक चुनाव करने की बात सोचना बेकार थी, लेकिन एक बात हमारे सामने थी, जब अंतरिम जिला परिषद् का चुनाव हुआ और जब वह काम करते रहे और इस बीच में जिलाधीश को अध्यक्ष का पद दे देने से बड़ा भारी असंतोष इस आदरणीय सदन के भीतर बराबर देखने को मिलता रहा और जिला परिषद् विधेयक प्रस्तुत किया था तो उस समय भी इस चीज को व्यक्त किया गया और इस बात को सिद्धान्ततः मान लिया गया था कि जिला परिषद् का अध्यक्ष गैर-सरकारी व्यक्ति होगा और जिलाधीश नहीं हो सकता। इस आधार पर जो नया अध्यादेश जारी किया गया उसमें इसको सुधार लिया गया और संशोधन हमारे सामने उपस्थित किया गया जिससे हम कम से कम एक शिकायत को दूर करने का तो अवसर दे सकें।

पंचायतों का चुनाव हो चुका था। जिला परिषदों में सदस्य उपस्थित थे। वह बहुत से ऐसे थे जो सभापति नहीं रह गये थे, उनको हटाना अत्यन्त आवश्यक था और नये चुनावों के द्वारा नये प्रतिनिधि होकर सभापति का आना आवश्यक था विधि विधान के कारणों से। इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो बोर्ड के अध्यक्ष थे और अन्तरिम जिला परिषद् में बहुत से सदस्य थे इनके तथा प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश हुये और वह उपाध्यक्ष हुये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब नया विधान बन रहा है और हमारा मन्तव्य यह है कि गैर-सरकारी सदस्य अध्यक्ष बनाया जाय तो यह स्पष्ट है कि जो पहले के अध्यक्ष थे उनका बहुमत परिषद् में नहीं रहा होगा जिसके वह उपाध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष होने के लिये जितने भी सदस्य हैं उन सब की राय से अध्यक्ष का चुनाव करना आवश्यक है। सम्भवतः इन्हीं कारणों से सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ी। कहा गया कि वहां पर नामीनेटेड मेम्बरों की बहुत तादाद है और इस चीज को बताकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि वही व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी का होगा। उनकी बातों से यही निष्कर्ष निकला कि उनका आदमी जिला परिषद् में अध्यक्ष नहीं हो सकता है। इसीलिये असंतोष है, गुरेज है और परेशानी है।

मैं समझता हूं कि जिला परिषद् के कार्यों को जो लोग जानते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पुराने कानून को समझते हैं वे भलीभांति जानते हैं कि कोई भी अध्यक्ष हो जाय, उसको अधिकार नहीं है जिससे वह जितने अनाचार, भ्रष्टाचार या जुल्मों की कहानियां बतलाई गईं, वह कर सके बशर्ते कि एक भी व्यक्ति इतना दृढ़ हो जो अनाचार का विरोध कर सके। हमारे अवस्थी जी ने जब कहना शुरू किया तो कानपुर के जिला बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन और जिला परिषद् के उपाध्यक्ष, जिनको कलेक्टर ने अधिकार दे दिया था, उनके विषय में बहुत सारी बातें कहनी शुरू की कि अध्यापकों को बुलाया गया और उन पर पार्टी के वोट के लिये दबाव डाला गया और बहुत सारी बातें वह कह गये, लेकिन अध्यक्ष जो करना चाहे कभी नहीं कर सकता। मैं तो स्वयं एक जिला बोर्ड का अध्यक्ष था। शिक्षा के अन्दर जितने अध्यापक काम करते हैं उनपर डिप्टी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का जितना अधिकार है उतना जिला बोर्ड के अध्यक्ष का नहीं है। जिला बोर्ड के अन्दर और भी जो काम हैं उनके अन्दर सीधे अध्यक्ष का कोई भी अधिकार नहीं है कि वह कुछ भी कर सके। हां, आपके कथनानुसार वह इधर से उधर कुछ ट्रांसफर उन अध्यापकों का जो ४० रुपये से ऊपर तनख्वाह वाले हैं, कर सकता था। इसकी शिकायतें आपने कीं, बहुत सारी शिकायतें आपने कीं और उन्हीं को दृष्टि में रखकर मंत्रिमण्डल ने अंतरिम जिला परिषद् का निर्माण किया और उसके बाद उन अध्यक्षों के अधिकारियों को जिलाधीश को दे दिया, लेकिन जिलाधीश के राज्य को देखा गया, उनके शासन का जो अनुभव हुआ, उससे मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जो गैर-सरकारी सदस्य अध्यक्ष थे, जिस ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते थे इन सब चीजों का जितना उनके यहां स्थान था उतना जिलाधीशों के राज्य में नहीं रहा। मैं अपने जिले को जानता हूं। जहां हर महीने बाकायदा तनख्वाह दी जाती रही और आज अध्यापकों को महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आज उनके ट्रांसफर का कोई उसूल नहीं रह गया है। किसी भी अध्यापक का पचीसों, तीसों मील दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिना कारण ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आज महसूस हो रहा है कि गैर-सरकारी अध्यक्ष होने से क्या लाभ थे और सरकारी अध्यक्ष होने से क्या लाभ हैं। खैर वह तो बीत चुका। उन्हीं अनुभवों के आधार पर और सदन की सिफारिश के आधार पर गैर सरकारी अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था की गयी और इस विधेयक में भी इसकी गुंजायश की गयी है कि नया चुनाव करवाने का मौका दिया गया है।

गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि सरकार को स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए कि वह १९६२ के पहले चुनाव करवाना चाहती है या नहीं। अगर चुनाव नहीं करवाना है तो उसका संशोधित अधिनियम ले आते जिससे अधिक से अधिक प्रजातांत्रिक जिला परिषद् हो जाती। मैं उनके कथन का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है अगर इसको भी इस आधार पर कि अभी प्रजातांत्रिक सेटअप पूरा नहीं बन पाया इस चुनाव को रोकते हैं तो इससे आपको और भी अधिक पछतावा होगा क्योंकि जो कुछ भी आज तक हुआ है वह आपके सामने है, उसको तब्दील करना है, तब्दील करके नये अध्यक्षों को बिठा कर आपने काम को आगे बढ़ाना है। जो उसमें नामजद आदमी हैं या जिला बोर्ड के पुराने सदस्य प्रतिनिधि के रूप में हैं उनके स्थानों की पूर्ति बिना नया विधान बनाये हुए आप किस तरह से करेंगे यह किसी वक्ता ने स्पष्ट नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

एक बात माननीय हरीसिंह और माताप्रसाद जी की ओर से कही गयी। यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं सभी असहायों, पददलितों, दीनों और निर्धनों के समर्थक बनकर आते हैं। सबके भाषणों को मैंने सुना। उनमें जितनी अपनी पार्टी को अधिकारमय करने की ख्वाहिश जाहिर हुई उतना किसी भी व्यक्ति के मुंह से नहीं सुनायी पड़ा कि इस प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का क्या होगा जो कि इस सेट अप में किसी भी ओर से जिला परिषद् में पहुंचने में असमर्थ होंगे। सरकार ने जिला परिषद् विधान में उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे थे। जिला प्लानिंग कमेटी में कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। जब जिला बोर्ड के प्रतिनिधि अन्तरिम जिला परिषद् के लिए लिये जाने लगे उस समय उसमें कोई आदेश नहीं था कि जिला बोर्ड से कुछ हरिजन भी चुनकर के जरूर आवें। प्लानिंग में भी ऐसा हुआ और जो सरकार द्वारा नामजद सदस्य हैं उनमें भी ऐसा नहीं हुआ। तो यह कोई ऐसी संस्था जिला परिषद् की नहीं है जहां जनता के जीवन के उत्थान के लिये कोई कायदे या कानून बनते हैं। वह सर्वोच्च संस्था नहीं है जहां पर प्रजातांत्रिक सेट अप बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से विधान सभा चल रही है और जैसे पार्लियामेंट चल रही है उसी तरह से जिले का जिला परिषद् भी हो जाय यह कल्पना जब तक कि आप नया कानून नहीं बनाते, पूर्ण नहीं हो सकती और अगर इतना अधिकार आप देने को तैयार हों जितने अधिकार कि आप प्रान्तीय सरकार को या केन्द्रीय सरकार को दिये हैं, जिले के स्तर पर उनको भी उतना ही अधिकार देने को तैयार हों तो उस तरीके से आपको विधान लाना पड़ेगा। जब तक वह विधान नहीं आता तब तक जितने अधिकार हैं उन अधिकारों को कोई भी संचालित करे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। वह तो केवल उत्थान और विकास संबंधी कार्यों को करने का एक स्थान है। जहां विचार होता है और निर्णय होता है और कार्य को एग्जीक्यूट करने वाले, उसका सम्पादन करने वाले दूसरे लोग होते हैं। सड़क बनानी है। आप पास कर देंगे, सड़क बनायी जाय, यह हमारी ख्वाहिश है। जाकर इंजीनियर बनायेंगे। आप उसकी निगरानी अवश्य रखते हैं। तो वहां पर कोई राजनीतिक दलों का प्रभाव हो जाने से जनता का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। वहां राय देने के लिए सभी एम० एल० एज० अभी चार साल से चुने हुए मौजूद हैं। जनता के वे भी प्रतिनिधि हैं। वे अपनी बातों को अच्छी तरह रख सकते हैं। अभी जो गांव-गांव में चुनाव हुए हर ब्लाक के अन्दर गांव सभाओं के, सभापति मिलकर के अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। उनको पूरा अधिकार है अपने पूरे ब्लाक के लिए अच्छी से अच्छी राय वहां पर दे सकें। वहां पर जितने जिला बोर्ड के पुरान प्रतिनिधि के रुप में मेम्बर मौजूद हैं वे पुराने जरूर हो गये हैं, लेकिन कुछ भाइयों ने भाषण दिया था कि उनका चुनाव एसे मताधिकार के द्वारा हुआ था जबकि बालिग मताधिकार नहीं था, उनको भ्रम है, वह सीमित मताधिकार के अन्दर नहीं चुने गए थे। उस समय भी हर बालिग को वोट देने का पूरा अधिकार था और उसी मताधिकार के द्वारा ....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप जरा संक्षेप में कहें। आप बहुत ज्यादा पुराना इतिहास शुरू कर रहे हैं।

श्री रामलक्षण तिवारी—खैर, जो भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आज पेश है जिसके द्वारा केवल एक नयी बात आपके और हमारे सामने उपस्थित है नये अध्यक्ष के चुनाव की, वह बहुत ही आवश्यक है और उस चुनाव को अगर आप रोकना चाहते हैं तो यह बहुत अनुचित बात होगी और आपको बाद में और भी अधिक पछतावा होगा तथा शिकायत करने का मौका होगा।

केवल एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हरिजन भाइयों ने जो अपनी आवाज उठायी है उसका सरकार को खयाल रखना चाहिए और इसमें कोई न कोई ऐसी गुंजायश निकालनी चाहिए जिससे कि हर जिला परिषद् में कम से कम सात आठ हरिजन नामजदगी द्वारा आ सकें और उन

लोगों को भी अध्यक्ष के चुनाव में पूरा हक वोट देने का मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो विधेयक प्रस्तुत है उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन उपस्थित करने वाले महाशय लोग हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। आज सदन ने यह निश्चय किया था कि कल बिजनेस कमेटी की मीटिंग होगी जहां यह निश्चय होगा कि किन-किन विधेयकों को कितना-कितना समय दिया जाय और कल दस बजे के लिए आपने टाइम भी दिया है। कल उस बिजनेस कमेटी की मीटिंग में इस विधेयक के लिए भी समय निश्चित किया जायगा। ऐसे समय में यह प्रश्न उपस्थित करना कहां तक उचित है यह आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—यह तो कभी भी हो सकता है। यह क्लोज़र का प्रस्ताव है, किसी भी स्टेज पर हो सकता है।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—९९,
विपक्ष में—२८।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ बैठने वाले करीब करीब सभी माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया और एकाध ने अगर इसके विरोध में कहने का प्रयास किया तो वह कुछ गलतफहमी से। जैसे कि माननीय राम लक्षण तिवारी बोले, उन्होंने यह फरमाया कि इसमें कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि जो जिला अन्तरिम परिषदें हैं, उनमें हरिजन सदस्य नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा यदि आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब आगे का काम शुरू होगा।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालाजी एवं वैक्टिरियालाजी विभाग में खरीद के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालाजी एवं वैक्टिरियालाजी विभाग में खरीद से संबंधित सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, विश्रामराय तथा गौरीशंकर राय के ९ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १–१७ पर श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री गौरी शंकर राय द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसमें है, पिछले १५ अप्रैल को मैंने स्वास्थ्य मंत्री को, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था इस पैथालाजी डिपार्टमेंट के सिलसिले में और वहां की गड़बड़ी के सिलसिले में। वह गड़बड़ी संक्षेप में यह है कि वहां के हेड आफ दि डिपार्टमेंट जो हैं वे अपने निजी नौकरों शम्भूनाथ और सतीश कुमार के जरिये से सारे डिपार्टमेंट की खरीद फरोख्त करते हैं और समय-समय पर शम्भू नाथ ऐन्ड कम्पनी और सुरेशचन्द्र राम आसरे नाम के फर्म कायम किये हुये हैं। इस प्रकार

[श्री गौरीशंकर राय]

ये तीनों फर्म के नाम से उनका काम होता था चाहे वह गोश्त की खरीदारी हो अथवा और अन्य सामान लेना हो या कोई मरम्मत करानी हो। यह सवाल उस समय श्री रामनारायण पांडेय जी ने, जो इस समय सभा सचिव हैं, उस समय कोर्ट की बैठक में उठाया था और इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा था। उस समय वाइस-चांसलर ने कहा कि हमने जांच कर ली हैं, हम संतुष्ट हैं। जब मैंने उनको खत लिखा १५ अप्रैल को और उसके तीन महीने बाद रिमान्इडर दिया ....

श्री अध्यक्ष--आप ने किसको खत लिखा ?

श्री गौरीशंकर राय--उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी को खत लिखा। उसके बाद ११ सितम्बर को सवाल माननीय रामसुन्दर पांडेय जी के नाम से यहां आया कि वह मेरा खत क्या है, उसका जवाब २२ सितम्बर को टाला गया। वाइस-चांसलर ने कहा कि हमने इंक्वायरी पूरी नहीं की जबकि वे कोर्ट की मीटिंग में कह चुके थे कि हमारी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और हम सेटिस्फाइड हैं। ९ तारीख को वह सवाल फिर आया, लेकिन चूंकि वह काफी बाद में था इसलिये सदन में लिया नहीं जा सका और इसलिये यह आधे घंटे का विवाद मांगना पड़ा है।

संक्षेप में बात यह है कि यह १२ हजार रुपये से अधिक की डील है किन्तु उन पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगता है। वह उनके पर्सनल मुलाजिम हैं इस बात को उन्होंने इन्कार किया। जो रेकार्ड पर है उसे वह मंजूर करते हैं। सूचना के लिये मैं बता दूं कि सतीश चन्द्र गुप्ता एक सज्जन हैं जिनका यह आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। इसमें उन्होंने अपना पता लिखा है केयर आफ डाक्टर एस० पी० गुप्ता। वे क्रिश्चियन कालेज के छात्र हैं। उन्होंने बताया है कि यह शम्भू नाथ उनके पार्टनर हैं। यह सब डील वह किया करते थे। एक टेंडर मांगा गया था। उसमें किसी दूसरे का टेंडर इनसे कम का था। तो इन्होंने यह स्लिप लगा कर अपना टेंडर भेजा कि" प्रोफेसर साहब, काइन्डली साइन दि अदर ऐंड टियर आफ दिस वन"। कहा कि दूसरे को साइन कर दीजिये और इसको फाड़ दीजिये, किन्तु संयोग से यह उस फाइल में रह गया और दूसरा फाड़ दिया गया। जिसको वे नहीं फाड़ना चाहते थे वह फट गया और यह रह गया। और यह लिखी हुई स्लिप उसके साथ रह गयी। फाइल में दूसरे कागजात के साथ यह स्लिप भी आडिट के सिलसिले में देखी गयी। तो गुस्से में उन्होंने वहां के २ क्लर्कों को निकाल दिया और साढ़े चार महीने तक उनको कोई चार्ज शीट नहीं दिया और बराबर उनको हैरेस करते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी जब अपनी बात कह लेंगे हम को तो उसके बाद सवाल पूछने हैं, लेकिन हमारे लिये यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस मेडिकल कालेज पर हम इतना रुपया खर्च करते हैं वहां इस प्रकार की गड़बड़ी होती है।

इस मामले में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि वाइस-चांसलर ने गवर्नमेंट को सही जवाब दिया है अथवा नहीं और यह भी स्पष्ट होना चाहिये, जैसा कि उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम बराबर जवाब मांगते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है और कोर्ट में जवाब मिलता है कि हम सेटिस्फाइड हैं। तो क्या वाइस-चांसलर महोदय इस बात पर परदा डालना चाहते हैं ? जांच भी उन्हीं लोगों से करायी जाती है कि जिनके खिलाफ यह चार्ज है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मेडिकल कालेज सरकार की एड से चलता है, अगर उसमें इस तरह गड़बड़ी होती है तो उसे देखना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि क्या माननीय मंत्री जो विजिटेशन (visitation) के लिये एक कमेटी बनायें जैसा कि प्राविजन है लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के क्लाज ७ में। तो वह देखें और बतलायें कि वाइस-चांसलर ने क्या जवाब दिया है, दिया है या नहीं और उन्होंने उनसे जवाब मांगा है अथवा नहीं। यह सब बात साफ हो जाय उसके बाद हम सवाल पूछना चाहेंगे।

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)---जो बहस चल रही है, अध्यक्ष महोदय, उस के बारे में निवेदन यह है कि १५ अप्रैल के करीब माननीय सदस्य ने, जो अभी सदन के सम्मुख भाषण कर रहे थे, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को पैथालाजी डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में कुछ बातों की जानकारी के लिये लिखा। सरकार ने उनकी छानबीन की। सरकार उनसे संतुष्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर गौरीशंकर राय जी ने और कुंवर श्रीपालसिंह जी ने प्रश्न दिये जो ४ मई को निर्धारित थे। उसी तरीके से माननीय रामसुन्दर जी ने भी सवाल किये जो ४ अगस्त को अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में आने थे। २६ अगस्त को उनका अन्तरिम उत्तर दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष---क्या अन्तरिम उत्तर दे दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---करीब १७ के प्रश्न थे जिनके उत्तर दे दिये गये।

श्री अध्यक्ष---क्या उत्तर दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है। इसका कारण यह था, जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी आटोनामस है और उसके कारण जब-जब प्रश्नों के द्वारा, या माननीय सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में भी जो भी शिकायतें आयीं जब तक हम उसका वेरिफिकेशन कि कहां तक सत्य हैं या गलत हैं नहीं कर लेते तब तक पूरे तरीके से उसमें पूरी छानबीन नहीं कर ली जाती उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। उसके बाद १७ प्रश्न किये गये। किसी कारण से नहीं आये। जहां तक इन तमाम चीजों का सम्बन्ध है सरकार ने पूरे तरीके से इस सम्बन्ध में जानकारी की। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें गड़बड़ियां हुईं जैसे पार्टनशिप इत्यादि की बातें हैं। क्लेरिफिकेशन मांगा। जो वहां पर पैथालाजी के हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं उनका शम्भूनाथ फर्म से क्या सम्बन्ध है तो कोई किसी प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं आया। अब प्रश्न यह होता है कि लिखा-पढ़ी में काफी समय समाप्त हो गया। सरकार किन्हीं मामलों में संतुष्ट हुई, किन्हीं मामलों में नहीं हो पायी। कुछ जब वाइस-चांसलर साहब ने जांच की और सरकार को पत्र भेजा तो उनसे मालूम हुआ कि कुछ गड़बड़ियां हैं। मान्यवर, जो उन्होंने एक लम्बी चौड़ी रिपोर्ट भेजी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है सदन के सम्मुख पढ़ूं, लेकिन यदि आप आज्ञा देंगे तो उन एक्सट्रेक्ट्स के कुछ सेंटेंसेज़ सदन के सम्मुख पढ़ देना चाहता हूं :---

"It is somewhat unfortunate that a person who was in active business with the Department should have asked for, and been formally given, some monetary accommodation and it is no wonder that this has given rise to some suspicion."

मान्यवर, आगे चलकर वह कहते हैं:---

"The suspicion is somewhat aggravated by the fact that the loan of Rs. 500/ which, according to Dr. N. P. Gupta was given as a personal accommodation to Sri Satish Chandra Gupta, was actually returned from the funds of the firm Messrs. Satish Chandra Sambhu Nath. No satisfactory explanation is forthcoming as to why this loan was retunred by the firm and the obvious explanation seems to be that both Sri Satish Chandra Gupta and Sri Sambhu Nath had started joint dealings."

इसके बाद कहते हैं:---

"I have, however, no hesitation in expressing my disapproval of the tactlessness and want of caution shown by Dr. N. P. Gupta and if he has some veiled suspicion cast on him, he has himself to thank for it."

[श्री धर्मसिंह]

आगे चल करके एक जगह वह कहते हैं :—

"The Accounts Officer of the University had, in 1957, brought to the notice of the Department the irregularity of placing all sorts of orders for supply and repairs with Sambhu Nath who was reported to be in personal service of a senior teacher of the Department but the Department unfortunately did not appreciate the suggestion and instead asked the Accounts Officer to supply them the names of firms which could give quotations."

मान्यवर, वह आगे लिखते हैं—

"I regret to say that those responsible for placing the orders wanted to patronise a so-called firm which had no standing except for the somewhat uncanny mechanical skill and past experience of Sri Sambhu Nath and in spite of some suggestions to the contrary, orders continued to be placed with this firm."

आगे लिखा है —

"Even before my orders stopping dealings with the firm Messrs. Sambhu and Sons were issued, another firm in the name of Messrs. Suresh Chandra Ram Asrey had come into existence, and the Department which had already exhibited its want of caution in dealing with Messrs. Sambhu Nath and Sons, lost no time in patronising the so-called new firm."

अन्त में इतना एक जगह और है :—

". . . .The fact that both of them were connected with certain teachers of the Department cannot be denied. One of them still works for Dr. S.P. Gupta at times and the other Sri Sambhu Nath was in his private service for a number of years. The transactions, however, do not disclose any irregularity except that in some cases there is no record of competitive terms or samples, etc. . . . ."

तो मान्यवर, यह सब मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा है ताकि सदन को उसके बारे में जानकारी हो जाय। इस बात को वाइस-चांसलर भी स्वीकार करते हैं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और हमने उनके बारे में छानबीन करने की कोशिश भी की है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, कुछ व्यक्तियों को सस्पेंड भी किया गया है। एक दो आदमियों से जब सरकार ने पूछा कि यह क्यों इस तरीके से हुआ, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो हम इस बात को मानते हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में कुछ हमारे सामने दिक्कतें भी हैं। सरकार ने उनसे लिखकर कुछ जानने की कोशिश की, उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स भी किये हैं और कुछ का जवाब नहीं आया है, लेकिन सरकार पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। अंत में हमने यह तय किया है कि जो भी इस तरह के वाकयात हुये हैं उन सब की छानबीन के लिये, यूनिवर्सिटी आफ लखनऊ ऐक्ट की दफा ७ के अन्तर्गत, हम एक कमेटी बनायें जो इन सब बातों की छानबीन करें। इसलिये अभी हम अगर उन तमाम बातों पर यहां सदन में बहस करते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सा मैटीरियल हमारे सदस्यों के सामने है और सरकार के पास भी है। जो भी सरकार की घोषणा है, उन तमाम बातों के होते हुये जो और भी बातें हैं उन सब की जानकारी करने के लिये ही हमने विजिटेशन कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है ताकि पूरे तरीके से मामले की छानबीन हो सके। रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जायेगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाय।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि डाक्टर एस०पी० गुप्ता ने एक पत्र लिखा जिसमें यह लिखा कि "काइन्डली साइन दि अदर एन्ड टियर आफ दिस वन" यह सही है ?

श्री धर्मसिंह---हां, यह सही है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार के सामने वह चेक है जिस चेक को डाक्टर एस० पी० गुप्ता ने पेमेंट के लिये ठेकेदार को दिया ? क्या उसकी कोई नकल सरकार को मिली है या ऐसा सबूत मिला है कि उस चेक का पेमेंट हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---चेक है या नहीं, किन्तु ५०० रुपये के पेमेंट का जिक्र है, जैसा कि मैंने सदन के सामने जिक्र किया है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस कमेटी को बनाने की सरकार ने घोषणा की है वह कब तक बन जायेगी तथा उसमें कौन-कौन सदस्य लिये जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---मान्यवर, जहां तक इस कमेटी के बनने का सम्बन्ध है, वह तो शीघ्र ही बन जायेगी । टर्म्स आफ रेफरेंस के लिये हमको ला डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा । उसमें तीन सदस्य होंगे---एक तो प्रतिनिधि यूनिवर्सिटी का होगा, दूसरा मेडिकल विभाग का और एजूकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब डाक्टर एस० पी० गुप्ता ने श्री शम्भूनाथ के कोटेशन पर लिख दिया कि दूसरे पर दस्तखत करके इसको फाड़ दिया जाय और उस समय यही विभागाध्यक्ष थे और आज भी हैं तो उन्हीं के द्वारा जांच क्यों कराई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---उनके द्वारा जांच कराने का सवाल नहीं है । कमेटी की घोषणा की गई है वह आगे चलकर सब बातों को देखेगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---इस बात को देखते हुये कि सरकार के पास जो लिखित शिकायत दी गई थी वह गम्भीर प्रकार की रही है और जिसके आधार पर प्रश्नों की झड़ी इस सदन में लगी थी और आज भी उस पर बहस हो रही है तो इन गम्भीर शिकायतों को देखते हुये सरकार ने अबतक जो जांच कराई वह किस व्यक्ति और किस अधिकारी द्वारा कराई है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जांच विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने की है और उन्होंने ही जांच कराके जो चीजें निकली हैं उन्हें हमारे पास भेजा है । विश्वविद्यालयों के सिलसिले में सरकार का जांच का यह तरीका तो है नहीं कि सरकार स्वतः अपने अधिकारी को वहां किसी विषय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजे या कोई जांच कमेटी उस सिलसिले में नियुक्त करे । लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में कुछ ऐसे सेक्शन्स हैं जिनके तहत में इस प्रकार की इंक्वायरी कमेटियां नियुक्त की जा सकती हैं । लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की दफा ७ की तहत में जिसमें कि विजीटेशन की पावर प्रदेशीय सरकार को है, इस मसले के सिलसिले में और इसकी जांच के सिलसिले में प्रदेशीय सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि एक कमेटी नियुक्त करे जो इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करे । अभी कोई दूसरा व्यक्ति प्रदेशीय सरकार की ओर से जांच करने के लिये न तो नियुक्त किया जा सकता है और न सरकार उस पद्धति को अपनाने की कोशिश करना चाहती है । विश्वविद्यालयों को सरकार ने सदा एक

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आटोनामी प्रदान कर रखी है और सरकार उसकी रक्षा करना चाहती है, लेकिन जहां वह किसी इंक्वायरी से असंतुष्ट हो जो विश्वविद्यालय ने की हो तो उस पर गौर करने के लिये कानून की तहत में जो तरीका हो उसका इस्तेमाल कर सकती है और वह तरीका लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की दफा ७ के अन्तर्गत एक इंक्वायरी कमेटी नियुक्त करने का है। सरकार उस तरीके को अपनाने जा रही है और अधिक जानकारी उस इंक्वायरी द्वारा ही प्राप्त हो सकेगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० पी० गुप्ता ने शम्भूनाथ सतीशचन्द्र कम्पनी और रामआसरे कम्पनी को कुल मिलाकर कितने रुपये के सामान का आर्डर दिया ?

श्री धर्मसिंह—वह तो समय-समय पर देते रहे थे। इस समय इस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत बड़े ट्रान्जेक्शन हुये हैं और उसमें सेल्स टैक्स भी नहीं पे किया गया इसलिये क्या वह सीरियस स्टेप उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह पैदा नहीं होता।

श्री गौरीशंकर राय—जो यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सेक्शन ७ की तहत में विजीटेशन कमेटी बन रही है कमेटी उसकी छान बीन में मुहकमे के दो मुलाजिमों को जिस तरह से सस्पेन्ड किया गया और चार महीने तक चार्जशीट नहीं दी गई, इन बातों को भी माननीय मुख्य मंत्री जी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने ब्योरे से तो इस चीज का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अगर इस बात की आवश्यकता होगी और विजिटेशन कमेटी की तहत में यह बात रखी जा सकेगी तो उसको भी रखने की चेष्टा की जायगी ?

श्री गौरीशंकरराय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि शम्भूनाथ जी, जिनको ठेकेदार कहा जाता है और कहा जाता है कि वे रिपेयर का काम करते हैं, जिनकी कोई दूकान नहीं है, घर पर ही रिपेयर का काम करते हैं तो क्या जिस मकान में रिपेयर का काम करते हैं उसमें बिजली भी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत ही ब्योरे का सवाल है।

श्री झारखंडे राय—मैंने जो सवाल अध्यक्ष महोदय किया और जिसका जवाब सरकार की ओर से दिया गया उसके द्वारा मैं यह जानना चाहता था कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी की रक्षा करते हुए इस मामले की प्रारंभिक जांच वाइस-चांसलर ने खुद की या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या कमेटी ने की ? यह स्वाभाविक है कि सरकार की ओर से कोई जांच नहीं हुई, लेकिन अब तक जो हुई हैं वह किसके द्वारा हुई, किस व्यक्ति द्वारा हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस वक्त इसकी सूचना नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसे विश्वविद्यालय के संचालन का तजुरबा है, इस प्रकार की इंक्वायरी वाइस-चांसलर स्वयं करते हैं और इस सम्बन्ध में भी, जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, वाइस-चांसलर ने ही की होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत जिस जांच कमेटी को बैठाने की घोषणा की गयी है तो क्या यह कमेटी केवल पैथोलाजी विभाग के सम्बन्ध में ही जांच करेगी या उन सब मामलों की जांच करेंगी जिनके बारे में बराबर शिकायतें आया करती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि सदन इस प्रकार का कोई विचार प्रकट करेगा कि और भी प्रकार की जांच उसके सुपुर्द की जाय तो सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उस कमेटी को और काम भी सुपुर्द कर देगी ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह तीन आदमियों की कमेटी कितनी अवधि में अपनी रिपोर्ट देगी और क्या सरकार उस रिपोर्ट को इस आदर णीय सदन में रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय सदस्य ने दफा ७ लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट का अध्ययन किया होगा । उसमें कुछ पद्धति दी हुई है । वह इस प्रकार है कि विश्वविद्यालय अपनी तरफ से किसी व्यक्ति का नाम घोषित करे । सरकार की तरफ से एक व्यक्ति होगा । वे दोनों बैठकर कुछ फैसले करेंगे या रिपोर्ट देंगे । उसके बाद जब वह रिपोर्ट आयेगी तो पहले वह लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में रखी जायगी । सरकार उनसे पूछेगी कि वे इस विषय में क्या कर रहे हैं । उसके बाद यदि सरकार उस निर्णय को स्वीकार नहीं करती है जिस निर्णय पर विश्वविद्यालय पहुंचा है तब सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस विषय में अपने आदेश जारी करे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस जुर्म में दो कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं वही जुर्म इन दोनों डाक्टरों ने किया था जिनको मुअत्तल नहीं किया गया है ? फिर इनको क्यों नहीं मुअत्तल किया गया या उन दोनों को भी बहाल करके क्यों नहीं उनसे भी बाकायदा सबूत लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह यूनिवर्सिटी का अंतरंग का मामला है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मंत्री जी ने अभी यह स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने फैक्ट्स स्वीकार किये हैं । कार्यवाही तो यूनिवर्सिटी ही करेगी । अब तो कमेटी बैठेगी ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो जांच हुई है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि शम्भूनाथ सतीशचन्द्र कम्पनी और रामआसर कम्पनी ने फर्जी काम किये ? वास्तव में जो ट्रांजेक्शन्स हुए वे गुप्ता ब्रदर्स को ही हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरे पास तो बहुत सी सूचनायें हैं । जिन दो व्यक्तियों के बारे में बहुत सी शिकायतें की जाती हैं उन्हीं दो व्यक्तियों को बहुत बड़ा समर्थन काफी हमारे उन साथियों का प्राप्त था जो इस सदन के सदस्य हैं और सामने बैठते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम है कि इस सदन के सदस्य और पार्लिया-मेंटरी सेक्रेटरी माननीय रामनारायण पांडेय जी के प्रश्न के उत्तर में कोर्ट की बैठक में वाइस चांसलर साहब ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है ? फिर उन्हीं प्रश्न के उत्तर में सरकार को जवाब दिया कि उनको कार्य प्रणाली के बारे में संदेह है ? तो सरकार यह बतायेगी कि जब वाइस-चांसलर को प्रोफेसरों पर संदेह था तो फिर उन्होंने इस गड़बड़ी के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐक्शन तो यही लिया कि विजीटेशन कमेटी नियुक्त कर दी ।

श्री अध्यक्ष---अब समय थोड़ा रह गया है, जो कुछ आपको कहना हो कह लीजिये ।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, सवाल ही पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष---फिर आपको और कुछ कहने का आखिर में समय नहीं मिलेगा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि जिन सज्जन के नाम का यह क्रास चेक है, जिसका फोटो मैंने अभी दिखलाया है, इन प्रोफेसर एन० पी० गुप्ता का इस जांच के दरमियान प्रोमोशन भी हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस बात की मुझे इत्तिला नहीं है। सुनी बहुत-सी बातें हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए और यह जानते हुए कि मेडिकल कालेज के पैथालाजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी शिकायतें आयी हैं, उन तमाम कागजात को महफूज रखने का प्रबन्ध करेंगे ताकि वे कमेटी के सामने सही ढंग से आ सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो अधिकार इस सदन ने इस सरकार को लखनऊ यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत में दे रखा है उसमें तो कोई और अधिकार इस प्रकार का हमें मिला नहीं है कि हम विश्वविद्यालय के इस प्रकार के कार्यों में जाकर हस्तक्षेप करें। परन्तु ऐसा मैं समझता हूं कि जो कमेटी के सदस्यगण होंगे, वे यदि ऐसी बात मुनासिब समझेंगे कि कोई कागजात इस प्रकार से सुरक्षित रखने चाहिये जिससे वे समय-समय पर उनको दे सकें, तो वे यदि निर्णय लेंगे तो विश्वविद्यालय अवश्य उनके निर्णय का पालन करेगा और उन कागजात को उस कमेटी के प्रोटेक्शन में करने का प्रबन्ध करेगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उस वक्तव्य को फिर स्पष्ट करेंगे कि जिन दो आदमियों का उन्होंने नाम लिया कि वे विरोधी दल के हैं और उनका बहुत समर्थन करते हैं, वे कौन-कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतला तो दिया।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपकुलपति महोदय का ध्यान मेडिकल कालेज की इस गड़बड़ी की ओर कब आकृष्ट किया गया और उन्होंने जो उसकी जांच की उसकी रिपोर्ट कब दी ?

श्री धर्मसिंह---यह तो शुरू में ही १५ अप्रैल के करीब ध्यान आकृष्ट किया गया था और रिपोर्ट तो मान्यवर समय-समय पर देते रहे। उसकी कोई तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन---कितनी रिपोर्ट दी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सारी इनक्वायरी और गड़बड़ी को एक साल तक दबाने या उसको छिपाने का जो प्रयास वाइस-चांसलर महोदय की तरफ से हुआ है, इस मामले की जांच भी उस विजिटेशन कमेटी के सुपुर्द होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब सरकार को इसके बारे में इत्तिला नहीं है कि वाइस-चांसलर महोदय ने इस बात को छिपाने की कोशिश की और कितनी छिपाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तो बहुत सी बातें सरकार के सामने आयी हैं और अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी आयी हैं। उनसे तमाम दिक्कतों के निराकरण के लिये सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं और वे निर्णय सदन के समक्ष आयेंगे और सरकार फिर सदन के सदस्यों का सहयोग उसमें चाहेगी कि उन निर्णयों को विश्व विद्यालयों में सुधार लाने के लिये सदस्य अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि आडिट नम्बर १४७ के निराकरण की जो रिपोर्ट थी उसको डाक्टर मांगलिक और डाक्टर एस० पी० गुप्ता लेकर इलाहाबाद गये थे ?

श्री धर्मसिंह—सूचना की आवश्यकता है, इसको देखना होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय आर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में बहुत-सी शिकायतें हैं और जो यहां के विश्व-विद्यालयों में यह आर्थिक घपले हैं उनके निवारण के लिये जिस प्रकार केंद्रीय सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिये जांच कमीशन बिठाया था उसी प्रकार से प्रदेश के तमाम विश्व-विद्यालयों के आर्थिक और एप्वाइंटमेंट व नियुक्तियों आदि के घपलों की जांच के लिये कोई कमीशन सरकार बिठाने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कमीशन तो बहुत लम्बा चौड़ा बन गया है, उसकी घोषणा भी हो गई है और उसके लिये आपने स्वीकृति भी दे रखी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, वह कमीशन तो वहां के एकेडेमिक मामलों की जांच के लिये है, लेकिन क्या वह इस तरह की शिकायतों का विषय भी उसके टर्म्स आफ रिफ़ेंस में बढ़ाने की कृपा करेंगे ताकि वह ऐसे मामलों की भी जांच कर सकें?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया। खैर आप संक्षेप में बता दें कि उसके टर्म्स आफ रिफ़ेंस क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसमें कथित आर्थिक घपले और नियुक्तियों के मामले सब कमीशन के सामने विचारार्थ रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया, अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ फरवरी, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

दिनांक १०–६–६० को नान्हूं, जियालाल, मैकू, भगवान दीन तथा परमू नामक व्यक्तियों ने जिलाधीश सीतापुर को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि घटना के संबंध में उन लोगों के बयान लिये जायं तथा मामले की जांच कराई जाय। एस० डी० ओ० सिधौली द्वारा दिनांक १० व ११–६–६० को उक्त व्यक्तियों के बयान लिये गये। उन लोगों ने अपने बयान में यह नहीं लिखाया कि डाकू लोग सौर में पड़ी महिला के जेवर जबरदस्ती उतार ले गये, दिनांक १६–६–६० को एस०डी०ओ० ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर महिला के पिता श्री परवन का ब्यान लिया किन्तु उसने भी अपने बयान में ऐसी घटना नहीं लिखाई। कुछ अन्य गवाहों के भी बयान लिये गये किन्तु उससे भी किसी ऐसी घटना का होना नहीं पाया गया। एस० डी० ओ० की जांच के ५ दिन बाद अर्थात् दिनांक २१–६–६० को जियालाल तथा नान्हूं ने जिलाधीश को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का फिर प्रेषित किया कि सौर में पड़ी महिला श्रीमती भगाना का भी बयान लिया जाय। क्योंकि मामला बयानों के आधार पर असत्य सिद्ध हो चुका था अतः एस० डी० ओ० ने यह सोचकर कि उपर्युक्त व्यक्ति मामले को फिर उभारना चाहते हैं, उन्होंने महिला का बयान लेना आवश्यक नहीं समझा।

नत्थियां

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

सेवा में

जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय,

हम छात्राध्यापकगण नार्मल स्कूल, बरहज, देवरिया के हेडमास्टर सहदेव दास के निम्न दुर्व्यवहारों एवं धांधलियों से क्षुब्ध होकर सरकार एवं संबंधित उच्चाधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम छात्राध्यापकों के साथ न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग शांति के साथ हड़ताल जारी रखेंगे।

१—प्रार्थना-पत्र देने पर प्रार्थना-पत्र को फाड़ देना।

२—श्री जगदीश दुबे छात्राध्यापक का अवैधानिक तरीके से नाम काटना।

३—आकस्मिक तथा मेडिकल अवकाश से वंचित रखना।

४—छात्रवृद्धि काट कर अवकाश देना।

५—२० रुपये पर हस्ताक्षर कराकर १९ रु० देना तथा एतराज करने पर फेल कराने तथा चरित्र खराब करने की धमकी देना।

६—आवास में सफाई तथा पानी एवं शौचालय अव्यवस्था करना।

७—प्राथमिक चिकित्सा का अभाव।

८—विधानतः मिट्टी का तेल न देना।

९—खेल-कूद की व्यवस्था न होना।

१०—छात्राध्यापक से पैदा पैसा लेकर स्कूल में कृषि कार्य कराना तथा उत्पन्न सामानों का अपने आप उपभोग करना।

११—चन्दा लेकर रसीद न देना तथा उस चन्दे के पैसे को छात्राध्यापकों के कार्य में न लगाना।

१२—अवैधानिक तरीके से मुखलाल का नाम काट देना एवं उसके स्थान पर अपने संबंधी का नाम लिखना।

१३—अधिकारियों के आने पर जो खर्चा पड़े उसे बरबरता के साथ छात्राध्यापकों के छात्रवृत्ति से लेना।

१४—भारतीय वेश भूषा से आपत्ति एवं पाश्चात्य वेश भूषा को प्रोत्साहन देना।

१५—छात्राध्यापकों के निजी पत्र को पढ़ना।

१६—भोजनालय में बर्तनों की कमी रखना तथा इसके लिये प्रार्थना करने पर सुनवाई न करना।

१७—छात्राध्यापकों के साथ अपशब्दों का व्यवहार करना।

१८—हम सरकार तथा उच्चअधिकारियों से मांग करते हैं कि उपर्युक्त मांगों को अविलम्ब पूरा कराया जाय।

१-२-६१

हैं हम आपके,
छात्राध्यापकगण।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

तालिका

शस्त्रों के नाम जिनके लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये	प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या	स्वीकृत हुये प्रार्थना-पत्रों की संख्या
	१९५९	
१—एकनाली टोपीदार	३५	१०
२—दोनाली टोपीदार	४०	१२
३—एक नाली कारतूसी ..	१११	४९
४—दोनाली कारतूसी ..	११५	३६
५—रिवाल्वर	१५	२
६—पिस्तौल ..	५	—
	१९६०	
१—एकनाली टोपीदार ..	५७	२७
२—दोनाली टोपीदार ..	७३	२०
३—एकनाली कारतूसी ..	१५०	७५
४—दोनाली कारतूसी ..	१८२	५७
५—रिवाल्वर	२८	४
६—पिस्तौल	५	—

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

सूची

वर्ष	आमदनी	खर्च
	रु०	रु०
१९५६–५७	३,०००	९,७०२.५०
१९५७–५८	३,६४०	६,०२८
१९५८–५९	३,८००	..
१९५९–६०	४,७१२	१,७९१.६२

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी—ए० पी २६७ एल० ए० १९६१—८४५ ।